शुक्रवार,
७ अगस्त, १९५३

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

चौथा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation 13.3.12

भाग १—प्रश्न और उत्तर

संसदीय वाद विवाद

(भाग १—प्रश्न और उत्तर)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

शुक्रवार, ७ अगस्त, १९५३

सदन की बैठक पौने ग्यारह बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर असीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

रेलवे कोयला खानें

*२४२. **श्री एम० एल० द्विवेदी:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५० से रेलवे कोयला खानों के कार्य संचालन पर प्रति वर्ष कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई है ;

(ख) रेलवे कोयला खान जांच समिति की सिफारिशें क्या हैं ; तथा

(ग) क्या यह सिफारिशें मान ली गई हैं अथवा नहीं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १९५०-५१ पूंजी व्यय पर ९.४ प्रति शत हानि

१९५१-५२ पूंजी व्यय पर १.५ प्रतिशत लाभ

१९५२-५३ के संबंध में सूचना अभी उपलब्ध नहीं ।

(ख) तथा (ग). एक विवरण जिसमें कि यह सिफारिशें तथा इन पर की गई कार्यवाही दी गई है सदन पटल पर रख दिया जाता है [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १**]

श्री एम० एल० द्विवेदी: क्या मैं जान सकता हूं कि इस हानि को लाभ में परिवर्तित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अलगेशन: अब यह मुनाफे पर चल रही हैं गत वर्ष पहली बार इन से लाभ हुआ ।

श्री एम० एल० द्विवेदी: लेखों पर कड़ा नियंत्रण रखने के सिलसिले में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की सिफारिशों को कार्यरूप देने में क्या कुछ कठिनाइयां हैं ?

श्री अलगेशन: क्या इसका सदन पटल पर रखी गई किसी भी मद के साथ कोई सम्बन्ध है ?

श्री एम० एल० द्विवेदी: जी हां, अन्तिम मद के साथ ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या नियंत्रक महालेखा परीक्षक रेलवे कोयला खान जांच समिति के सदस्य थे ?

श्री एम० एल० द्विवेदी: कोयला खानों पर कड़ा नियंत्रण रखने के लिए नियंत्रक महा-

लेखा परीक्षक ने कुछ उपाय करने की सिपारिश की है इसका अंत में विवरण के अन्तिम पैरा में ज़िक्र आया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : सिपारिशें कोयला खान जांच समिति की ओर निर्देश करती हैं ?

श्री एम० एल० द्विवेदी : जी हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : महालेखा परीक्षक की बात कैसे बीच में आ जाती है ?

श्री एम० एल० द्विवेदी : उन्होंने भी कुछ सिपारिशें की हैं। मंत्री जी ने अपने विवरण में कहा है कि इस मामले को उस समय हाथ में लिया जायगा जब कि इन खानों का स्वामित्व अन्तिम रूप से उत्पादन-मंत्रालय को हस्तांतरित किया जायगा। मैं जानना चाहता हूं कि स्वामित्व हस्तांतरित करने से पूर्व इन सिपारिशों को कार्य रूप देने में क्या कठिनाइयां हैं ?

श्री अलगेशन : यदि माननीय सदस्य अन्तिम मद की ओर निर्देश कर रहे हैं तो स्वयं विवरण में यह लिखा हुआ है कि कोयला कमिश्नर से एक सविस्तार रिपोर्ट प्राप्त की गई है तथा इस पर वित्त विभाग कोयला लेखा नियंत्रक के परामर्श से विचार कर रहा है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : यदि इस समय कठिनाइयां बताना संभव नहीं तो क्या माननीय मंत्री बाद में यह सूचना दे देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा कि मामला विचाराधीन है । इस समय कोई कठिनाइयां नहीं हैं। अगला प्रश्न ।

भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति

*२४३. **डा० एम० एम० दास** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति के अर्थ-संधारण की वर्तमान व्यवस्था क्या है ;

(ख) क्या सरकार वर्तमान अर्थ-संधारण व्यवस्था में कोई परिवर्तन करने का विचार रखती है ; तथा

(ग) इस उद्देश्य के लिये उपकर लगा कर, भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति की अर्थ-संधारण व्यवस्था को क्यों कार्यान्वित नहीं किया गया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति का अर्थ-संधारण भारत सरकार दस लाख रुपये का वार्षिक सहायता-अनुदान देकर करती है ।

(ख) तथा (ग). भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति का अर्थ-संधारण करने के लिए उपकर लगाने के प्रश्न पर भारत सरकार समय समय पर विचार करती रही है। अन्तिम बार १९५२ में इस पर विचार किया गया तथा यह बात महसूस की गई कि पटसन उद्योग और अधिक करों का भार नहीं उठा सकता है । फिर भी आंक समिति इस मामले पर विचार कर रही है तथा आंक समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार सारी स्थिति पर पुनर्विचार करेगी।

डा० एम० एम० दास : क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय पटसन समिति की उत्पादन योजनायें धनाभाव के कारण पूर्णतया क्रियान्वित नहीं की जा रहीं हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान् अभी तक कोई भी ऐसी शिकायत मेरे ध्यान में नहीं लाई गई है । सम्भव है कि प्रत्येक समिति की तरह यह समिति भी अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाना चाहती है ।

डा० एम० एम० दास : क्या मैं यह जान सकता हूं कि पटसन बाजार में मंदी आने के

कारण तथा भारतीय मिलों के लिए पाकिस्तानी पटसन प्राप्त होने के उज्ज्वल अवसरों के कारण सरकार ने पटसन की खेती बढ़ाने की अपनी योजनाओं तथा कार्यक्रमों को शिथिल कर दिया है तथा क्या वह अब इसके लिये आवंटित धन राशि में कमी करने का विचार रखती है ?

डा० पी० एस० देशमुख: मैं नहीं समझता हूं कि यह निष्कर्ष निकालना सही ह। इतनी बातों का अनुमान लगाना ठीक नहीं जितनों का कि मेरे मित्र अनुमान लगा रहे हैं।

श्री एल० एन० मिश्र: क्या मैं जान सकता हूं कि केन्द्रीय पटसन समिति का संविधान किन सिद्धान्तों के आधार पर बना हुआ है ?

डा० पी० एस० देशमुख: यह उस संकल्प के अन्तर्गत नियुक्त की गई है जोकि २० मई, १९३६ को जारी किया गया था।

श्री एल० एन० मिश्र: क्या इस में सभी पक्षों के, विशेषकर उत्पादकों के प्रतिनिधि भी हैं तथा क्या वह अपने प्रतिनिधि चुनते हैं अथवा नामनिर्दिष्ट करते हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख: इस में उत्पादकों के तथा सभी सम्बन्धिक पक्षों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। इतना तो मैं कह सकता हूं। प्रतिनिधियों का नामनिर्देशन होता है। हम राज्य सरकारों से, जिन्हें कि यह प्रतिनिधित्व दिया गया है, परामर्श करते हैं। सरकार उत्पादकों की गैर-सरकारी संस्थाओं तथा सुसंगठित संस्थाओं के प्रतिनिधित्व देने की सम्भावनाओं की जांच कर रही है।

डा० एम० एम० दास: इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि पटसन की कीमतें आर्थिक स्तर से भी नीचे गिर गई हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करना चाहती है जिस से कि कृषक लाभपूर्वक पटसन की काश्त कर सकें ?

डा० पी० एस० देशमुख: क्या यह इस प्रश्न के क्षेत्र से बाहर नहीं है ?

श्री एस० सी० सामन्त: क्या केन्द्रीय पटसन अनुसन्धान संस्था का अर्थ-संधारण भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद द्वारा हो रहा है अथवा भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति द्वारा ?

डा० पी० एस० देशमुख: मैं समझता हूं कि मेरे माननीय मित्र को इस बात का मुझ से अधिक ज्ञान है। वह, शायद, इस समिति के सदस्य रह चुके हैं।

श्री एस० सी० सामन्त: मुझे मालूम नहीं।

डा० पी० एस० देशमुख: मुझे इसकी पूर्व सूचना चाहिये।

शासकीय प्रन्यासियों की फीस

*२४४. **चौ० रघुवीर सिंह**: (क) क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता बन्दरगाहों की ट्रस्ट बैठकों में शामिल होने वाले पदकारणात तथा सरकारी प्रन्यासियों (ट्रस्टियों) को फीस देने की प्रथा बंद कर दी गई है ?

(ख) यदि की गई है, तो इस से अब तक कुल कितनी बचत हुई है ?

(ग) क्या पदकारणात प्रन्यासी नियमित रूप से बैठकों में शामिल होते हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) जी हां, १ जनवरी १९५३ से।

(ख) सदन पटल पर एक विवरण रख दिया जाता है।

(ग) फीस बंद किये जाने के परिणामस्वरूप पदकारणात प्रन्यासियों के बैठकों में अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध

में कोई शिकायत सरकार को प्राप्त नहीं हुई है तथा उपस्थिति के आंकड़ों से कोई निश्चित निष्कर्ष निकालना अभी समय से पूर्व की बात होगी ।

विवरण

निम्नलिखित बचत की गई है :—

कलकत्ता	२३४० रुपये	३१-५-५३ तक
बम्बई	२३१० रुपये	३०-६-५३ तक
मद्रास	४८० रुपये	३०-६-५३ तक

मुख्य बन्दरगाहों से बचत

*२४५. **चौ० रघुवीर सिंह:** (क) क्या **यातायात मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि वर्ष १९५२-५३ में कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट के कार्यसंचालन के परिणामस्वरूप भारी बचत हुई है ?

(ख) यदि हुई है तो कितनी ?

(ग) क्या मद्रास तथा बम्बई की बन्दरगाहों में भी ऐसी बचत हुई है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख) । कलकत्ता बन्दरगाह के लेखों कमिशनरों के अनुसार वर्ष १९५२-५३ में ३६.९ लाख रुपये की बचत हुई है ।

(ग) बम्बई तथा मद्रास बन्दरगाह ट्रस्टों ने भी वर्ष १९५२-५३ में अपने लेखों में बचत दिखाई है।

श्री पुन्नूस : क्या मैं जान सकता हूं कि कोचीन बन्दरगाह की आय वहां के व्यय के मुकाबले में कितनी अधिक रही है ?

श्री अलगेशन : मेरे पास इस समय यह आंकड़े नहीं हैं । मैं माननीय सदस्य को यह सूचना दे सकता हूं ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : बम्बई तथा मद्रास में कितनी २ बचत हुई है ?

श्री अलगेशन : बम्बई १२.१५ लाख रुपये ; मद्रास ४६.०७ लाख रुपये ।

श्री एम० डी० जोशी : जहां तक बम्बई बन्दरगाह का सम्बन्ध है, सरकार ने यह बचत क्या २ सुविधाएं उपलब्ध कराने पर खर्च की है ?

श्री अलगेशन : मुझे मालूम नहीं कि सुविधाओं से माननीय सदस्य का आशय क्या है ।

श्री एम० डी० जोशी : यात्रियों के लिए सुविधाएं, आदि ।

श्री अलगेशन : मुझे इस प्रश्न की पूर्व-सूचना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न । माननीय सदस्यों को अनुपूरक प्रश्नों के बारे में पहले ही सोच लेना चाहिये ।

बम्बई पोर्ट ट्रस्ट तथा बम्बई म्युनिसिपल कारपोरेशन के बीच विवाद

*२४६. **चौ० रघुवीर सिंह:** (क) क्या **यातायात मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि बम्बई पोर्ट ट्रस्ट की सम्पत्तियों पर बम्बई म्युनिसिपल कारपोरेशन के करों के सम्बन्ध में दोनों संस्थाओं में विवाद उत्पन्न हो गया था ?

(ख) सरकार ने इस विवाद को तय करने के लिये क्या पग उठाए ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार ने रेलवे रेट्स ट्रिब्युनल के अध्यक्ष श्री एन० एस० लोकर को नियुक्त किया कि दोनों पक्षों के बीच के विवाद की बातों का अच्छी तरह परीक्षण करें तथा बम्बई पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम की धारा ३६ के अनुसार म्युनिसिपल करारोपण के प्रयोजन से पोर्ट ट्रस्ट की कर लगाने वाली सम्पत्ति का मूल्यांकन करें। श्री लोकर की उपपत्तियों तथा सुझावों को भारत सरकार ने सामान्यत: स्वीकार कर लिया है तथा सरकार ने निर्णय के

अनुसार, सम्बन्धित पक्षों से १९४४-४९ के वर्षों के बीच की कर लगाई जाने वाली सम्पत्ति का सहमत मूल्य सरकार को बतला देने को कहा गया है उनके उत्तर की प्रतीक्षा है ।

चावल की खेती की जापानी प्रणाली

*२४७. **श्री हेडा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) राज्यवार, कुल कितने एकड़ भूमि जापानी प्रणाली की चावल की खेती के अंतर्गत है; और

(ख) ऐसे किसानों की संख्या जिनके पास पांच एकड़ से कम भूमि है और जिन्हों ने इस जापानी प्रणाली को अपनाया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना दर्शाते हुए एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २]**

श्री पुन्नूस : क्या मैं जान सकता हूं कि खेती की इस जापानी प्रणाली में प्रयोग किस प्रकार किया जाता है—सरकारी अभिकरणों द्वारा अथवा वैयक्तिक किसानों द्वारा ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह दो भागों में विभाजित है । कुछ स्थानों पर यह सरकारी निरीक्षण में सरकारी फार्मों पर किया जाता है । किन्तु कहीं अधिक संख्या प्राइवेट किसानों के खेतों पर प्रदर्शन खेतों की है ।

श्री हेडा : समय समय पर जो रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास इस सम्बन्ध में आती हैं, उस लिहाज से वे कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां जो टारगेट मुकर्रर किया गया था उस लिहाज से काफी अच्छा काम हो रहा है ।

डा० पी० एस० देशमुख : जो स्टेटमेंट टेबिल पर रखा गया है वह देखा जाए तो मालम होगा कि मद्रास और हैदराबाद में बहुत अच्छा काम होने की गुंजाइश दिखती है ।

बाबू रामनारायण सिंह : यह जो खेती करने का जापानी तरीका है उसका पूरा पूरा विवरण देने की माननीय मंत्री जी कृपा करेंगे ?

डा० पी० एस० देशमुख : बहुत बहुत इसकी कृपा कर चुके हैं ।

श्री शिवनन्जप्पा : क्या मैं जान सकता हूं कि देश को कुल कितने बीज तथा क्षेत्र की बचत हुई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं पूर्व सूचना चाहूंगा ।

सेठ गोविन्द दास : जापानी पद्धति से जो धान या चावल बोया जाता है और जो इससे पहले हमारे तरीके से बोया जाता था उस पर जो खर्चा होता है उस में क्या अन्तर है ?

डा० पी० एस० देशमुख : खर्चा तो बहुत ज्यादा है । लेकिन जो लोग अच्छी तरह अपने देशी तरीके या पद्धति से बोया करते थे, उनको भी खर्चा ज्यादा आता है ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि जापानी प्रणाली के स्थान पर एक भारतीय प्रणाली से चावल उगाने का प्रयत्न किया जा रहा है, जो कि हमारे कृषकों की आवश्यकता से अधिक संगत होगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : यदि माननीय सदस्य ने थोड़ा कष्ट किया होता तो वे देखते कि हमने हर कहीं जापानी प्रणाली पर ज़ोर नहीं दिया है । जहां कहीं भी भारतीय प्रणाली जापानी प्रणाली से उत्तम है अथवा उतनी ही अच्छी है, वहां हमने हस्तक्षेप नहीं किया है ।

श्री मुनिस्वामी: क्या मैं जान सकता हूं कि जापानी प्रणाली की खेती अपनाने वाले किसानों को क्या सहायता दी जाती है ?

डा० पी० एस० देशमुख: हमें उन्हें आवश्यक उर्वरक दे रहे हैं। अधिकतर स्थानों पर बीज भी इसी प्रकार तत्काल भुगतान लिए बिना दिया जा रहा है। फसल उग आने और कट जाने के बाद रुपया ले लिया जाएगा।

श्री के० सुब्रह्मनण्यम्: क्या मैं जान सकता हूं कि जापानी प्रणाली से उगाए गए चावल की उपज, इस समय प्रयुक्त किए जाने वाली देशी प्रणाली की उपज की तुलना में कैसी है ?

डा० पी० एस० देशमुख: बहुत सी जगह, स्थानीय प्रणाली में जापानी प्रणाली के केवल एक अंश को अपनाया गया है और मैं निश्शंक यह कह सकता हूं कि यदि जापानी प्रणाली की सारी बातों का अनुसरण किया जाए तो उपज में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

श्री के० सुब्रह्मण्यम: क्या इस समय तुलनात्मक आंकड़े मौजूद हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख: राज्य राज्य में वे भिन्न भिन्न हैं।

श्री पुन्नूस: क्या मैं जान सकता हूं कि जब से यह प्रणाली यहां चालू की गई है, इसे त्रावणकोर-कोचीन में भी प्रयुक्त किया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख: इसे अभी प्रयुक्त किया जाना है। मुझे मालूम है कि त्रावनकोर-कोचीन के किसान बड़े होशियार हैं और औसतन उनकी उपज बहुत अच्छी होती है। परिणामों की अभी प्रतीक्षा है।

कुमारी एनी मस्करीन: क्या माननीय मंत्री जी के पास त्रावणकोर-कोचीन राज्य में धान की खेती सम्बन्धी कोई आंकड़े हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख: जी हां, कुछ आँकड़े हैं।

श्री सारंगधर दास: क्या मैं जान सकता हूं कि यह जापानी प्रणाली तंजोर में अनुसरित की जाने वाली प्रणाली की तुलना में कैसी है ?

डा० पी० एस० देशमुख: अनेक भारतीय किसान हैं जिन्हों ने बड़ी अच्छी उपज पैदा की है, किन्तु दुर्भाग्यवश यह उतने बड़े पैमाने पर नहीं है जितना कि हम चाहते हैं।

श्री ए० एम० टामस: क्या मैं जान सकता हूं कि यह सत्य है कि सिन्दरी फैक्टरी में बढ़ते हुए स्टाक के बावजूद भी, वितरण में दोष होने के कारण उन लोगों को उर्वरक मिलने में कठिनाई हो रही है जिन्हों ने कि जापानी प्रणाली अपनाई है ?

डा० पी० एस० देशमुख: हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि वितरण के दोष दूर हो जाएं। मैं इन में से कुछ दोषों से अवगत हूं।

श्री पी० एन० राजभोज: मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या जापानी मेथड गरीब लोगों के लिए अच्छी नहीं है ? इसमें बहुत खर्चा होता है, इस वास्ते गरीब लोगों के लिए मदद देने को गवर्नमेंट क्या कर रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख: उसी कारण से तो वे लोग ग़रीब हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य सूचना दे रहे हैं, प्रश्न नहीं पूछ रहे।

श्री पी० एन० राजभोज: मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि गवर्नमेंट के पास क्या सबूत है कि इससे गरीब लोगों की मदद हो सकती है ?

डा० पी० एस० देशमुख: बहुत मदद होती है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: क्या यह बात सरकार की दृष्टि में आई है कि मैसूर के

कुछ भागों में चावल उगाने की यह जापानी प्रणाली पहले से ही प्रचलित है, और 'जापानी' नाम क्यों दिया जा रहा है ?

डा० पी० एस० देशमुख: यह कहना गलत होगा कि भारत के किसी भी भाग में जापानी प्रणाली की सब बातें व्यवहार में लाई जा रही थीं किन्तु मुझे मालूम है कि कुछ अंशों में यह प्रयुक्त की जा रही है ।

श्री हेडा: क्या सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि वह समय-समय पर चावल उगाने की जापनी प्रणाली का निरीक्षण करेगी और अपना परामर्श देगी ?

डा० पी० एस० देशमुख: हमारा अपना प्रचार आन्दोलन है और हमारा इरादा अधिकतम सूचना प्रसारित करना तथा कृषकों को परामर्श देना है।

वायु परिवहन कम्पनियों को मुआवज़ा

*२४८. **श्री हेडा:** (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दोनों वायु कारपोरेशनों द्वारा विभिन्न वायु परिवहन कम्पनियों को कुल कितनी राशि मुआवज़े के रूप में दी गई है ?

(ख) 'डकोटा' प्रकार के हवाई जहाज़ के लिए सब से अधिक और सबसे कम दिया गया मुआविज़ा कितना है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राजबहादुर): (क) अभी किसी कम्पनी को कोई मुआवज़ा नहीं दिया गया है ।

(ख) यह सूचना देना तब तक सम्भव नहीं है जब तक वायु कारपोरेशन अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार मुआवज़ा अंतिम रूप से निर्धारित न हो जाए ।

श्री हेडा: क्या मंत्री महोदय बता सकेंगे कि किस समय तक यह जो कम्पनसेशन या जो कुछ भी देना है, उसका निर्धारण किया जाएगा ?

श्री राज बहादुर: अभी जो कुछ इनकी सम्पत्ति है और जो कुछ इनका कर्जा है, उसका मूल्यांकन किया जा रहा है और जैसे ही यह समाप्त होगा और विशेषज्ञों की टीम इस बात की जांच कर सकेगी, उस वक्त इनका मूल्य-निर्धारण किया जाएगा ।

श्री हेडा: मैं समय पूछ रहा था, कितना समय इसमें लगेगा ?

श्री राज बहादुर: मैं कोई निश्चित समय नहीं बता सकता । सम्भव है कि ६ महीने लग जाएं ।

श्री जयपाल सिंह: क्या यह सत्य है कि एयर इंडिया का सामान नहीं लिया गया है ?

श्री राज बहादुर: हमारी सूचना के अनुसार निश्चित तिथि पर परिसम्पत के साथ साथ सब सामान भी ले लिया गया है ।

श्री एम० खुदा बक्श: मूल्यांकन का आधार क्या है ?

श्री राज बहादुर: यह आधार अधिनियम के उपबन्धों में दिया हुआ है ।

अकालग्रस्त क्षेत्रों में मांस भरे डिब्बों का वितरण

*२४९. **श्री ईश्वर रेड्डी:** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि देश के अकालग्रस्त लोगों को बांटने के लिए इंडियन रेड क्रास के जरिये जो बुखारेस्ट से मांस के डिब्बे प्राप्त हुए हैं, उनकी सख्या कितनी है ?

(ख) इन में से कितने डिब्बे रायलसीमा में वितरित करने को दिए गए ?

(ग) यह बात सुनिश्चित करने की क्या व्यवस्था की गई है कि ये मांस के डिब्बे अकालग्रस्तक्षेत्रों में, विशेषकर रायल-सीमा में उचित प्रकार से वितरित किए जाएं ?

(घ) क्या सरकार की दृष्टि में इन डिब्बों के अनियमित वितरण अथवा गैर-वितरण सम्बन्धी कोई मामले आए हैं ?

(ङ) यदि उपर्युक्त भाग (घ) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो सरकार ने इस पर क्या कायवाही की है और इस बात को किस प्रकार सुनिश्चित किया है कि अकालग्रस्त लोगों को इन डिब्बों का समुचित वितरण हो ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) अकालग्रस्त क्षेत्रों में वितरण के लिए इंडियन रेड-क्रास सोसायटी ो मांस के डिब्बों का कोई उपहार प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते ।

श्री ईश्वर रेड्डी : क्या सरकार को विदित है कि लोकतन्त्रीय देशों के एक विश्व संघ ने बुखारेस्ट से मांस के डिब्बे भेजे हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : ये बुखारेस्ट से नहीं भेजे गये हैं; य बुडापेस्ट से भेजे गए ह, जो कि हंगरी में है ।

क्लोरोफिल

*२५०. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतालने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस विषय में पता है कि इंग्लैंड तथा अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने रासायनिक तथा रुजालय (क्लीनिकल) परीक्षणों द्वारा इस दावे का स्पष्ट रूप से खण्डन किया है कि क्लोरोफिल दुर्गन्ध नाशक है ;

(ख) क्या सरकार का इस देश में क्लोरोफ़िल की उच्च प्रकार की गुण विशेषताओं के नाम पर होने वाले झूठे विज्ञापनों को रोकने का विचार है ; तथा

(ग) क्या सरकार देहरादून की वन अनुसंधान संस्था (फोरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट) में किये गये अनुसन्धान के परिणामों को प्रकाशित करने के लिए तय्यार है जिससे कि हमारे देश के वैज्ञानिक इनका सत्यापन कर सकें ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) ब्रिटिश मैडिकल जर्नल, जर्नल आफ अमेरिकन मैडिकल सोसाइटी तथा फार्मस्युटिकल जर्नल आदि पत्रिकाओं में बहुत से लेख प्रकाशित हुए हैं, जिनमें इसके पक्ष तथा विपक्ष में बातें कही गयी हैं ।

(ख) यह उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) इस संस्था द्वारा प्रकाशित की गई पत्रिकाओं की एक सूची सदन पटल पर रखी जाती है ।

विवरण

बन अनुसंधान संस्था देहरादून के डा० पन्तम्बेकर तथा डा० पी० राम चन्द्र राव द्वारा प्रकाशित लेखों की एक सूची

(१) इण्डियन फौरेस्टर, दिसम्बर १९५१ (अंक ७७ संख्या १२) में प्रकाशित जमाये हुए तेलों को रंगने के लिये क्लोरोफिल पिगमेंट के निकालने पर एक लेख ।

(२) इण्डियन फौरेस्टर, फर्वरी १९५३ (अंक ७९ संख्या २) में प्रकाशित कॉपर क्लोरोफिल के तय्यार करने तथा इसके उपयोग पर एक लेख ।

(३) इण्डियन फौरेस्टर, दिसम्बर १९५२ (अंक ७८ संख्या १२) में प्रकाशित, वनस्पति के रंगने के लिये क्लोरोफिल ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या देहरादून में किये गये अनुसन्धान का वनस्पति के रंगने के सम्बन्ध में कोई परिणाम निकला है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इसकी जांच की जा रही है ।

आस्ट्रेलिया से खाद्यान्नों का निर्यात

*२५१. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५३ में आस्ट्रेलिया से गेहूं तथा गेहूं के आटे की कुल कितनी मात्रा का अब तक आयात किया गया है ; तथा

(ख) उसके लिये कुल कितना मूल्य दिया गया था ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) पहली जनवरी, १९५३ से ३१ जुलाई, १९५३ तक की अवधि में आस्ट्रेलिया से आयात की गई गेहूं तथा गेहूं के आटे की कुल मात्रा इस प्रकार है :—

(आंकड़े १००० टनों में)

गेहूं	२९२.९
गेहूं का आटा	५४.१
कुल योग	३४७.०

(ख) लगभग १४ करोड़ रुपये ।

डा० राम सुभग सिंह : इस वर्ष आस्ट्रेलिया से सरकार का कितना गेहूं तथा गेहूं का आटा खरीदने का विचार है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जो कुछ हम खरीदना चाहते थे वह तो हमने पहिले ही खरीद लिया है । खरीदी गई मात्रा ३,४७,००० टन है ।

पंडित एस० सी० मिश्र : गत पांच वर्षों में इस शीर्ष के अन्तर्गत इस मात्रा का अनुमानित औसत कितना है ?

उपाध्यक्ष महोदय : अस्ट्रेलिया से ?

पंडित एस० सी० मिश्र : जी हां, आस्ट्रेलिया से यदि वहां से उपलब्ध न हो तो विदेशों से मंगाये गये गेहूं तथा गेहूं की बनी चीज़ों के शीर्ष के अन्तर्गत ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : क्या माननीय सदस्य इनका मूल्य या कुल मात्रा पूछना चाहते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : औसत मात्रा ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मैं आस्ट्रेलिया से पांच या छै वर्षों में मंगाई गई मात्रा बता सकता हूं ।

१९४६	३८५,००० टन
१९४७	१९८,००० टन
१९४८	६३३,००० टन
१९४९	७९२,००० टन
१९५०	७७०,००० टन
१९५१	१९२,००० टन

पंडित एस० सी० मिश्र : क्या सरकार ने भारत की अलाभकारी ज़मीनों से गेहूं पैदा करने के किसी तरीके पर विचार किया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम अपने विषय से दूर जा रहे हैं । यह तो आस्ट्रेलिया से गेहूं मंगाने का प्रश्न है । भारत में तो बहुत सी बातें की जा सकती हैं । यह प्रश्न यहां कैसे उत्पन्न होता है ? अब मैं एक दूसरे माननीय सदस्य को प्रश्न करने के लिये कहता हूं ।

श्री केलप्पन : आयात किये गये गेहूं का मूल्य भारतीय गेहूं के मूल्य की तुलना में कैसा है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यद्यपि आयात करने पर इसका मूल्य देशी गेहूं के मूल्य से कुछ अधिक होगा, किन्तु वास्तव में यह गेहूं जिस देश से आता है वहां हम जितना मूल्य देते हैं वह भारतीय गेहूं के मूल्य से कम होगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकती हूं कि आयात किये गये गेहूं के मूल्य में होने वाली वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, क्या पिछले वर्ष आस्ट्रेलिया से मंगाये गये गेहूं का मूल्य इस वर्ष मंगाये गये गेहूं के मूल्य से कम था ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : इस वर्ष के अन्त तक अर्थात् जुलाई के अन्त तक मूल्य वही था जो पिछले वर्ष था। अगले वर्ष हम जितना मूल्य देंगे उसके बारे में अभी निश्चय किया जाना है, क्योंकि यह बात खुले बाजार के मूल्य पर निर्भर करेगी।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : हम जान सकते हैं कि फिर राशन के मूल्य क्यों बढ़ गये हैं ?

श्री किदवई : यह तो किसी ने नहीं कहा कि यह मूल्य बढ़ गये हैं क्योंकि खुले बाजार में जो मूल्य दिया गया वह वही था जो पिछले वर्ष था, और यदि खरीदते समय यही फिर होगा तो हमें अधिक मूल्य नहीं देना पड़ेगा।

उर्वरक खरीदने के लिये ऋण

*२५२. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने वर्ष १९५३ में उर्वरक के खरीदने तथा वितरण करने के लिये किसी राज्य सरकार को कोई ऋण दिया है;

(ख) यदि ऐसा है, तो किन राज्य सरकारों को ; तथा

(ग) उनको दिये गये ऋण की कुल राशि कितनी है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). एक विवरण, जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३**]

डा० राम सुभग सिंह : मैं जान सकता हूं कि राज्य सरकारों को किस आधार पर ऋण दिये गये हैं, और जिन राज्य सरकारों को ये ऋण दिये गये हैं क्या वे किसानों को कृषिसार समान आधार पर दे रहीं हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख ये ऋण राज्य की आवश्यकताओं तथा उवरक के सम्भावित उपभोग के अनुसार दिये जाते हैं। जो कि प्रत्येक राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के बीच पारस्परिक बात चीत द्वारा निश्चित किया गया था, और ऐसी आशा की जाती है कि उन सभी किसानों को जिन्हें इसकी आवश्यकता है और जो इसे अच्छे तरीके से खेती के लिये प्रयोग में लायेंगे, यह मिलेगा।

डा० राम सुभग सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या इन ऋणों के दिये जाने के परिणामस्वरूप, सम्बद्ध राज्यों के किसान जितने उर्वरक का उपयोग पहिले करते थे उसकी अपेक्षा इस वर्ष वे इसका अधिक उपयोग कर सकेंगे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : मुझे ऐसा लगता है कि इस सम्बन्ध में कुछ मिथ्या धारणा है। यह ऋण नकद नहीं दिया जाता। यह उर्वरक उन्हें ऋण के रूप में वितरण करने के लिये दिया गया है और इसका मूल्य फसल कटने के समय पर लिया जायगा।

श्री दाभी : क्या इन ऋणों पर कोई ब्याज भी लिया जाता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां। ३.१२५ की दर से ब्याज लिया जाता है।

डा० सुरेश चन्द्र : मैं जान सकता हूं कि क्या राज्य सरकारों को जो धन दिया जाता है उस पर भारत सरकार कोई नियंत्रण रखती है ?

श्री किदवई : मैं ने बताया तो कि राज्य सरकारों को कोई धन नहीं दिया गया है। यदि वे उर्वरक का दुरुपयोग कर सकती हैं तो वे ऐसा कर सकती हैं।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि स्टेट को-ओपरेटिव बैंक ऑफ़ बिहार (बिहार का राज्य सहकारी बैंक) के अधीन कृषि सम्बन्धी ऋण देने वाली समितियों को, जो उर्वरक वितरण कार्य कर रही हैं, बिहार राज्य में बड़े पैमाने पर बन्द किया जा रहा है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे इसका पता नहीं। मुझे इसकी पूर्व सूचना चाहिये।

श्री कक्कन : गत वर्ष मद्रास राज्य में वर्षा न होने के कारण, किसान अपने ऋणों को चुका नहीं सकते। अतः मैं माननीय मंत्री से पूछ सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार मद्रास सरकार को इन ऋणों को आगामी वित्तीय वर्ष में वसूल करने का अनुदेश देगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : यदि इस प्रश्न का सम्बन्ध इस वर्ष दिये गये ऋणों तथा उर्वरक देने से है, तो उसका भुगतान अभी किया जाना ज़रूरी नहीं है। मुझे गत वर्ष की स्थिति का पता नहीं। मुझे इसकी पूर्व सूचना चाहिये।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में कोई अनुदेश जारी किये हैं कि जिन किसानों के पास पांच एकड़ से कम ज़मीन होगी उन्हें ऋण के रूप में उर्वरक नहीं दिये जायेंगे ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी नहीं। ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

डा० राम सुभग सिंह : मैं जान सकता हूं कि सिन्द्री फैक्टरी में उर्वरक का जो स्टॉक जमा हो गया था, जिसके कारण इस वर्ष जनवरी और फरवरी में काफी परेशानी पैदा हो गई थी, क्या इस नई प्रणाली के लागू करने के फलस्वरूप, सब निकाल दिया गया है, और यदि सब नहीं तो कितना निकाला गया है ?

श्री किदवई : इस स्टॉक में से बहुत अधिक उर्वरक पूरे देश में बांट दिया गया है। अतः इसका इतना अधिक स्टॉक जमा नहीं है जितना कि यह उस समय था जब कि ये रिपोर्ट समाचार-पत्रों में प्रकाशित की गई थी।

टिड्डी दल

*२५३. **डा० राम सुभग सिंह**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत चार महीनों से पाकिस्तान से भारत में टिड्डी दल आए हैं ;

(ख) क्या उत्तर-पश्चिम भारत के रेगिस्तान-क्षेत्रों में टिड्डी के प्रजनन में कुछ वृद्धि हुई है ; तथा

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा टिड्डी-उपद्रव का सामना करने के लिए क्या पग उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) हां।

(ख) हां।

(ग) टिड्डी-उपद्रव का सामना करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए पगों को बताने वाला एक विवरण सदन-पटल

पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४**]

डा० राम सुभग सिंह : लोकस्ट स्वामर्स (टिड्डी दल) का मुकाबला करने के लिए सरकार की ओर से जो प्रबन्ध किया गया है, क्या वह पर्याप्त है और ठीक तरह से काम कर रहा है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां।

डा० राम सुभग सिंह : यहां दिल्ली में पिछले महीने जो लोकस्ट का स्वामर्स आया था, उसका मुकाबला करने के लिए समय पर क्यों नहीं कोई इन्तज़ाम किया जा सका ?

डा० पी० एस० देशमुख : जब यह लोकस्ट ऊपर से भागते हैं तो उस वक्त उन पर हमला करना या उनको डिस्ट्राय करना बहुत मुश्किल हो जाता है।

सेठ गोविन्द दास: इन टिड्डियों का इस वर्ष देश के किस किस हिस्से में आने का भय है और इस सम्बन्ध में विशेषज्ञों ने क्या कोई राय दी है ?

डा० पी० एस० देशमुख : वह तो आये और चले भी गये हैं।

सेठ गोविन्द दास : मैं यह जानना चाहता था कि इस वर्ष और अधिक भय देश के किस किस हिस्से में है, इस सम्बन्ध में कोई विशेषज्ञों की राय सरकार को मिली है ?

डा० पी० एस० देशमुख: दुर्भाग्य से टिड्डियां बहुत दूर तक जा सकती हैं। वे पश्चिमी बंगाल तक या मद्रास तक जा सकती हैं। वे उड़ीसा तक भी पहुंची हैं। अतः शायद त्रावणकोर-कोचीन और मैसूर को छोड़कर मुश्किल से ही कोई राज्य इनसे मुक्त हो सकता है।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन लोकस्ट्स पर आक्रमण करने के लिए कितने अफ़सर लगाये गये हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : जितने ज्यादा लोकस्ट होंगे उतने ही ज्यादा अफ़सर लगेंगे।

श्री टी० के० चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन टिड्डियों द्वारा पहुंचाई गई हानि के कुछ आंकड़े सरकार के पास हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : हमने सविवरण वृत्तान्त मांगा है, पर कहीं से भी किसी भारी हानि का समाचार नहीं मिला।

श्री दाभी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या टिड्डियों को उनके प्रजनन-स्थान में मार देना संभव नहीं है ?

डा० पी० एस० देशमुख: हां, श्रीमान्। इसी उपाय से तो हम उन्हें मार सकते हैं।

श्री राधेलाल व्यास : क्या मैं जान सकता हूं कि जो पंख वाले लोकस्ट हैं उनका मारा जाना कठिन है और केवल हौपर्स को ही मारा जा सकता है ?

श्री पी० एस० देशमुख: हां, यह बिल्कुल दुरुस्त है।

श्री मुनिस्वामी: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या पाकिस्तानी टिड्डी-दल और भारतीय-टिड्डी दल के बीच विभेद करने का कोई उपाय मिल गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : अब तक तो नहीं।

सरदार हुक्म सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या किसी ऐसे देश ने, जिसके साथ टिडडी-दल को रोकने या मारने के लिए

हमारा समझौता चल रहा है, हमें यह सूचना दी है कि भारत पर तुरंत एक भारी आक्रमण होने की सम्भावना है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हां, श्रीमान् । पिछले कुछ महीनों में हमें बताया गया है कि इस वर्ष टिड्डियों के भारी आक्रमण की संभावना है ।

सरदार हुक्म सिंह : वे कौन से देश हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : एक अंतर्राष्ट्रीय संघटन है, जो समय-समय पर हमें सहायता देता है । किसी देश विशेष की बात नहीं है । अरब से अफगानिस्तान तक और पाकिस्तान समेत सभी देश इसमें हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : मेरा प्रश्न यह था कि किन देशों से आक्रमण का भय है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : वे पाकिस्तान से होकर आती हैं ।

डा० पी० एस० देशमुख : यह बताना कठिन है । कभी-कभी वे सीधे भी आ सकती हैं ।

श्री वीरस्वामी : क्या टिड्डियों के दक्षिण की ओर जाने की कुछ भी संभावना है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मद्रास को छोड़ कर दक्षिण टिड्डियों से काफी बचा हुआ है ।

बाबू रामनारायणसिंह : अभी मंत्री महोदय ने कहा कि टिड्डियों का आक्रमण रोकने में सरकार असमर्थ है, मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि कभी आदमियों का आक्रमण होगा तो सरकार उस को रोकने में समर्थ होगी या नहीं ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : जरूर ।

श्री राधेलाल व्यास : क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जैसे सन् १९४० और ४६ की साईकिल में इन टिड्डियों को मारने के लिये डिफन्स डिपार्टमेंट (प्रतिरक्षा विभाग) से काफी मदद ली गई थी, इस वर्ष डिफेन्स डिपार्टमट से कोई मदद ली जा रही है, और अभी तक डिफन्स डिपार्टमेंट ने इस सम्बन्ध में क्या किया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : केवल प्रतिरक्षा विभाग वालों से ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति से इस संबंध में पूरी पूरी सहायता मांगी जा रही है । जिस प्रकार हमने गत वर्ष उनसे सहायता ली थी, उसी प्रकार इस वर्ष भी पिछले वर्ष की अपेक्षा पहले ही हम उनसे सहायता ले रहे हैं ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : क्या यह सच है कि टिड्डियों का प्रजन-स्थान ईरान है और ईरान सरकार टिड्डियों के मारने में हमें कोई सहायता नहीं देती ?

डा० पी० एस० देशमुख : जैसा माननीय सदस्यों ने समाचार-पत्रों में देखा होगा, हमने कुछ लोगों को सामग्री के साथ मध्यपूर्व देशों में भेजा है और अंतर्राष्ट्रीय आधार पर उनका संहार किया जा रहा है ।

श्री राधा रमण उठे——

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न । इस प्रश्न पर बहुत कुछ कहा जा चुका है ।

अखिल भारतीय टेलीग्राफ लाइन कर्मचारी संघ की मांगें

*२५५. **श्री गिडवानी :** क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि कलकत्ते में २४ मई, १९५३ को हुए अखिल भारतीय टेलीग्राफ-लाइन कर्मचारी संघ के सम्मेलन में यह मांग की गई थी कि उनकी शिकायतों की पड़ताल करने और उपाय

सुझाने के लिये एक उच्च अधिकार पूर्ण अधिकरण नियुक्त किया जाय ;

(ख) क्या सम्मेलन ने सरकार से यह भी अनुरोध किया था कि उनके वेतनों का पुनरीक्षण किया जाए, गृह-व्यवस्था सुधारी जाय और उनको चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें प्रदान की जाएं; तथा

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन मांगों पर विचार किया है और उसका उनके विषय में क्या निर्णय है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हां । सरकार ने निर्दिष्ट संकल्पों की एक प्रति देखी है, जिन में अन्य बातों के साथ लाइन-कर्मचारी वर्ग की शिकायतों की जांच करने के लिए एक उच्च अधिकार वाले अधिकरण की स्थापना की मांग की गई है ।

(ख) हां ।

(ग) विषय पर विचार हो रहा है और यथासमय संघ के पास उत्तर भज दिया जाएगा ।

श्री गिडवानी : इसमें कितना समय लगने की संभावना है ?

श्री राज बहादुर : संकल्पों की एक प्रति हमारे पास तब तक नहीं भेजी गई, जब तक हमने उसे मांगा नहीं, और संघ ने जुलाई, १९५३ की आखिरी तारीख को ही इसे हमारे पास भेजा है ।

श्री नानादास: मैं जान सकता हूं कि किन श्रेणियों के डाक-कर्मचारियों को मकान दिए जाते हैं ?

श्री राज बहादुर : सभी श्रेणियों के डाक-कर्मचारियों को मकान उपलब्ध होने पर क्रमानुसार मकान दिए जाते हैं ?

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि आजकल चिकित्सा विषयक क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जाती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्तुत प्रश्न से यह प्रश्न मुश्किल से निकलता है । इस प्रश्न का संबंध टेलिग्राफ-लाइन कर्मचारी संघ द्वारा पारित संकल्पों से है । उससे संबंधित कुछ प्रश्न रखे जाते, तो ठीक रहता ।

अगला प्रश्न ।

केन्द्रीय ट्रैक्टर संघटन की कार्यप्रणाली की जांच

*२५६. **श्री गिडवानी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ध्यान हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली के २१ मई, १९५३ के अंक के पृष्ठ ७ पर प्रकाशित संपादकीय लेख की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें केन्द्रीय ट्रैक्टर संघटन की कार्यप्रणाली की जांच की मांग की गई है ?

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय ट्रैक्टर संघटन द्वारा पंजाब सरकार को दिए गए १२६ ट्रक्टरों में केवल ३८ ही चालू थे, जैसा कि उपर्युक्त संपादकीय लेख में कहा गया है ?

(ग) शेष ट्रैक्टर किस कारण चालू न थे ?

(घ) पंजाब सरकार को दिए गए ट्रैक्टरों की कुल लागत क्या थी ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) से (घ). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५]

श्री गिडवानी : मेरे प्रश्न के उत्तर में रखे गये विवरण में बताया गया है कि 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में उक्त टिप्पणी के प्रकाशित होने से पहिले ही सरकार एक संसद् सदस्य के सभापतित्व में एक

समिति नियुक्त कर चुकी है । मैं जान सकता हूं कि उनका नाम क्यों नहीं बताया गया है ? संबंधित सदस्य कौन हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : यदि माननीय सदस्य जानना चाहते हैं, तो मैं नाम बता सकता हूं । कर्नल जैदी वह सदस्य हैं, जो उस समिति के सभापति हैं ।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी को यह बात मालूम है कि ज्यादातर ट्रक्टर जो कि बिगड़ जाते हैं, जल्दी से इस लिए काम में नहीं लाए जा सकते कि उनके अतिरिक्त हिस्से मिलन में दिक्कत होती है, और इस संबंध म उनके अतिरिक्त हिस्से मिल जाएं, सरकार क्या कर रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : नियमानुसार ट्रक्टर-व्यापारियों से यह आशा की जाती है कि ट्रैक्टरों के मूल्य के १५ प्रति शत तक के अतिरिक्त पुर्जे अपने पास रखें । हम इस प्रश्न पर पुर्नविचार कर रहे हैं और हम ऐसी चेष्टा कर रहे हैं कि ट्रैक्टरों का संभरण करने वाले सार्थों के ऊपर उनकी मरम्मत के प्रबंध करने का भार रखा जाए ।

श्री गिडवानी : विवरण में बताया गया है कि समिति ने अपने काम में भारी प्रगति की है । क्या मैं इस प्रगति को जान सकता हूं ? क्या समिति ने सरकार के पास कोई अन्तरिम प्रतिवेदन भेजा है ?

डा० पी० एस० देशमुख : नहीं, श्रीमान् । कोई भी अन्तरिम प्रतिवेदन नहीं आया है । ऐसी आशा है कि कुछेक सप्ताहों में समिति का प्रतिवदन प्राप्त हो जाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एस० एन० दास ।

श्री गिडवानी : और कार्यप्रणाली संबंधी जांच के विषय में ....

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्य मेरी भी बात सुनें । मैं श्री श्री नारायणदास को बुला चुका हूं ।

श्री एस० एन० दास : क्या यह बात सही है कि केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन की ओर से बहुत बड़ी तादाद में इस के कल पुर्जे और हिस्से मंगाये गये हैं, जो कि बरसों तक काम में आने लायक नहीं और इस वजह से सरकार को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं समझता हूं कि यह सवाल बिल्कुल अलग है, यह तो पंजाब के ट्रैक्टरों का सवाल है । मैं नहीं समझता कि जो कुछ आनरेबिल मेम्बर साहब ने पूछा है उस की कोई निस्बत इस से है ।

उपाध्यक्ष महोदय : सरदार हुक्म सिंह ।

श्री गिडवानी खड़े हुए—

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । सारे प्रश्नों का माननीय सदस्य को ही ठेका नहीं दिया जा सकता है । क्या मैं उन्हें आधे घन्टे तक बहस करने दूं तथा अन्य माननीय सदस्यों को अवसर न दूं ?

श्री गिडवानी : श्रीमान्, क्या मुझे प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने पहले ही माननीय सदस्य को दो प्रश्न पूछने दिये हैं । क्या मैं उन्हें दस प्रश्न पूछने दूं ? यह आवश्यक है कि मैं चारों ओर बैठे हुए माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछने का अवसर दूं ।

डा० राम सुभग सिंह : उन्हें और अधिक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाना चाहिये ।

श्री केलप्पन : सूचना मालूम की जानी चाहिये और यही महत्वपूर्ण बात है ।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । स्थिति इस प्रकार है । कुछ माननीय सदस्य प्रश्न पूछने की सूचना देने का कष्ट उठाते हैं । अन्य माननीय सदस्य यहां आ कर कुछ प्रश्नों से लाभ उठाते हैं और प्रश्न पर प्रश्न पूछते चले जाते हैं । वे स्वयं प्रश्न की सूचना देने का कष्ट क्यों नहीं उठाते, यहां पर एक के बाद दूसरा अनुपूरक प्रश्न क्यों पूछते चले जाते हैं ? मैं उस व्यक्ति को दो या तीन अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दे सकता हूं जिस ने मूल प्रश्न की सूचना दी हो । परन्तु क्या मैं सारे प्रश्न पूछने का ठेका उसे ही दे दूं तथा और दूसरी ओर बैठे हुए अन्य किसी माननीय सदस्य को प्रश्न पूछने की अनुमति न दूं । वह भी एक निर्वाचन क्षेत्र या दल का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा उन का अपना दृष्टिकोण हो सकता है । मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं उस व्यक्ति को, जिस ने मूल प्रश्न की सूचना दी है, पांच प्रश्नों से अधिक पूछने की अनुमति नहीं दूंगा और वह इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रश्न महत्वपूर्ण है अथवा नहीं । इस मामले में मैं ने माननीय सदस्य को दो प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी थी तथा अब मैं अन्य माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछने का अवसर देने जा रहा हूं । अन्त में, मैं उन्हें इस सम्बन्ध में एक और अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा । यदि इस बीच में वह अपना धैर्य खो बैठें तो मैं क्या कर सकता हूं ?

सरदार हुकम सिंह : क्या यह सत्य है कि विवरण में जिन ८४ ट्रैक्टरों के बारे में यह उल्लेख किया गया है कि वे अच्छी हालत में थे, उन में से अधिकतर बिगड़ गये और उन का प्रयोग नहीं किया जा सका क्योंकि केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के पास फालतू पुर्जे नहीं थे जो वह पंजाब सरकार को दे सकता ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं इस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहता हूं । परन्तु मैं सदन को यह बतला दूं कि पंजाब सरकार को ट्रैक्टर देने से पहले स्वयं उस का ही एक इंजीनियर इन की परीक्षा कर गया था ।

श्री गिडवानी : क्या यह सत्य है कि दिल्ली की राज्य सरकार को जो ट्रैक्टर दिये गये थे वे भी चालू हालत में नहीं थे तथा क्या उस ने भी इसी की शिकायत की है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस प्रश्न का सम्बन्ध पंजाब सरकार से है । इस समय मेरे पास दिल्ली राज्य सरकार के सरकारी ट्रैक्टरों के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है ।

श्री गिडवानी : केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन क्या है ? सरकार का कहना है कि पंजाब सरकार ने जो हानि उठाई है उस से उस का कोई सम्बन्ध नहीं है, किन्तु केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन ने भी तो कुछ हानि उठाई है । क्या यह केन्द्रीय संगठन भारत सरकार के अन्तर्गत काम नहीं कर रहा है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां, श्रीमान् ।

डा० सुरेश चन्द्र : केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन में कितने ट्रैक्टर बिगड़े पड़े हैं जिन्हें प्रयोग नहीं किया जा सकता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यदि माननीय सदस्य उन ट्रैक्टरों के बारे में पूछ रहे हैं जो इस प्रश्न में शामिल नहीं हैं तो मैं पूर्व सूचना चाहूंगा ।

श्री दामोदर मेनन : प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध सामान्यतः केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन से है न कि विशेषतः पंजाब सरकार को दिये गये ट्रैक्टरों से ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री के पास केवल उन्हीं ट्रैक्टरों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध है ।

श्री केलप्पन : संगठन में कुल कितने ट्रैक्टर हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं यह इसी समय नहीं बतला सकता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों को बतला दूं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाया जाने वाला केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन या और कोई संगठन प्रति वर्ष प्रशासन रिपोर्ट प्रकाशित करता है तथा उन की प्रतियां पुस्तकालय में उपलब्ध रहती हैं । प्रकाशित रिपोर्टों में जो कुछ उपलब्ध न हो उस के सम्बन्ध में प्रश्न पूछे जाने चाहियें । बार बार मैं यही देखता हूं कि जब किसी संस्था का निर्देश किया जाता है, उदाहरण के लिये, पटसन कमेटी को ही ले लीजिये, तो पटसन कमेटी की आर्थिक दशा, संगठन या उस के अध्यक्ष के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं जबकि यह सब सूचना यहां उपलब्ध है । केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के बारे में यहां पर काफी सूचना उपलब्ध है । यदि कोई नई बात होती है या पढ़ने के पश्चात् कोई बात समझ में नहीं आती है तो उस के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है । पुस्तकालय में जिन विषयों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध है उन के सम्बन्ध में प्रश्न पूछने की अनुमति देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है किन्तु इस से अनावश्यक रूप से सदन का समय ले लिया जायगा तथा अन्य सदस्य अपने अपने प्रश्न पूछने से रह जायेंगे ।

बम्बई में बीमा कर्मचारियों की शिकायतें

***२५७. श्री गिडवानी** : (क) **श्रम मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि २१ मई, १९५३ को जब भारत सरकार के मुख्य श्रम आयुक्त बम्बई पधारे थे तो बम्बई शहर के बीमा कर्मचारियों ने प्रादेशिक श्रम आयुक्त के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया था ?

(ख) यह सत्य है कि मुख्य श्रम आयुक्त ने उन की शिकायतों के बारे में जांच करने का वचन दिया था ?

(ग) यदि हां, तो क्या उन की शिकायतों के बारे में जाच की गई है तथा उन्हें दूर किया गया है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) जब मुख्य श्रम आयुक्त कुछ संघों द्वारा रखी गई मांगों पर सामान्य चर्चा कर रहे थे तो प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) बम्बई के कार्यालय में लगभग २०० बीमा कर्मचारी आ गये थे ।

(ख) मुख्य श्रम आयुक्त ने कर्मचारियों से कहा था कि वह उन की शिकायतों के बारे में जांच कर रहे हैं ।

(ग) समझौता कराने की दृष्टि से, मुख्य श्रम आयुक्त ने २९ जून, १९५३ को बीमा कम्पनियों के प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त बैठक बुलाई थी जिस में कुछ प्रयोगात्मक निश्चय भी किये गये थे । वेतन श्रेणी, भत्ता तथा अन्य मांगों के सम्बन्ध में छानबीन करने के लिये इस बैठक में प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की एक उप-कमेटी भी नियुक्त की गई थी । अगस्त, १९५३ के अन्त में होने वाली एक बैठक में उप-कमेटी द्वारा किये गये निश्चयों को रखा जायेगा ।

रात्रि वायु डाक सेवा

***२५८. श्री हेडा** : **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उन शहरों के अलावा, जहां पर इस समय रात्रि वायु डाक सेवा की व्यवस्था है, अन्य शहरों में ऐसी व्यवस्था करने का विचार है ।

सचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । क्योंकि अब समस्त वायु सेवाओं को

भारतीय वायुसेवा निगम ने अपने हाथ में ले लिया है, इसलिये निस्सन्देह ही, वह अन्य शहरों में भी रात्रि वायु डाकसेवा की व्यवस्था करने की संभावना पर विचार करेगा।

श्री हेडा: त्रिवेंद्रम, बंगलौर और हैदराबाद जैसे महत्व के शहर नाइट एअर मेल से टच नहीं किये जाते हैं। क्या इस बारे में सरकार कुछ सोच रही है?

श्री राज बहादुर: जैसा मैं ने निवेदन किया इंडिया एअर लाइन्स कारपोरेशन इस मामले पर विचार करेगा।

श्री नानादास: क्या सरकार विजयवाडा में रात्रि वायु डाक सेवा की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर विचार करेगी?

उपाध्यक्ष महोदय: यह तो कार्यवाही के लिये सुझाव है।

श्री राज बहादुर: मैं इस बारे में निश्चित रूप से नहीं कह सकता।

परिवार नियोजन

*२६०. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा**: (क) क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि देश की वालेन्टरी संस्थाओं ने, भारत में परिवार नियोजन का प्रचार करने में सहायता प्राप्त करने के लिये, सरकार या योजना आयोग से बात चीत की है?

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या कोई सहायता दी गई है?

(ग) क्या सरकार द्वारा, परिवार नियोजन का कार्यक्रम बनाने के लिये एक समिति नियुक्त की गई है?

(घ) यदि ऐसा है तो उस के सदस्य कौन कौन हैं?

(ङ) इस दिशा में उन्हों ने कौन कौन से कार्य किये हैं?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) हां।

(ख) यह विषय विचाराधीन है।

(ग) तथा (घ). सदन पटल पर उस आदेश की एक प्रतिलिपि रक्खी है जिस के द्वारा परिवार नियोजन गवेषणा तथा कार्यक्रम समिति की रचना की गई थी। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६]**

(ङ) इस समिति की पहली बैठक बम्बई में जुलाई १९५३ में हुई थी। उस के प्रतिवेदन की राह देखी जा रही है।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा: क्या मैं जान सकता हूं, श्रीमान्, कि सरकार परिवार नियोजन के यथोचित उपायों तथा विधियों का अन्तिम रूप से पता लगा चुकी है तथा उस ने ऐसे उपाय ढूंढ लिये हैं जिस से इन उपायों का ज्ञान दूर दूर तक पहुंचाया जा सकता है?

श्रीमती चन्द्रशेखर: श्रीमान्, यह सब उस समिति के प्रतिवेदन पर निर्भर करता है जो अभी हाल ही में नियुक्त की गई है तथा जिस के प्रतिवेदन की राह देखी जा रही है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: क्या मैं जान सकती हूं, श्रीमान्, कि इस क्षेत्र में कौन कौन सी ऐच्छिक संस्थायें कार्य करती रही हैं तथा उन के प्रयत्नों का क्या परिणाम हुआ?

श्रीमती चन्द्रशेखर: इस के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

डा० एम० एम० दास: क्या मैं जान सकता हूं कि, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त की जाने वाली समिति की नियुक्ति केवल इसलिये की गई है कि वह परिवार नियोजन के उस विशेष विधि का समर्थन करे जिस की केन्द्रीय सरकार ने सिफारिश की है, या उस को इसलिये नियुक्त किया गया है, कि वह स्वयं

पता लगावे कि कौनसे उपाय इस देश के लिये यथोचित होंगे ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : किसी विशेष उपाय के लिये नहीं वरन्, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है इस के द्वारा सभी बातों पर विचार किया जायेगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं जान सकती हूं, श्रीमान्, कि इस समिति के पथ-निर्देशन के लिये यह निर्धारित कर दिया गया है कि ऐसे साधन उपलब्ध करने के लिये कितना व्यय ग्रामीण क्षेत्रों में तथा कितना नगरों में किया जाय ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : इस का निर्णय अभी तक नहीं किया गया है, श्रीमान् ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : वालेंटरी संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने से पहले कौन कौन सी बातों का इन संस्थाओं द्वारा, पूरा किया जाना आवश्यक समझा जाता है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : यह सब उस प्रतिवेदन पर निर्भर करेगा जो उस समिति से प्राप्त होगा जिस की बैठक गत मास में हो चुकी है ?

श्री अच्युतन : क्या मैं जान सकता हूं, श्रीमती, कि इस समिति के प्रतिवेदन भेजने के लिये कोई अवधि सीमा निर्धारित की गई है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : श्रीमान्, कुछ ही दिनों में प्रतिवेदन आता होगा ।

डा० एम० एम० दास : क्या मैं जान सकता हूं, श्रीमान्, कि क्या यह तथ्य है कि अब तक परिवार नियोजन सम्बन्धी केन्द्रीय सरकार की कार्यवाहियां एक ऐसे उपाय तक सीमित रही हैं जो अभी तक प्रयोग की स्थिति में हैं तथा अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा, लाभदायक नहीं माना गया है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : श्रीमान्, सदस्य ने कहा है कि केन्द्रीय सरकार परिवार नियोजन के एक उपाय पर विचार कर रही है । यह सच है और वह उपाय अभी तक प्रयोग की स्थिति में है ।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या सरकार को पता है कि ऐसे उपायों की महात्मा गांधी द्वारा निन्दा की जा चुकी है ?

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

गेहूं तथा चावल के मूल्यों में वृद्धि

***२६१. श्री के० पी० सिन्हा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि १९५३ में, भारत के गेहूं उगाने वाले क्षेत्रों में, गेहूं की गल्ला वसूली रोक दी गई थी ?

(ख) अब तक जमा किये जाने वाले चावल तथा गहूं की कुल मात्रा; तथा

(ग) क्या यह तथ्य है कि अप्रैल तथा मई के महीनों में, भारतीय संघ के सारे राज्यों में विशेषकर बिहार के राज्य में चावल तथा गेहूं का मूल्य बहुत बढ़ गया ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) उत्तर प्रदेश तथा पंजाब को छोड़ कर अन्य राज्यों में गेहूं की गल्ला वसूली चालू वर्ष में, सदा की तरह जारी रही है । उत्तर प्रदेश में गल्ला वसूली एक दम बन्द कर दी गई है तथा पंजाब में एकाधिकार द्वारा की जाने वाली गल्ला वसूली बन्द कर दी गई है । अब, राज्य, मंडी से क्रय करता है जब बाजार भाव उस के पक्ष में होता है ।

(ख) १-१-५३ से लेकर १८-७-५३ तक की अवधि में १,१५० हजार टन चावल तथा २०७ हजार टन गेहूं जमा किया गया है ।

(ग) अप्रैल तथा मई के महीनों में आम तौर से चावल की कमी होती है तथा इस वर्ष भी इन महीनों में भाव चढ़ गये थे ।

और सब बातों को देखते हुए इस वर्ष अप्रैल तथा मई के महीनों में चावल का मूल्य गत वर्ष के इन्हीं महीनों के मूल्य की अपेक्षा कम था, जिस से प्रगट होता है कि यह मूल्य के दीर्घकाल झुकाव की गिरावट को प्रगट करता है ।

जहां तक गेहूं का सम्बन्ध है, अप्रैल सब से अधिक क्रय-विक्रय का काल है तथा फरवरी-मार्च की तुलना में इस महीने के मूल्य सामान्य रूप से कम होते थे । मई में, स्थिति बड़ी अनिश्चित रही है, उत्तर प्रदेश में तथा बिहार हिमाचल प्रदेश इत्यादि के कुछ भागों में मूल्य, मार्च के मूल्य से आम तौर पर कम थे परन्तु, मध्य प्रदेश, हैदराबाद, मध्य भारत, विन्ध्य प्रदेश इत्यादि में वे मार्च के मूल्य से कुछ अधिक थे । गेहूं के सम्बन्ध में भी बिहार, उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र इत्यादि में अप्रैल-मई १९५३ के मूल्य, गत वर्ष के इन्हीं महीनों के मूल्यों की तुलना में कम थे जिस से प्रगट होता है कि गेहूं के मूल्यों का दीर्घकालीन झुकाव भी गिरावट की ओर था ।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि उत्तर प्रदेश तथा पंजाब के राज्यों के लिये निश्चित किया जाने वाला गेहूं का कुल गल्ला वसूली का लक्ष्य क्या था ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इस वर्ष उत्तर प्रदेश में गेहूं की कोई भी गल्ला वसूली नहीं की गई ।

श्री नानादास : आन्ध्र में चावल की सरकारी खरीद की दर क्या है तथा खुला बाजार के भाव क्या हैं जो कि प्रचलित हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : फसल के आरंभ में, अर्थात् फसल कटने के तुरन्त बाद ही, मद्रास राज्य के कुछ जिले, विशेषकर बेजवाड़ा तथा गुन्टूर, अत्यधिक अतिरिक्त खाद्यान्न वाले जिले थे । उस समय बाजार भाव तथा सरकारी क्रय की दर में समानता थी । परन्तु कमी के महीनों में बाजार भाव बढ़ गये अच्छी वर्षा होने के कारण भाव फिर नीचे आ रहे हैं ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं, श्रीमान्, कि पश्चिमी बंगाल में चावल की सरकारी खरीद कम होने के कारण, उस राज्य सरकार की ओर से ५०,००० टन चावल के अतिरिक्त संभरण की प्रार्थना की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : उन को चावल की अतिरिक्त मात्रा का संभरण किया जा चुका है ।

डा० रामा राव : क्या सरकार को पता है कि पूर्वी गोदावरी के अतिरिक्त जिले में धान की सरकारी खरीद का मूल्य २० रुपये से कम है जबकि बाजार भाव गत तीन चार मास से ३० रुपये—बहुधा ३५ रुपये—से अधिक है ?

श्री किदवई : मेरा विचार है कि माननीय सदस्य अनुभव करेंगे कि सरकारी खरीद इसी लिये की जाती है कि खुले बाजार का भाव बहुत अधिक हो गया है ।

श्री नानादास : आन्ध्र में कितने टन चावल की सरकारी खरीद की गई थी ?

उपाध्यक्ष महोदय : भाव की वृद्धि, टनों की नहीं ।

श्री किदवई : आन्ध्र तथा मद्रास के अन्य भागों के अलग अलग आंकड़े हमारे पास अभी तक नहीं आये हैं ।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकारी खरीद क्यों बन्द कर दी गई खास तौर से जब कि आयात अभी तक हो रहा है ?

श्री किदवई : पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में सरकारी खरीद बन्द कर दी गई है । अभी तक

हम उत्तर प्रदेश को गेहूं की बहुत बड़ी मात्रा का संभरण करते थे परन्तु संभवतः इस वर्ष उन्हें आवश्यकता नहीं होगी । क्योंकि खुले बाजार का भाव सरकारी दुकानों के भाव से कम है और बाजार में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध है ।

रेलवे शताब्दी प्रदर्शनी

***२६२. श्री के० पी० सिन्हा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार द्वारा दिल्ली में हुई रेलवे शताब्दी प्रदर्शनी के समारोह पर किया जाने वाला व्यय ;

(ख) प्रवेश टिकटों, दुकानों के किराये आदि से होने वाली कुल आय ; तथा

(ग) रेलवे शताब्दी प्रदर्शनी के समारोह के संबंध में किये गये कार्यों या प्रदर्शनी के प्रचार पर किये गये विभिन्न व्यय ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) नई दिल्ली में भारतीय रेलों की शताब्दी प्रदर्शनी पर, होने वाले व्यय का अनुमान १३.४५ लाख रुपये लगाया जाता है । सही सही आंकड़ों का पता तभी लगेगा जब सभी व्ययों का पता लगेगा तथा हिसाब बन्द किया जायेगा ।

(ख) प्रवेश टिकटों की बिक्री ...	२,०२,८६० रु०
निजी दुकानों के मालिकों, मनोरंजन पार्क, उपहार के ठेकेदारों तथा गोदामों आदि से	रु० ४,४६,०६३-११-६
कुल	रु० ६,५१,६५३-११-६

(ग) शताब्दी दिवस, १६ अप्रैल, १९५३ को समारोह पर किया गया व्यय ७,२७२-४-० था और प्रदर्शनी के प्रचार पर किया गया व्यय ५३,०४० रु० था ।

श्री फ्रैंक एन्थनी : क्या मन्त्री यह बता सकते हैं कि मनोरंजन पर कितना व्यय किया गया था ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या उन के पास विभिन्न अलग-अलग सूचनायें हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : श्रीमान्, हमारे पास अलग अलग आंकड़े नहीं हैं ।

श्री फ्रैंक एन्थनी : क्या यह सही है कि मनोरंजन पर व्यय की गई राशि लगभग एक लाख रुपये के करीब होगी ?

सेठ गोविन्द दास : यह जो प्रदर्शनी दिल्ली में हुई थी वह क्या अब अन्य स्थानों में भी जा रही है, और अगर जा रही है तो क्या सरकार को यह बात मालूम है कि जहां जहां पर अब तक यह गयी है वहां पर यह इतने थोड़े समय तक ठहरी है कि लोग उस को नहीं देख पाये हैं और बहुत भीड़ हुई है और लोगों को बहुत दिक्कत उठानी पड़ी है ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : जी हां, यह बात सही है कि दो प्रदर्शनी ट्रेन्स, एक मीटर गेज और एक ब्राड गेज, मुल्क के अलग अलग हिस्सों में जा रही हैं । उन के लिये कुछ जगहों पर, खास तौर पर मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा भीड़ हुई है । नागपुर से हमारे पास यह खबर आई कि प्रदर्शनी वहां तीन रोज रुकने के बजाय चार रोज रोकी जाय । तो मांग तो बहुत ज्यादा है । हमारे लिये मुश्किल है कि हम सब मांगों को पूरा कर सकें । फिर भी हम ने वक्त बढ़ा दिया है और जहां जरूरत ज्यादा होगी वहां उस को कुछ और ठहराने की कोशिश करेंगे ।

श्री ए० एम० टामस : श्रीमान्, क्या मैं यह जान सकता हूं कि अर्द्ध-स्थायी पटे हुए स्थान अन्य प्रदर्शनियों के लिये उपयोग

में लाये जाने वाले ह, यदि ऐसा है, तो किस लिये ?

श्री एल० बी० शास्त्री : उन का उपयोग मकान प्रदर्शनी में किया जायगा जो शीघ्र ही होने जा रही है।

रूस से व्यापार समझौता

*२६३. **श्री के० पी० सिन्हा :** (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि भारत सरकार ने रूसी सरकार से एक दीर्घकालिक व्यापार समझौता इस स्पष्ट आश्वासन पर किया है कि भारत रूसी गेहूं को कम से कम पांच वर्ष तक खरीदेगा ?

(ख) क्या रूसी सरकार ने भारत सरकार के इस आवेदन को स्वीकार कर लिया है ?

(ग) यदि ऐसा है तो किन शर्तों पर ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) हां, श्रीमान् । मार्च, १९५३ में हम ने एक प्रस्ताव रखा था कि दोनों सरकारों के बीच रूसी गेहूं के बदले भारतीय पदार्थों की पूर्ति पर अदला बदली समझौता हो सकता है, और यह अदला बदली तीन वर्ष तक की जा सकती है।

(ख) इस प्रस्ताव का अभी तक कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

खाद्य तथा कृषि मत्री (श्री किदवई) : श्रीमान्, क्या मैं सदन की सूचना में वृद्धि कर सकता हूं कि रूस से हमें कल स्वीकृति प्राप्त हो गई है तथा बातचीत चल रही है ?

श्री के० पी० सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह वस्तु विनिमय के आधार पर होगा ?

श्री किदवई : हां, यह वस्तुत विनिमय के आधार पर होगा ।

श्री नानादास : क्या मैं जान सकता हूं कि वस्तु विनिमय में रूस कौन सी वस्तुयें चाहता है ?

श्री किदवई : जैसा मैं ने कहा कि स्वीकृति की सूचना कल ही प्राप्त हुई है। हमारे अधिकारी एक दूसरे से भेंट करेंगे और इन सब बातों पर चर्चा करेंगे ।

मैलानी-गौरीफांटा लाइन पर डकैती

*२६४. **सरदार ए० एस० सहगल :** (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि मैलानी-गौरीफांटा शाखा लाइन पर २३ मार्च, १९५३ को एक कोषाध्यक्ष के पास से लगभग २२,००० रु० लूट लिया गया था ?

(ख) कितने लोग रेल पर से उतरे और गोली चलाने लगे थे ?

(ग) क्या गोली चलने के समय रेल रक्षा पुलिस के लोग वहां थे ?

(घ) क्या रेल पुलिस द्वारा जांच पड़ताल आरम्भ हो गई है, और यदि ऐसा है तो क्या परिणाम हुए हैं ?

(ङ) गाड़ी किस प्रकार रोकी गई थी ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) हां।

(ख) गाड़ी रोकने के पश्चात् ४ आदमी उतरे और उन में से एक ने हवा में फायर किया ।

(ग) नहीं ।

(घ) हां, जांच पड़ताल हो रही है ।

(ङ) कुछ रुकावटों के कारण जो रेल की पटरियों पर उत्पन्न की गई थीं ।

सरदार ए० एस० सहगल : इस तरह की चोरी इस लाइन में कितनी बार हुई है ?

श्री शाहनवाज़ खां : मेरी जान में एक बार हुई है ।

काम दिलाऊ दफ्तर

*२६५. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या काम दिलाऊ दफ्तरों के कार्य की जांच करने तथा उस के भविष्य के सम्बन्ध में सूचना देने के लिये नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो उन सिफारिशों की प्रमुख विशेषतायें ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) नहीं ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

मैं माननीय सदस्यों की सूचना के लिये इतना और बता देना चाहता हूं कि इस समिति का निर्माण नवम्बर, १९५२ में हुआ था । सभापति विदेश में प्रतिनिधित्व करने गये थे तथा बाद में वे बीमार पड़ गये इस कारण उन के अनुपस्थित रहने से समिति की बैठक फरवरी १९५३ में हो सकी । ९ फरवरी, १९५३ को प्रथम बैठक होने के पश्चात् प्रश्नावली जारी की गई थी । सभी राज्य सरकारों तथा अधिकतर अन्य राज्यों से जिन को सूचना दी गई थी, उत्तर प्राप्त हो गये हैं । समिति की दूसरी बैठक १० अप्रैल, १९५३ को हुई थी । उन्होंने अप्रैल, १९५३ में कानपुर और कलकत्ता का दौरा किया और प्रमाण एकत्रित किये । समिति के सभापति को डाक्टरी सलाह के अनुसार पुनः योरूप के लिये प्रस्थान करना पड़ा । समिति अपना कार्य सभापति के वापस लौटने पर प्रारम्भ करने की आशा करती है और १९५३ के अन्त तक अपना कार्य समाप्त कर सकेगी, ऐसी आशा है ।

श्री झूलन सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि समिति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में कितना समय लगेगा ?

श्री वी० वी० गिरि : मैं ने इन बातों को अपने अनुपूरक उत्तर में बता दिया है ।

श्री फ्रैंक एन्थनी : क्या सरकार इन काम दिलाऊ दफ्तरों को ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ाने का विचार कर रही है ?

श्री वी० वी० गिरि : हम प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् ही इस सारे मामले पर विचार करेंगे ।

श्री ब्रज नानादास : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आरम्भ से ही सभापति अनुपस्थित रहे हैं सरकार का कोई विचार उन के स्थान पर दूसरा सभापति नियुक्त करने का है ?

श्री वी० वी० गिरि : सभापति शीघ्र ही वापस आ जायेंगे ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : बेकारी के संकट काल की गम्भीरता की दृष्टि से, क्या समिति से यह कहा जायगा कि वह अपना प्रतिवेदन शीघ्र ही दे दे ?

श्री वी० वी० गिरि : अवश्य ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : किस समय तक ?

श्री वी० वी० गिरि : मैं तत्काल ही नहीं कह सकता किन्तु आशा करता हूं कि १९५३ के अन्त तक प्रतिवेदन तैयार हो जायगा ।

श्री एम० आर० कृष्ण : क्या मैं जान सकता हूं कि चलते-फिरते काम दिलाऊ दफ्तर भी हैं जो नाम दर्ज कर सकते हैं और गांव के लोगों के लिए परिचयात्मक कोई जारी कर सकते हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : नहीं, प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नानादास : क्या मैं जान सकता हूं कि इस समिति की नियुक्ति इस कारण की गई है कि वह अपना प्रत्यावेदन इस सम्बन्ध में दे कि इन काम दिलाऊ दफ्तरों को तोड़ दिया जाय या इन की सेवाओं को चलने दिया जाय ?

श्री वी० वी० गिरि : समिति इन सभी बातों पर विचार करेगी ।

जच्चा मरण

*२६६. **श्री राधा रमण :** (क) क्या स्वास्थ्य मंत्री उन स्त्रियों का प्रतिशत बताने की कृपा करेंगी जिन की भारत में बच्चा जनते समय मृत्यु हो जाती है ?

(ख) सरकार इस प्रतिशत में कमी करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) भारत में प्रसूताओं की मृत्यु की कोई भी विश्वस्त सूचना उपलब्ध नहीं है । १९४३ में भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई स्वास्थ्य पर्यवेक्षण तथा विकास समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि अविभाजित भारत में जच्चा मरण दर प्रति १,००० जीवित पैदा होने वालों में २० के निकट थी किन्तु यह दृढ़तापूर्वक कहा जा सकता है कि हाल के वर्षों में प्रति जैविक (ऐन्टी बायोटिक) के उपयोग तथा जच्चा सेवाओं में विस्तार एवं उन्नति के परिणामस्वरूप जच्चा मरण में कुछ कमी की गई है ।

(ख) सभी राज्यों में जच्चा तथा बाल-स्वास्थ्य-सेवाओं की योजनाओं की उन्नति की जा रही है । इन में जच्चा तथा बाल स्वास्थ्य कर्मचारियों की प्रशिक्षा के लिये अतिरिक्त सुविधायें होने वाली माताओं की प्रसवपूर्व देख भाल की सेवाओं का विस्तार, इन सेवाओं की संस्थाओं में वृद्धि तथा घरेलू दाई कार्य की सुविधा सम्मिलित है । ग्रामीण क्षेत्रों में दाई कार्य की सेवाओं पर जोर दिया जा रहा है ।

श्री राधा रमण : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने प्रजनन प्रक्रिया का परीक्षण किया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न-काल समाप्त हुआ ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

आसाम में डाक तथा तार कर्मचारियों को प्रतिकर भत्ता

*२५४. **श्री विट्ठल राव :** (क) क्या संचरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि १९४८ तक आसाम में डाक तथा तार के कर्मचारियों को प्रतिकर भत्ता दिया जाता रहा है ?

(ख) यदि ऐसा है तो इस भत्ते की दर क्या थी ?

(ग) क्या यह तथ्य है कि १९४८ से यह भत्ता समाप्त कर दिया गया है, यदि ऐसा है तो क्यों ?

(घ) क्या सरकार को यह विदित है कि आसाम क्षेत्र के डाक तथा तार के कर्मचारियों के संघ के पंचम वार्षिक सम्मेलन में इस प्रतिकर भत्ते को पुनः देने की मांग की गई थी ?

(ङ) यदि ऐसा है तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) वेतन का ३० प्रतिशत ।

(ग) युद्धकाल में यह भत्ता स्वीकृत किया गया था। जिस कारण से यह भत्ता दिया जाता था वह नहीं रहा इसलिए वह बन्द कर दिया गया है ।

(घ) जी हां ।

(ङ) संघ को सूचित किया गया है कि आसाम में युद्धकालीन यह भत्ता डाक तथा तार के कर्मचारियों को देना न्याय संगत नहीं है । परन्तु आसाम के, पर्वतीय क्षेत्रों में उन स्थानों के लिये जहां राज्य सरकार ने पर्वतीय भत्ता स्वीकृत किया है यह भत्ता दिया जाता है ।

हिंगोली-खण्डवा रेलवे लाइन

***२५९. श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिंगोली और खाण्डवा के बीच नई रेल लाइन की रचना आरम्भ हो गई है; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो यह कब पूरी होगी ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां): (क) अभी नहीं । शीघ्र परियोजना का अन्तिम स्थानीय परिमाप करने का विचार है और तदुपरान्त रचना आरम्भ होगी ।

(ख) इस के पूर्ण होने की तिथि का इस समय अनुमान लगाना संभव नहीं परन्तु कार्य यथाशीघ्र समाप्त करने के लिये भरसक प्रयत्न किया जायगा ।

कुल्लू घाटी परिवहन लिमिटड

***२६७. श्री ए० एन० विद्यालंकार:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुल्लू घाटी परिवहन लिमिटेड को पुनः चलाने की बात पर क्या सरकार विचार कर रही है;

(ख) क्या पंजाब सरकार को समवाय में हिस्सेदार बनाने का विचार है; तथा

(ग) समवाय के कर्मचारियों को उनके वेतनों का अवशेष देने के लिये, जिस के लिये उन्हों ने बार बार अभ्यावेदन भेजे हैं, क्या प्रबन्ध किया गया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जब तक कुल्लू घाटी परिवहन लिमिटेड के कर्मचारियों के लेखे जांच अधीन है उन्हें एक मास का मूल वेतन दे दिया गया है । कुल्लू घाटी परिवहन लिमिटेड उन्हें बाकी देने पर विचार कर रही है ।

टिड्डियां

***२६८. श्री एस० सी० सामन्त :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीनों में पश्चिमी बंगाल के कुछ जिलों में कुछ टिड्डी दल दिखाई दिये थे;

(ख) यदि ऐसा है तो किन जिलों में;

(ग) उन का क्या किया गया ;

(घ) इसी कालावधि में अन्य किन राज्यों पर आक्रमण हुआ ;

(ङ) उन से कितनी हानि हुई; तथा

(च) गत दो वर्षों में इसी कालावधि के आक्रमणों की तुलना में यह आक्रमण कितना बड़ा था ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां ।

(ख) बंकुरा, मिदनापुर, मुर्शिदापुर, दिनाजपुर, माल्दा तथा बर्दवान जिलों में ।

(ग) गर्मियों में उड़ती टिड्डी को संभालना कठिन है ।

(घ) राजस्थान, पंजाब, पप्सू, उत्तर प्रदेश, विन्ध्य प्रदेश अजमेर देहली, जम्मू और काश्मीर,

हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, भोपाल, बिहार, उड़ीसा, कच्छ तथा बम्बई ।

(ङ) बहुत कम, राज्य सरकारों से क्षत्ति के ठीक आंकड़े मांगे गये हैं ।

(च) गत दो वर्षों की तुलना में इस वर्ष मई तथा जून में अधिक बड़े दल आये हैं ।

विमान समवायों को प्रतिकर

*२६९. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय**: (क) क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विमान समवायों को दिये जाने वाले प्रतिकर की राशि का निर्धारण करने के विचार से विमान और उन के अतिरिक्त पुर्जों के मूल्यांकन के लिये क्या तंत्र स्थापित किया गया है ?

(ख) कर्मचारियों के संविलयन, और उन के वेतनों का प्रमापीकरण करते समय कर्मचारियों के केसों पर विचार करने के लिये कौन सी प्रणाली स्थापित की गई हैं ?

(ग) वेतन तथा अन्य उपलब्धियों को एक आधार पर लाने के लिये क्या आधार है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): निश्चित तिथि को निगमों की आस्तियां और देयताओं के सब विवरण एकत्र किये जा रहे हैं । (क) विमान उपकरण का निरीक्षण करने में दीक्षित कर्मचारिवृन्द और दीक्षित लेखा परीक्षकों के दल बनाये गये हैं । यह दल विमान समवायों के विभिन्न स्थानीय कार्यालयों, कारखानों और भंडारों को देख रहे हैं ताकि वे स्थान पर ही उन की आस्तियां जान सकें और मूल्यांकन कर सकें ।

(ख) इण्डियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन द्वारा लिये गये कर्मचारियों के संविलयन करने के और उन की सेवा की शर्तों और मदों के सम्बन्ध में प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त करने का विचार है ।

(ग) यह प्रश्न उन के सम्बन्ध में है जिन पर प्रस्तावित समिति को विचार करना है ।

केन्द्रीय भूकम्पकीय पर्यवेक्षण-शाला

*२७०. **श्री एस० सी० सामन्त**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या शिलांग में प्रस्तावित केन्द्रीय भूकम्पकीय पर्यवेक्षण-शाला, स्थापित की गई है ?

(ख) यदि ऐसा है तो वहां किस प्रकार के यंत्र लगाये गये हैं ?

(ग) भारत की अन्य पर्यवेक्षण-शालाओं की तुलना में केन्द्रीय पर्यवेक्षण शाला में क्या विशेष प्रबन्ध किये गये हैं ?

(घ) अब तक इस पर कितनी राशि व्यय हुई है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी हां ।

(ख) तीन वुड एंडरसन भूकम्पलिख, एक मिल्नशा भूकम्प-लिख और एक एक्लोग्राफ ।

(ग) इस पर्यवेक्षण शाला में भारत की अन्य पर्यवेक्षण-शालाओं की अपेक्षा अधिक अच्छे उपकरण हैं पहले स्थापित किये यंत्र विश्व के आधुनिक प्राप्य भूकम्प-लिख और अन्य सम्बन्धित यंत्रों में से हैं ।

कुम्भ मेला

*२७१. **श्री रघुनाथ सिंह**: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रयाग में होने वाले आगामी कुंभ मेले के अवसर पर रेल विभाग, यात्रियों को सुविधा देने की क्या योजना बना रहा है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में झूसी इज्जत के ब्रिज तथा जंक्शन स्टेशनों पर किसी प्रकार के निर्माण की योजना बनाई गई है;

(ग) मेले की अवधि में कितनी गाड़ियों के आने और जाने का प्रबन्ध किया जा रहा है; तथा

(घ) क्या इस वर्ष यात्रियों को विशेष कोई सुविधा दी जायेगी ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क), (ख) तथा (घ). दी जाने वाली सुविधाओं का विवरण तैयार किया जा रहा है और शीघ्र सदन पटल पर रखा जायेगा ।

(ग) सवारी गाड़ियों और इंजिनों के पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होने पर मेले के यातायात के लिये अधिक विशेष गाड़ियां चलाई जायेंगी ।

किसनपुर और हाथाघाट स्टेशनों के बीच दुर्घटना

***२७२. श्री रघुनाथ सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे की नं० ३३८ डाऊन पैसेन्जर १९, २० मई की रात को साढ़े ग्यारह बजे किसनपुर और हाथाघाट स्टेशनों के बीच दुर्घटना ग्रस्त हो गई थी जिस के कारण १५ व्यक्ति घायल हुए और लगभग १०० यात्री डिब्बों से बाहर जा गिरे ?

(ख) इस दुर्घटना के कारण क्या थे ?

(ग) कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) तथा (ग) २०-५-१९५३ को लगभग ११-३५ बजे, जब कि नं० ३३८ डाऊन पैसेन्जर पूर्वोत्तर रेल के समस्तीपुर-दर्भंगा मुख्य लाइन के विभाग में हाथाघाट तथा किसनपुर स्टेशनों के बीच चल रही थी, इंजन तथा इस के पीछे का एक डिब्बा बाकी गाड़ी से अलग हो गये । कुछ यात्री भय के कारण गाड़ी से कूद पड़े जिस के फलस्वरूप एक यात्री को सख्त और अन्य १४ को साधारण चोटें आईं ।

(ख) यह दुर्घटना इंजन और इंजन के पास के डिब्बे के बीच के ट्रेलिंग बफर के टट जाने से हुई है । उस की धातु में कुछ दोष था ।

बम्बई के डाकियों द्वारा प्रदर्शन

***२७३. श्री रघुनाथ सिंह** : क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २२ मई १९५३ को बम्बई के ३०० डाकियों ने सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया ;

(ख) यदि हां, तो उन की मांगें क्या थीं; तथा

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या पग उठाये हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं । अखिल भारतीय डाकियों और निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के संघ के कुछ सदस्य २२ मई, १९५३ को सदर डाकखाना बम्बई के सामने एकत्र हुए और वे जलूस के रूप में मारवाड़ी विद्यालय हाल में गये जहां उन्हों ने बठक की ।

(ख) उन की २२ मई, १९५३ की बैठक में पारित हुए प्रस्तावों में संघ की निम्नलिखित मांगे हैं :—

(१) जांच इंस्पैक्टर बम्बई सदर डाकखाना द्वारा बम्बई सदर डाकखाने के डाकिये का पुलिस को सौंपने के आरोप पर खुली जांच की जाय; तथा

(२) बम्बई में १५ मई १९५३ से लागू किये गये लेखों में लिए जाने वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में रसीदों के दिये जाने के नए

प्रबन्धों को समाप्त किया जाय और पुराने प्रबन्धों को आरम्भ किया जाय ।

(ग) खुली जांच की मांग स्वीकार नहीं की गई परन्तु रसीदें देने की पुरानी प्रक्रिया फिर जारी की गई है ।

वन-विज्ञान केन्द्रीय मण्डल (बैठकें)

*२७४. **प्रो० डी० सीं० शर्मा** : (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या हाल में वन-विज्ञान के केन्द्रीय मण्डल की बैठक देहरादून में हुई ?

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या राष्ट्रीय-वन नीति को लागू करने के लिये कोई निर्णय किये गये ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) हां ।

(ख) मण्डल द्वारा किये गये संकल्पों की प्रति सदन पटल पर रखी हुई है [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७**]

कलकत्ता-सिलिगुरी राष्ट्रीय-राजमार्ग

*२७५. **श्री टी० के० चौधरी** : (क) **परिवहन** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कलकत्ता-सिलिगुरी राष्ट्रीय राजमार्ग नं० ३४ का निर्माण कार्य किस स्थिति पर पहुंच चुका है ?

(ख) इस राजमार्ग के दक्षिण विभाग की मुर्शिदाबाद जिले के रघुनाथ गंज से नीचे की ओर क्या सीमा होगी ?

(ग) इस राष्ट्रीय राजमार्ग की पूर्ति के लिये कितने समय का अनुमान है और इस के लिये कितना खर्च मंजूर हुआ है ?

(घ) क्या यह सच है कि इस राजमार्ग के लिए आए हुए तारकोल और पत्थर की रोड़ी बहुमात्रा में मुर्शिदाबाद जिले के विभिन्न केन्द्रों में इकट्ठी हुई पड़ी है, जब कि अभी तक केवल मूल मिट्टी की खुदाई और ईंटों के बिछाने का काम मुश्किल से शुरू हुआ है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). अपेक्षित सूचना रखने वाला विवरण सदन पटल पर रखा हुआ है [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८**]

(ग) योजना के मार्च १९५६ तक पूर्ण होने की आशा है, कुछ एक पुलों को छोड़ कर, जिन का निर्माण उस काल से आगे बढ़ सकता है । २३० लाख रुपये की रकम चालू पंच वर्षीय कार्यक्रम के अधीन इस राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिय निश्चित कर दी गई है ।

(घ) तारकोल—नहीं
पत्थर की रोड़ी—हां

पत्थर की रोड़ी सदा अग्रिम इकट्ठी की जाती है, जब कि रेल के डिब्बे प्राप्त हों ।

निकोबार द्वीप

*२७६. **श्री रघुवीर सहाय** : **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) निकोबार द्वीप के लिये अभियान कब किया गया था, जिस से पता लगा था कि भारत को इन द्वीपों से प्रति वर्ष बहुत अधिक मात्रा में इमारती लकड़ी मिल सकती है ?

(ख) उस अभियान में कौन लोग गये ;

(ग) उन्हों ने अपना विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया; और

(घ) वहां से इमारती लकड़ी प्राप्त करने के लिये क्या पग उठाये गये ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) अभियान २४ फरवरी १९५२ को

बलेयर बन्दरगाह से शुरू आ और २१ अप्रैल १९५२ को वापिस आ गया ।

(ख) अभियान क सदस्यों की जानकारी का विवरण पत्र सदन पटल पर रखा हुआ हैं ।

(ग) अभियान के नेता ने २७ जून १९५२ को स्थानीय प्रशासन के पास अपना विवरण पत्र प्रस्तुत किया ।

(घ) आया इमारती लकड़ी विभाग द्वारा मंगवाई जाय, अथवा गैर सरकारी अभिकरण द्वारा, यह प्रश्न विचाराधीन है, निकोबार द्वीप में एक वन विभाग स्थापित करने का मुख्य आयुक्त का प्रस्ताव भी विचाराधीन है ।

विवरण

व्यक्तियों के नाम जो निकोबार द्वीप के लिये अभियान में गये :

१. श्री बी० एस० चेंगाप्पा, वन-अधिरक्षक, अन्दमान नेता ।
२. डा० पी० एस० सोंधी, ज्येष्ठ भिषंज् प्राधिकारी, बलेयर बन्दरगाह ।
३. श्री जी० बी० दास, भारत परिमाप विभाग ।
४. श्री के० सी० साहनी, सहायक वन-वनस्पति-शास्त्र विशेषज्ञ, वन-गवेषणा संस्था देहरादून ।
५. श्री बी० ए० सुब्रह्मण्यम् सहवन-अधिरक्षक, अंदमान ।
६. वन-उपकर्मचारी, मजदूर, रक्षक, इत्यादि ।

चावल की क़ीमतें

*२७७. **श्री टी० के० चौधरी** : (क) खाद्य तथा कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि पश्चिमी बंगाल को चावल देने के लिये केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा ऊंची कीमतें मांगने के कारण पश्चिमी बंगाल सरकार ने कलकत्ता के राशन वाले क्षेत्र में पहली जून १९५३ से राशन के चावल की कीमत सात आने सेर से बढ़ा कर नौ आने सेर कर दी है ?

(ख) क्या कलकत्ता के राशन वाले क्षेत्र में राशन वाले चावल की अधिक कीमत लेने का निर्णय करने से पहले केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिमी बंगाल सरकार के साथ परामर्श हुआ था ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) तथा (ख). हाल के महीनों में पश्चिमी बंगाल को केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों द्वारा भेजे गये चावल की कीमतों में न कोई वृद्धि हुई है और न ही कलकत्ता के औद्योगिक क्षेत्र में 'अच्छे' और 'साधारण' प्रकार के चावल के परचून मूल्य में कोई वृद्धि हुई है, जो कि क्रमशः साढ़े दस आने तथा सात आने सेर है ।

१-६-५३ से मध्यम श्रेणी का चावल भी ९ आने प्रति सेर परचून मूल्य में दिया जाता है, जिसकी मंजूरी भारत सरकार से पहले ही ले ली गई है ।

नागरिक उड्डयन-विभाग-कर्मचारी-संघ की मान्यता

*२७८. **श्री विट्ठल राव** : क्या संचरण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि अक्तूबर १९५२ में नागरिक उड्डयन विभाग के कर्मचारियों के चार संघ विलीन किये गये थे और नागरिक उड्डयन विभाग-कर्मचारी-संघ स्थापित किया गया था ;

(ख) क्या यह ठीक है कि चारों विलीन किये जाने वाले संघ विलीनीकरण के अवसर पर मान्य थे ;

(ग) क्या विलीन किया गया संघ मान्य कर लिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख). नागरिक उड्डयन विभाग कर्मचारियों के तीन संघ (चार नहीं) अक्तूबर १९५२ को एक में मिला दिये थे। इन में से केवल एक, अर्थात ऐयरोनौटिकल कम्युनिकेशनज़ ऐम्पलाइज़ यूनियन को ही सरकार नें नागरिक कर्मचारियों का संघ माना है।

(ग) हां। यह नागरिक कर्मचारियों का संघ स्वीकृत हो गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय श्रम संस्था

***२७९. श्री तुषार चटर्जी :** क्या श्रम मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्रीय श्रम संस्था, बम्बई की योजना पूर्ण हो चुकी है ;

(ख) यदि ऐसा है, तो योजना के विस्तार ;

(ग) क्या योजना को तैयार करने के लिये मान्य अखिल भारतीय श्रम संघों का भी परामर्श लिया गया था ;

(घ) क्या मान्य अखिल भारतीय श्रम संघ भी संस्था के संचालन में कोई भाग ले सकेगा ; और

(ङ) यदि ऐसा है, तो क्या भाग लेगा ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) योजना पूर्ण होने वाली है।

(ख) जो याजना बनाई गई है, वह मिली जुली है, जिसमें एक औद्योगिक संरक्षण स्वास्थ्य और लोकहित का संग्राहलय, एक औद्योगिक आरोग्य विज्ञान प्रयोगशाला, एक प्रशिक्षण केन्द्र और एक पुस्तकालय व सूचना केन्द्र सम्मिलित हैं। योजना की सविस्तार बातें सदन पटल पर रखे लेख में प्रकट की गई हैं। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९]

(ग) नहीं।

(घ) तथा (ङ). हां। संस्था का लक्ष्य सामाजिक तथा आर्थिक प्रयोगशाला और केन्द्र के रूप में, श्रम-समस्याओं के विशिष्ट प्रशिक्षण के लिये काम करना है और यह औद्योगिक समाज की बेहतरी से सम्बन्धित सब श्रेणियों के लिये एक सांझा मंच स्थापित करेगी।

बेलायपाली के कोयले की खानों में काम करने वालों द्वारा हड़ताल

***२८०. श्री विट्ठल राव :** (क) श्रम मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि हैदराबाद राज्य में बेलायपाली की कोयले की खानों में काम करने वाले, ६००० व्यक्तियों नें ८ जून १९५३ को हड़ताल कर दी थी ?

(ख) यदि यह ठीक है, तो खनी-कर्मकरों की क्या मांगें थीं ?

(ग) हड़ताल कितनी देर चली ?

(घ) सरकार ने संघों की मांगों को पूरा करने और झगड़े को मिटाने के लिये क्या कार्यवाही की ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) लगभग ३,९०० खनि-कर्मकरों ने हड़ताल की।

(ख) मांग यह थी कि हाली के विमुद्रीकरण होने पर उनके वेतन और दूसरे उपवेतन आदि उतनी ही भारतीय मुद्रा में दिये जाएं, न कि प्रचलित विनिमय की दर के हिसाब से घटा कर बराबर मूल्य की संख्या में।

(ग) एक महीना।

(घ) मुख्य श्रम आयुक्त संगठन के प्राधिकारियों ने झगड़े का निपटारा कर दिया है। ६ जुलाई १९५३ को दलों के

बीच हैदराबाद सरकार द्वारा घोषित किये गये सूत्रों के आधार पर समझौता हो गया। इस के अनुसार कर्मकर ८ जुलाई १९५३ से काम पर वापिस आ गये। समझौता की शर्तों को बतलाने वाला विवरण पत्र सदन पटल पर रखा हुआ है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०]

हवाई जहाज़ों की खरीदी

*२८१. श्री के० सुब्रह्मण्यम्: (क) संचरण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने बिना टेंडर मंगवाए ६,३१,७८० रुपये की लागत पर आसाम सरकार द्वारा खरीदे दो हवाई जहाजों के क्रय-मूल्य का कुछ भाग दिया था ?

(ख) केन्द्रीय सरकार का खर्च में क्या भाग था ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) तथा (ख). दो डव हवाई जहाज व्ही० टी०—सी० टी० ऐक्स और व्ही० टी०—सी ओ वी १९४८ में आसाम सरकार द्वारा क्रमशः २४,४५० और २१,६६२ पौण्ड की लागत पर खरीदे थे। हवाई जहाजों का प्रयोग आसाम सरकार के राज्य पाल, मंत्रियों और उच्च प्रशासन अधिकारियों द्वारा दौरे के लिये किया जाता था। हवाई जहाज व्ही० टी०—सी० टी० एक्स की आधी लागत भारत सरकार ने दी, क्योंकि यह हवाईजहाज आसाम के राज्यपाल के द्वारा भारत सरकार के अभिकर्ता के रूप में त्रिपुरा, मनीपुर और कूच बिहार के राज्यों में दौरा करने के लिये प्रयोग में लाया जाता था। क्योंकि इस बात का निर्णय हो चुका था कि डव हवाई जहाज इस उद्देश्य के लिये सब से उपयुक्त थे, इसलिये इन जहाजों को खरीदने के लिये टेंडर मंगवाने का प्रश्न ही नहीं उठा।

मद्रास सरकार से वायुयान

*२८२. श्री के० सुब्रह्मण्यम्: (क) क्या संचार मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि मद्रास राज्य सरकार की ओर से एक वायुयान संघ सरकार को दिया गया था ?

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी हां। १५ मार्च, १९५२ को एक डव वायुयान वी टी—सी टी जी, जो कि मद्रास राज्य की सम्पत्ति था, अपने अतिरिक्त भागों के समेत भारतीय वायुबल को दे दिया गया था।

(ख) भारत सरकार ने इस वायुयान के बदले मद्रास सरकार को कोई भी भुगतान नहीं किया है, और न वह ऐसा करने की प्रस्थापना करती है।

ट्रैक्टरों का आयात

*२८३. पंडित एम० बी० भार्गव: (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री ३० जून, १९५३ को समाप्त होने वाले अर्ध-वर्ष में भारत में सरकारी खाते में अथवा निजी खातों में आयात किये गये छोटे, मध्यम तथा भारी प्रकार के ट्रेक्टरों की संख्या तथा मूल्य बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) यह आंकड़े गत वर्ष की तत्स्थानी अवधि के आंकड़ों की तुलना में कैसे हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) और (ख). ३० जून, १९५२ तथा ३० जून, १९५३ को समाप्त होने वाले अर्ध-वर्षों में भारत में सरकारी तथा निजी खातों

में आयात किये गये ट्रैक्टरों की कुल संख्या तथा मूल्य इस प्रकार है :—

अवधि	संख्या	मूल्य रुपयों में
३० जून १९५२ को समाप्त होने वाला अर्ध-वर्ष	१६०९	१,८७,४६,६८३
३० जून १९५३ को समाप्त होने वाला अर्ध-वर्ष	२१५१	१,९४,५२,७१९

छोटे, मध्यम तथा भारी प्रकार के ट्रैक्टरों के पृथक पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

लोको शैड तथा चालू मरम्मत शैड

*२८४. **श्री नम्बियार** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि रेलवे के लोको शैडों तथा चालू मरम्मत शैडों को फैक्टरी अधिनियम के प्रवर्तन क्षेत्र से अपवर्जित कर दिया गया है ;

(ख) यदि ऐसा है तो (१) इस के कारण तथा (२) यह कब से किया गया है ;

(ग) इस कार्यवाही की उपलक्षणायें ;

(घ) क्या यह तथ्य है कि इस परिवर्तन के फलस्वरूप बहुत से कारीगरों को समयानन्तर भत्ता नहीं दिया गया है ;

(ङ) यदि ऐसा है, तो (१) प्रभावित हुए व्यक्तियों की संख्या तथा (२) किस सीमा तक उन पर प्रभाव पड़ा है ;

(च) क्या अधिकांश मामलों में दे दिये गये समयानन्तर भत्ते की कटौती कर लिये जाने के आदेश दिये गये हैं ;

(छ) क्या रेलवे कर्मचारी संस्थाओं की ओर से ऐसी कार्यवाहियों के विरुद्ध कोई प्रतिनिधान प्राप्त हुए हैं ; तथा

(ज) यदि हां, तो उन के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) फैक्टरी अधिनियम १९४८ की धारा २ (ड) म शब्द "फैक्टरी" की जो परिभाषा की गई है उस में रेलवे के चालू शैड नहीं आते हैं।

(ख) (१) रेलवे के चालू शैडों को फैक्टरी अधिनियम, १९४८ के क्षेत्र से अपवर्जित कर देने के कारण यह हैं कि यह चालू शैडों, उन में जो कार्य किया जाता है उस के अनुसार फैक्टरियां नहीं हैं।

(२) १-४-१९४९ से जिस दिन से यह अधिनियम लागू किया गया।

(ग) उपलक्षणायें यह हैं कि फैक्टरी अधिनियम, १९४८ के कोई भी उपबन्ध चालू शैडों पर लागू नहीं होते हैं।

(घ) जी नहीं, उतना समयानन्तर भत्ता, जितना कि कार्य के घण्टे विनियमों के अनुसार देय तथा अनुदेय होता है, सम्बद्ध कर्मचारियों को दिया गया है।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(च) रेलवे पर्षद को सूचित किया गया है कि केवल मात्र एक रेल लाइन पर ही कुछ मामले ऐसे थे जिन में १-४-४९ के बाद समयानन्तर भत्ता गलत दर से कर दिया गया था, उन अधिक भुगतानों को अब वसूल किया जा रहा है।

(छ) रेलवे कर्मचारी संस्था की ओर से कोई प्रतिनिधान प्राप्त नहीं हुआ है।

(ज) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है।

धर्मावरम-पकला लाइन पर टक्कर

*२८५. **श्री बाल्मीकि** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) धर्मावरम्-पकला के छोटी लाइन वाले विभाग (दक्षिणी रेलवे) में १३ जून,

१९५३ की रात को एक मालगाड़ी तथा एक मिश्रित गाड़ी में आमने सामने से हुई टक्कर में आहत हुए व्यक्तियों की संख्या क्या है ;

(ख) दुर्घटना के कारण ; तथा

(ग) जांच किस ने की है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ६७ व्यक्ति मरे ; २३ को गंभीर रूप से चोटें आई तथा ४६ को साधारण चोटें लगीं।

(ख) और (ग). इस दुर्घटना की जांच बंगलौर स्थित रेलवे के सरकारी निरीक्षक ने की थी और उस की उपपत्तियां यह हैं कि यह दुर्घटना सहायक स्टेशन मास्टर मूलकलाचेरूवू की गलती के कारण हुई थी, उसने गलती से मिश्रित गाड़ी को अपने स्टेशन से रवाना कर दिया था।

खान विभाग के लिये निरीक्षक कर्मचारीवर्ग

*२८६. **श्री पी० सी० बोस** : क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि खान विभाग के पास भूनिम्न निरीक्षण करने के लिये अपेक्षित निरीक्षण अधिकारियों की कमी है ;

(ख) यदि ऐसा है, तो खान विभाग के लिए अपेक्षित योग्य निरीक्षकों की पर्याप्ति संख्या को भरती करने में क्या कठिनाइयां हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) जी हां।

(ख) कारण यह है कि अपेक्षित योग्यता वाले उपयुक्त व्यक्तियों का सर्वथा अभाव है।

खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि

*२८७. **श्री ए० एन० विद्यालंकार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य ह कि कुछ समय से आसाम, पश्चिमी बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र तथा देश के कुछ अन्य भागों मे खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि होती जा रही है ;

(ख) मई, जून तथा जलाई, १९५३ में खाद्यान्नों के मूल्यों में हुई वृद्धि की प्रतिशतता ;

(ग) इस मूल्य वृद्धि के कारण ; तथा

(घ) इस बात को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार करती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) देश में खाद्यान्नों के मूल्यों में हाल ही के महीनों में कुछ विचित्र सी प्रवृत्ति दिखाई दी है ; कुछ क्षेत्रों में वह बढ़ गये हैं, परन्तु कुछ अन्य क्षेत्रों में वह या तो स्थिर रहें हैं अथवा गिर गये हैं।

(ख) चढ़ाव-उतार की परिमात्रा विभिन्न केन्द्रों में तथा विभिन्न अनाजों के सम्बन्ध में अलग अलग रही है। मई, जून और जुलाई, १९५३ के मासों में खाद्यान्नों के मूल्यों तथा उनकी परिवर्तन प्रतिशतताओं को बतलाने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ११]**

(ग) खाद्यान्नों के मूल्यों में हुई वृद्धि का कारण, मौसमी कमी, विशेष रूप से खरीफ के अनाजों की कमी तथा कुछ सीमा तक वर्षा ऋतु प्रारम्भ हो जाने के कारण उत्पन्न हुई यातायात सम्बन्धी कठिनाइयां अथवा कृषकों का कृषि सम्बन्धी विभिन्न कामों में लगा रहना है।

(घ) जो कार्यवाही की गई है वह इस प्रकार है :—

(१) केन्द्रीय खाद्यान्न (अनुज्ञापन तथा समाहार) आदेश, १९५२ की सहायता की प्रार्थना करना ;

(२) उचित मूल्य वाली दुकानों का खोला जाना ;

(३) राशन कार्ड धारियों को खाद्यान्नों की अधिक मात्रा का दिया जाना ;

(४) खाद्यान्नों के निर्गम मूल्यों को कम करना ;

(५) कमी वाले क्षेत्रों में विदेशी गेहूं का सहायता-प्राप्त दरों पर दिया जाना ;

(६) चौर्यानियन विरोधी तथा आसंचन विरोधी कार्यवाहियों का तेज किया जाना ; तथा

(७) आयात किये गये गेहूं के मूल्यों में भारत सरकार द्वारा मार्च १९५३ में एक रुपये की कमी किये जाना तथा १ जुलाई, १९५३ से और एक रुपये की कमी किये जाना।

गोलपाड़ा के लिये खेवा उतारने वाली नावें

*२८८. **श्री अमजद अली :** (क) क्या **परिवहन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जोगीधोपा-गोलपाड़ा उतराई पर काम करने के लिए खेवा उतारने वाली नावें कब खरीदी गई थीं ?

(ख) उन का मूल्य क्या था ?

(ग) उस मार्ग पर सर्व प्रथम चलाये जाने के समय से उन की मरम्मत पर कितनी धनराशि, यदि कोई, व्यय हुई है ;

(घ) क्या यह तथ्य है कि वर्ष के अधिकांश भाग में यह नाव मरम्मत होने के कारण काम में नहीं आती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) सितम्बर, १९४८ ।

(ख) १,६०,००० रुपये ।

(ग) ६५,५८५ रुपये ।

(घ) इस वर्ष के प्रारम्भ से नहीं । मूल्यवेदन पत्र आमंत्रित करने के पश्चात इस खेवे को १ जुलाई, १९५३ से एक निजी सार्थ को पट्टे पर दे दिया गया है। यह सार्थ अपने स्टीमर की सहायता से इस सेवा को चला रहा है ।

धुलरी-फकीरेग्राम विभाग की जनता के प्रतिनिधान

*२८९. **श्री अमजद अली :** (क) क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि २८ अप्रैल, १९५३ को धुलरी-फकीरेग्राम विभाग (पांडु क्षेत्र) की यात्रा करने वाली जनता की ओर से एक प्रतिनिधान १६ अप्रैल, १९५३ से लाग हुए टाईमटेबिल के परिणामस्वरूप यात्रा करने वाली जनता को होने वाले कष्टों तथा असुविधाओं के सम्बन्ध में उत्तर पूर्वी रेलवे के गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) स्थित मुख्य प्रवर्तन अधीक्षक (चीफ आपरेटिंग सुपरिन्टेंडेंट) की सेवा में भेजा गया था ?

(ख) यदि ऐसा है, तो उस के सम्बन्ध मे सरकार क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां, ।

(ख) २०-६-१९५३ से मिश्रित गाड़ियों संख्या ६२६ डाउन तथा ६२५ अप के धुबरी पर आने तथा चलने के समयों को १.३५ और २.३० के स्थान पर क्रमश: २३.०० तथा २३.५० कर दिया गया है ।

प्रकाश गृह

*२९०. **श्री जेठालाल जोशी :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगें :

(क) प्रकाश गृहों की मरम्मत करने के लिये अपेक्षित अतिरिक्त भागों की सम्पूर्ण संख्या जो कि सन् १९५२-५३ में भारत में आयात की गई,

(ख) क्या इन अतिरिक्त भागों के भारत में बनाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना है तथा

(ग) यदि हां तो कहां ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन):(क) जहां तक सीधे केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रशासित प्रकाश गृहों का सम्बन्ध है उनके लिये सन् १९५२-५३ में कोई अतिरिक्त भाग आयात नहीं किये गये । जहां तक राज्य सरकारों तथा स्थानीय अधिकारियों द्वारा प्रशासित प्रकाश गृहों का सम्बन्ध है, सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) और (ग). प्रकाश गृहों के समुचित संधारण तथा देखरेख के लिये अपेक्षित अतिरिक्त भागों में से अधिकांश तो पहले से ही मद्रास तथा बम्बई स्थित प्रकाश गृह वर्कशापों में बनाये जा रहे हैं । इन वर्कशापों को इतना बढ़ाने का बिचार है जिस से कि सभी अतिरिक्त भाग देश में ही बनाये जा सकें, परन्तु जहां तक तालों तथा अन्य काशिक उपकरणों का सम्बन्ध है, हमें उन को यहां बनाने में अभी काफी समय लगेगा ।

मल्लाहों की भर्ती

*२९१. **श्री जेठालाल जोशी** : क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिचार भारतीय नौवहन के विकास को प्रोत्साहन देने के लिये मल्लाहों की भर्ती तथा प्रशिक्षण के सम्वन्ध में सुविधाओं को बढ़ाने का है ;

(ख) क्या उसका विचार सौराष्ट्र में एक और प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का है ; तथा

(ग) यदि हां तो इस प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित होने की सम्भावना है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). सौराष्ट्र में एक प्रशिक्षण कन्द्र खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है । फिर भी, इस समय यह बतलाना कठिन है कि यह कब तक कार्यान्वित हो जायेगा ।

यात्रियों और माल से आमदनी

*२९२. **श्री के० जी० देशमुख** : (क) रेल मंत्री यह बतलाने को कृपा करेंगे कि क्या वर्ष १९५२-५३ में रेलवे को माल से होने वाली आमदनी में कोई वृद्धि हुई है ?

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

(ग) वर्ष १९५२-५३ में रेलवे को यात्रियों से होने वाली आमदनी के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) :

(क) जी हां ।

(ख) वर्ष १९५२-५३ में माल ढोने से १४६.१३ करोड़ रुपये की आमदनी हुई जब कि वर्ष १९५१-५२ में १४०.४८ करोड़ रुपये (रेलवे कोयला और माल को ढोने का खर्च निकाल कर) की आमदनी हुई थी ।

(ग) वर्ष १९५२-५३ में यात्रियों से १००.३६ करोड़ रुपये की आमदनी हुई जब कि वर्ष १९५१-५२ में १०९.८८ करोड़ रुपये की आमदनी हुई थी ।

कोलम्बों से एस० एस० "मुजफ्फरी" का मार्ग परिवर्तन

*२९३. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि "मुजफ्फरी" नामक स्टीमर, जिसमें ७,३०० टन चीनी चावल लदा हुआ था, कोलम्बो से बम्बई भेज दिया गया था ; तथा

(ख) क्या भारत द्वारा चावल का आयात किया गया है अथवा यह लंका द्वारा वर्ष १९५२ में उधार लिये गये चावल की वापसी के रूप में है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां । लंका सरकार द्वारा स्टीमर "मुज़फ्फ़री" कोलम्बो से बम्बई भेज दिया गया था जहां पर उसने अपना सारा माल लगभग ७०१९ टन चीनी चावल उतार दिया था ।

(ख) यह चावल, लंका सरकार को सितम्बर/नवम्बर, १९५२ में उधार दिये गये लगभग १४९६ टन चावल, की वापसी का भाग था ।

भारतीय नौवहन कम्पनियां

*२९४. **श्री के० सी० सोधिया :** (क) **यातायात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि समुद्र पार व्यापार में भाग लेने वाली भारतीय नौवहन कम्पनियों द्वारा वर्ष १९५२-५३ में सरकार से कोई भी ऋण न लेने के क्या कारण हैं ?

(ख) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) सम्बद्ध भारतीय नौवहन कम्पनियों द्वारा ऋण न लेने का मुख्य कारण उन के द्वारा अपनी विस्तार योजनाओं को अन्तिम रूप देने में विलम्ब करना तथा उन के अपर्याप्त वित्तीय साधन हैं ।

(ख) भारत सरकार ने जहाजों के क्रय मूल्य का ७५ प्रतिशत तक २॥ प्रतिशत के रियायती ब्याज पर उधार देना स्वीकार कर लिया है । अब नौवहन कम्पनियों को चाहिये कि वे इन सुविधाओं का लाभ उठायें । जैसा कि सर्वविदित है नौवहन हमारी आर्थिक व्यवस्था के गैर-सरकारी क्षेत्र में आता है तथा मुख्यतः स्वयं नौवहन कम्पनियों को अपना अपना बेड़ा बढ़ाने के लिये इस ओर कदम उठाना चाहिये ।

मसाला जांच कमेटी

*२९५. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक :** (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या मसाला जांच कमेटी ने अपनी कोई रिपोर्ट सरकार को दी है ?

(ख) यदि हां, तो उस कमेटी ने कौन कौन सी मुख्य सिफारिशें की हैं ?

(ग) क्या सरकार सदन पटल पर, उन सिफारिशों के साथ जो सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं, इस रिपोर्ट की एक प्रति रखने की कृपा करेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) अभी तक नहीं ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

मध्यम श्रेणी का स्थान

*२९६. **ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर :** (क) रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि मध्यम श्रेणी में यात्रा करने वालों की संख्या साधारणतः उपलब्ध स्थान से अधिक होती है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस श्रेणी में स्थान बढ़ाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली में टेलीफ़ोन कनेक्शन

*२९७. **ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर :** (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दिल्ली और नई दिल्ली टेलीफोन

जिला प्रबन्धकों के सामने नये टेलीफोन कनक्शनों के लिये कितने प्रार्थना पत्र पड़े हुए हैं ?

(ख) दिल्ली और नई दिल्ली टेलीफोन एक्सचेंजों के वर्तमान संयन्त्रों के आधार पर कितने प्रार्थनापत्र मंजूर किये जा सकते हैं ?

(ग) शेष प्राथियों को संतुष्ट करने के लिय सरकार कौन सी योजना पर विचार कर रही है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क)

	नई दिल्ली	पुरानी दिल्ली
अपने टेलीफोन का स्वामित्व प्राप्त करने वाले निक्षेपक	३२	४०
मुक्त वर्ग	१,२८०	१,४५५
	१,३१२	१,४९५

(ख) नई दिल्ली एक्सचेंज से लगभग ३९० टेलीफोन कनेक्शन तथा पुरानी दिल्ली में तीस हजारी एक्सचेंज से ८०० कनेक्शन दिये जा सकते हैं।

(ग) दो नय एक्सचेंज स्थापित करने का विचार है : साउथ ब्लाक सेक्रिटेरियट में २००० लाइनों वाला तथा करोल बाग में २,५०० लाइनों वाला। तीस हजारी (पुरानी दिल्ली) एक्सचेंज की क्षमता को ४,००० लाइनों से बढ़ा कर ८,००० लाइनें कर दिया जायेगा।

राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम

*२९८. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** (क) क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, जो १ अप्रैल, १९५३ को आरम्भ किया गया था, की कार्यान्विति में कितनी प्रगति हुई है ?

(ख) क्या सरकार का विचार सदन पटल पर इस प्रकार का कोई विवरण रखने का है : (१) प्रत्येक राज्य को केन्द्र द्वारा दी गई सहायता, (२) इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में प्रत्येक राज्य द्वारा किया गया कार्य, (३) अब तक किस प्रकार का तथा कितना काम किया गया, तथा (४) प्रत्येक राज्य में कितनी सफलता प्राप्त हुई ?

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने प्रत्येक राज्य में ऐसी कोई एजन्सी नियुक्त की है जो (१) किये जाने वाले काम का निरीक्षण कर सके, (२) व्यय किये गये धन की जांच कर सके, (३) यह देख सके कि व्यय किया गया धन किये गये काम के सममात्रिक है अथवा नहीं, तथा (४) यदि मामला असंतोषजनक हो तो उसमें सुधार करने के उपाय बता सके ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) तथा (ख), (३) और (४). चालू वर्ष में विभिन्न राज्यों में ९० मलेरिया नियंत्रण यूनिटें बनाई जा रही हैं जिन में से प्रत्येक यूनिट मलेरिया वाले क्षेत्रों में लगभग १० लाख व्यक्तियों को मलेरिया से बचा सकेगी। कुछ राज्यों को छोड़ कर शेष राज्यों में यूनिटों में काम करने के लिये कर्मचारी रख लिये गये हैं। डी० डी० टी० को अपेक्षित मात्रा अधिकतर राज्यों को दी जा चुकी है। इस महीने के अन्त तक ७५ यूनिटों को छिड़कने के उपकरण तथा मोटरगाड़ियां मिल जाने की सम्भावना है। राज्यों से कहा गया है कि वे उन क्षेत्रों में जो पहले ही से नियंत्रण में हैं, केन्द्र द्वारा दी गई डी० डी० टी० को अपने पास उपलब्ध मोटरगाड़ियों तथा उपकरणों की सहायता से छिड़कना आरम्भ कर दें तथा केन्द्र द्वारा मोटरगाड़ियां तथा उपकरण दिये जाने की प्रतीक्षा न करें। जब और मोटरगाड़ियां और उपकरण उपलब्ध हो जायेंगे तो यह कार्यवाही नये क्षेत्रों में भी आरम्भ कर दी जायेगी। कुछ राज्यों में छिड़कने की कार्यवाही पहले ही से आरम्भ कर दी गई है। अधिकतर राज्यों में

इन कार्यवाहियों का परिणाम मलेरिया सीजन समाप्त हो जाने पर अर्थात् नवम्बर के महीने तक मालूम पड़ेगा।

(ख) (१) और (२) आवश्यक सूचना के तीन विवरण सदन पटल पर रखे जाते हैं। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १२]** :

(ग) (१) से (४) तक जी नहीं, **किन्तु भारतीय मलेरिया संस्था के कर्मचारियों** की संख्या में वृद्धी की जा रही है जिस से वह विभिन्न राज्यों में कार्य का समन्वय तथा निरीक्षण कर सके।

डाक की दरों का वैज्ञानिकन

***२९९. श्री एम० एल० द्विवेदी :** (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अप्रैल १९५३ के दूसरे सप्ताह में शिलौंग में हुए डाक कर्मचारियों के वार्षिक सम्मेलन में रखी गई इस मांग के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है कि वाणिज्यिक दृष्टि से डाक दरों का वैज्ञानिकन किया जाये ?

(ख) क्या सरकार के पास बढ़ी हुई डाक दरों के सम्बन्ध में अभिवेदन आये हैं ?

(ग) यदि हां, तो सरकार इन दरों को जनता की मांग के स्तर तक लाने के सम्बन्ध में, निकट या दूर भविष्य में, क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) सरकार को ज्ञात नहीं है कि निर्दिष्ट सम्मेलन में संघ द्वारा ऐसी कोई मांग भी रखी गई थी।

(ख) जी नहीं।

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विभाग की डाक शाखा घाटे में काम कर रही है, सरकार दरों मे कमी करना सम्भव नहीं समझती है। पत्रों तथा कार्डों को छोड़कर, वर्तमान दरों पर भी प्रत्येक वस्तु के लाने ले जाने में घाटा सहना पड़ रहा है। इसके अलावा डाक सुविधाओं के विस्तार की योजना को भी इस से धक्का लगगा।

रेलवे कोचें

***३०२. श्री मुनिस्वामी :** : क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि हाल में स्विटज़रलैंड में बनी सवारी कोचों का एक समूह भारत में आया है ;

(ख) उन कोचों की संख्या, जिनके लिए भारत सरकार ने आदेश दिया है ; तथा

(ग) भारत की विभिन्न रेलों में उनके विवरण का तरीका ?

रेल तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां।

(ख) १५२।

(ग) उनको रेलवे के बीच इस रूप में बांटा जाता है, जिस से एकाधिक रेलवे प्रणाली की महत्वपूर्ण रेलों में यथासंभव पूरी ट्रेन जोड़ी लगायी जा सके।

टेलीफोन-विशेषज्ञ

***३०३. श्री बुच्चिकोटैय्या :** (क) क्या **संचार** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बंगलौर स्थित टेलीफोन-उद्योगों में डायल और कंडेन्सर के निर्माण विभाग में विशेषज्ञों के ठेके पर काम करने वाले दो व्यक्ति कब से काम कर रहे हैं ?

(ख) क्या भारतीय विशेषज्ञों को इन विभागों का प्रबंध करने के लिए कुछ अनुदेश दिए जा रहे हैं ?

(ग) इन विशेषज्ञों पर कितना धन व्यय किया जा रहा है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) डायल विशेषज्ञ को ५ मई १९५३ को एक वर्ष के ठेके पर रखा गया है। कंडेन्सरों के

निर्माण के लिए कोई विशषज्ञ नहीं रखा गया है।

(ख) हां। एक भारतीय सहायक इंजीनियर को विशेषज्ञ के नीचे अध्ययनार्थ लगाया गया है।

(ग) डायल निर्माण के विशेषज्ञ को १५६० पौंड के वार्षिक वेतन और इंगलैंड से भारत और वापस के 'डी' दरजे के जहाजी-किराए पर रखा गया है। उसको ७५० रुपए का सामग्री-भत्ता भी भारत आ जाने पर दिया गया था।

बिन्ध्य-प्रदेश में नया रेल-पथ

***३०४. श्री आर० एस० तिवारी :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरपालपुर स्टेशन को छतर-पुर, पन्ना तथा सतना से जोड़ने वाला रेल-पथ बनाने के लिए कोई भूमापन हुआ था ; तथा

(ख) यदि हां, तो यह भूमापन कब हुआ था और उसे पूरा करने का क्या विचार किया गया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगे-शान): (क) तथा (ख). १९३५ में हर-पालपुर से छतरपुर होते हुए कटनी तक लाइन बिछाने के लिए एक भूमापन किया गया था, पर चूंकि केन्द्रीय परिवहन बोर्ड ने इस परि-योजना को मंजूर नहीं किया था, उसे छोड़ दिया गया।

डाक के टिकट

***३०५. श्री आर० एस० तिवारी :** क्या संचार मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्वालियर, त्रावणकोर-कोचीन तथा हैदराबाद के टिकटों का चलना क्रमशः कब से बन्द हो गया है ;

(ख) क्या केन्द्र के कोष में उपर्युक्त राज्यों के टिकट बाकी हैं ; तथा

(ग) यदि हैं, तो उनका मूल्यांकन क्या है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) भूतपूर्व हैदराबाद राज्य के डाक-टिकटों को १ अप्रैल, १९५० से वापस ले लिया गया था, और ग्वालियर और त्रावणकोर-कोचीन वालों को क्रमशः १ जनवरी, १९५१ और १ जुलाई, १९५१ से।

(ख) हां।

(ग) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १३]**

तार तथा टेलीफोन की सुविधाएं

***३०६. श्री आर० एस० तिवारी :** (क) क्या संचार मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विन्ध्य-प्रदेश के प्रत्येक ज़िले और तहसील के मुख्य स्थानों में तार तथा टेलीफोन लगाये जाने की कोई योजना है ?

(ख) यदि है, तो उसकी तफसील क्या है ?

(ग) विन्ध्य-प्रदेश के ज़िलों तथा तहसी-लों के प्रधान केन्द्रों में कब तक तार लगाए जा सकेंगे ?

(घ) लौड़ी चंदला, अजैगढ़, पवई तथा सीधी के पूरे ज़िले में कब तक तार लगाए जाएंगे ?

(ङ) छतरपुर, टीकमगढ़ तथा सीधी ज़िलों में टेलीफोन लगाये जाने की क्या योजना है ?

(च) यह योजना कब तक कार्यान्वित होगी ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख). सामान्यतः तार तथा टेलीफोन का उपबंध करने वाली किसी योजना में कोई घाटा नहीं पड़ना चाहिये। फिर भी एक नए तारघर में ५०० रुपए वार्षिक तक के घाटे की अनमति है, यदि उस स्थान की जनसंख्या ५००० से कम न हो, और ५ मील की परिधि में दूसरा तारघर न हो इन दशाओं की पूर्ति न करने वाले प्रस्तावों को उसी समय मंजूर किया जाता है, जब संबंधित राज्य सरकारों या अन्य पक्षों द्वारा उनके संबंध में गारन्टी दे दी जाती है। उसी प्रकार घाटे वाली टेलीफोन योजना के विषय में भी गारंटी देनी पड़ती है।

विन्ध्य प्रदेश के जिला तथा तहसील केन्द्रों के मामलों पर इसी आधार पर विचार किया जा रहा है। फिर भी, इन दशाओं को उदार बनाने की बात भी विचाराधीन है।

(ग) तथा (घ). विन्ध्य प्रदेश के सभी ज़िला केन्द्रों में तार की सुविधा है। अजैगढ़ में भी तार की सुविधा है क्योंकि वहां पर पन्ना वाली टेलीफोन लाइन पर संदेश भजे तथा ग्रहण किए जाते हैं तहसील केन्द्रों के विषय में, जहां अभी प्रबन्ध होना है, विन्ध्य प्रदेश सरकार से गारंटी की शर्तों को मंजूर कर लेने के लिए कहा गया है।

(ङ) तथा (च). गारंटी के निबंधन-विषयक प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार के साथ पत्रव्यवहार चल रहा है। राज्य सरकार द्वारा उन निबंधनों के मान लिए जाने पर उनको मंजूर कर लिया जाएगा।

पूर्वोत्तर रेलवे में सिगनल तथा टेलीफोन

*३०७. **श्री विश्वनाथ राय :** क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे की कुछ स्टशनों पर सिगनल और टेलीफोन संबंध **नहीं हैं** ; तथा

(ख) यदि नहीं हैं, तो क्या सरकार अन्य रेलवे स्टेशनों की भांति उनको भी पूर्णतः सुसज्जित करना चाहती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) फ्लैग स्टेशनों को छोड़ कर, जहां सिगनलों की आवश्यकता नहीं होती, पूर्वोत्तर रेलवे की सभी स्टशनों पर सिगनलों की व्यवस्था है। २५४ क्रासिंग स्टेशनों और १३५ फ्लैग स्टेशनों पर अभी टेलीफोन नहीं लगाया गया है।

(ख) जहां तक सिगनलों के लगाने की बात है प्रश्न नहीं उठता। संचालन कार्य के लिए आवश्यक होने पर रेलवे नियंत्रण टेलीफोनों की व्यवस्था की जा रही है।

एगमार और तिन्नेवेलि के बीच उपद्रव

*३०८. **श्री मुनिस्वामी :** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि एगमोर और तीन्नेवेलि जंकशनों के बीच जुलाई, १९५३ के द्वितीय सप्ताह में हुए उपद्रवों के कारण दक्षिण रेलवे की कुल कितनी हानि हुई है ?

(ख) भविष्य में एसे उपद्रवों को रोकने के लिए अधिकारियों द्वारा क्या पग उठाए गए हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) रेलवे संपत्ति की कोई भारी हानि या क्षति नहीं हुई है।

(ख) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक पग उठाने का उत्तरदायित्व मुख्यतः राज्य सरकार का है।

कटक स्थित चावल गवेषणा संस्था

*३०९. **श्री मुनिस्वामी :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि कटक स्थित केन्द्रीय

चावल गवेषणा संस्था में कीड़ा लगना रोकने के लिए एक नया उपाय खोजा गया है ?

(ख) क्या पूरे भारत में इस उपाय को लोकप्रिय बनाने के लिए पग उठाए गए हैं ?

(ग) क्या गवेषणा संस्था इस उपाय पर आगे अनुसंधान कर रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) हां। भंडार में रखे गए चावल तथा धान में लगने वाले कीड़े के विरुद्ध 'स्वेद वाला जल पौधा' नामक एक स्थानीय अर्धजलीय पौधे के पूर्ण शिफावृन्त को अत्यन्त गुणकारी पाया गया है।

(ख) संस्था के वार्षिक प्रतिवेदन में यह बात प्रकाशित की गई है।

(ग) हां ; आगे और काम हो रहा है।

बालोदा बाजार में डाक का वितरण

***३१०. श्री बी० एन० मिश्र :** (क) संचार मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि बालोदा बाजार में डाक को डाकघर में आने के दूसरे और तीसरे दिन तक बांटा जाता है ?

(ख) यदि सच है, तो डाक-अधिकारियों ने डाक के अपेक्षतया शीघ्र-वितरण के लिए क्या पग उठाए हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) रेल तथा डाक की मोटरगाड़ी के समय के कारण कुछ चीज़ें आने के दूसरे दिन और दूसरा दिन रविवार होने पर तीसरे दिन बांटी जा रही हैं।

(ख) देर न होने देने के लिए और शीघ्र वितरण कराने के लिए अतिरिक्त कर्म-चारीवर्ग स्वीकृत किया जा रहा है तथा डाक की मोटरगाड़ी का समय बदलने के लिए भी पग उठाए जा रहे हैं।

पुस्तकों पर डाक दरें

***३११. श्री झूलन सिन्हा :** क्या संचार मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में बढ़ी हुई दरों के लागू हो जाने के बाद से पुस्तकों के पैकेटों पर डाक की आय का क्या रुख रहा है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि संचार की विभिन्न मद्दों का पृथक्-पृथक् लेखा नहीं रखा जाता। पर मई, १९५३ मास के संचार के रुख से पता चलता है कि आय बढ़ रही है।

नैनी स्टेशन के पास मालगाड़ी का पटरी से उतरना

***१४०. श्री रघुनाथ सिंह :** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि २ जून, १९५३ को उत्तर रेलवे के नैनी स्टेशन के पास १००६ डाउन मालगाड़ी पटरी पर से उतर गई थी जिसके कारण बहुत हानि हुई ?

(ख) दुर्घटना होने के क्या कारण थे ?

(ग) पिछली बार कब उन रेल की पांतों की जांच हुई थी ?

(घ) यात्रा आरम्भ होने के पहिले क्या गाड़ी के डिब्बों की जांच की गई थी ?

(ङ) जब यह मालगाड़ी इलाहाबाद यार्ड में खड़ी थी तब क्या उसकी जांच की गयी थी ?

(च) जिन व्यक्तियों के कारण यह दुर्घटना हुई क्या उन्हें दंड दिया गया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अल-गेशन) : (क) हां। २-६-१९५३ को नैनी स्टेशन पर १००६ डाउन थ्रू मालगाड़ी के सात डिब्बे पटरी के एक डायमंड क्रास पर पटरी से उतर गए, जिसके फलस्वरूप इंजन, डिब्बों और स्थायी पटरी को कुल मिला कर लगभग ७६३२ रुपए की हानि पहुंची।

(ख) एक डिब्बे की कसने के सरिया को लटकाने वाला ढीला पड़ गया, और डायमंड क्रास के पार करने में उसने बाधा दी। यह डिब्बा पटरी से उतर गया और उसी क्रम में तीन आगे के और तीन पीछे के डिब्बे भी पटरी से उतर गए।

(ग) २८ और २९ मई, १९५३ को। रेल की पांतों में कोई गड़बड़ी नहीं थी।

(घ) तथा (ङ). हां।

(च) इलाहाबाद के काम पर लगे हुए सहायक ट्रेन निरीक्षक और फिटर को, जिन्होंने गाड़ी की जांच की थी, ठीक तरह से उस डिब्बे की जांच न करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है, जिसका कसने के सरिया को लटकाने वाला ढीला था और जो पटरी से उतर गया। उत्तरदायी ठहराये गए कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही की जा रही है।

नवद्वीप शान्तिपुर ट्रेन की दुर्घटना

***१४१. श्री रघुनाथ सिंह :** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि १५ जून, १९५३ को पूर्वी रेलवे की २ डाउन नवद्वीप शान्तिपुर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गयी थी, जिसके कारण बहुत से व्यक्ति घायल हो गए थे ?

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति घायल हो गए थे ?

(ग) कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी थी तथा कितने घायल हो गए थे ?

(घ) दुर्घटना होने का कारण क्या था ?

(ङ) क्या सरकार ने इस की कोई जांच की है ?

(च) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ है ?

(छ) जब लेवल क्रासिंग पर ट्रक की टक्कर गाड़ी से हुई थी, तब क्या फाटक बन्द था ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). हां, १५ जून, १९५३ को लगभग ६-२० बजे प्रातः जब २ डाउन शान्तिपुर-नवद्वीपघाट संकरी लाइन सवारी गाड़ी आमघाटा और कृष्णनगर रोड स्टेशनों के बीच चल रही थी, कुछ डिब्बों के खुले दरवाजे पास ही एक जिला बोर्ड की सड़क पर, जो रेलवे लाइन के समानान्तर और सन्निकट ही चलती है, रेलवे लाइन के बिलकुल पास ही खड़ी हुई एक लारी से टकरा गए। कोई मरा नहीं। दो यात्रियों को भारी चोट पहुंची और अन्य दो यात्रियों को साधारण।

(घ) से (च). रेलवे के ज्येष्ठ-पदाधिकारियों की एक समिति द्वारा इस दुर्घटना की जांच की गई। उनकी उपपत्ति यह है कि यह दुर्घटना मोटरगाड़ी के ड्राइवर के कारण हुई थी, जिसने अपनी गाड़ी रेलवे लाइन से लगभग तीन फीट दूर खड़ी कर रखी थी और इस प्रकार रेलगाड़ी के चलने की प्रमापी दूरी का उल्लंघन किया था, और चलती गाड़ी में कुछ डिब्बों के दरवाजे खुले रख कर रास्ते में बैठे हुए तथा फुटबोर्ड पर लटकते हुए यात्रियों का भी इस दुर्घटना में हाथ था।

(छ) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि दुर्घटना रेल-सड़क चौराहे पर संपन्न न हुई थी।

लकड़ी

***१४२. श्री बी० पी० नायर :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय लकड़ी का वार्षिक अनुमानित (१) उत्पादन क्या है तथा (२) आवश्यकतायें क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार को भारत में विभिन्न प्रकार की नर्म लकड़ों की निर्माण शक्ति चिरस्थायित्व तथा उपलब्धी के बारे में कोई सूचना है ;

(ग) क्या भारत सरकार ने नर्म लकड़ी को इमारती कार्यों में प्रयोग में लाने की बात पर कोई विचार किया है; तथा

(घ) यदि किया है तो इसका क्या परिणाम निकला है ;

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) से (घ) . सूचना एकत्रित की जा रही है तथा इसे यथासमय सदन पटल पर रख दिया जायेगा ।

"अधिक अन्न उपजाओ" आन्दोलन (अनुदान)

१४३. श्री कर्णी सिंहजी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च १९५३ को समाप्त होने वाले गत चार वर्षों के प्रत्येक वर्ष में भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को "अधिक अन्न उपजाओ" परियोजनाओं के लिए कितना धन अनुदान अथवा अर्थ सहायता के रूप में दिया है ; तथा

(ख) इन परियोजनाओं के अन्तर्गत इसी काल के दौरान में बंजर भूमि के कुल क्षेत्र में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क)

(लाख रुपयों में)

	ऋण	अनुदान	कुल
१९४९-५०	..	..	..
१९५०-५१	३·२५	१·०३	४·२८
१९५१-५२	१·५०	३·०६	४·५६
१९५२-५३	५·६०	०·१९	५·७९

(१-४-५१ से ३१-१२-५२ तक)

यह आंकड़े अन्तर्कालीन हैं ।

(ख) १९५०-५१ से पूर्व राजस्थान की कृषि सम्बन्धी सांख्यकी राज्य के केवल एक भाग से सम्बन्ध रखती है । १९५०-५१ के आंकड़े लगभग सारे राज्य से सम्बन्ध रखते हैं । इसलिए १९५०-५१ की बंजर जमीनों के क्षेत्र का पूर्व वर्षों के क्षेत्रों के साथ तुलना करना सम्भव नहीं है । १९५०-५१ में बंजर भूमि के क्षेत्र का अनुमान ८ करोड़ १० लाख एकड़ के कुल क्षेत्र में से १ करोड़ ४० लाख एकड़ लगाया गया था । बाद के वर्षों के लिये कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

अभाव वाले क्षेत्रों के लिए सोवियत रूस से उपहार

***१४४. श्री ईश्वर रेड्डी :** (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि देश के अकालग्रस्त क्षेत्रों में वितरण के लिये भारतीय रेड क्रास द्वारा सोवियत रूस से कितना चावल, गेहूं, बन्द डिब्बों में दूध तथा नकद दान प्राप्त किया गया है ?

(ख) इन में से कितनी मात्रा रायलासीमा क्षेत्र में वितरण के लिए आवंटित की गई ?

(ग) इन उपहारों को देश के अकालग्रस्त क्षेत्रों में विशेषकर रायलासीमा में उचित रूप से वितरित करने के लिए क्या व्यवस्था विद्यमान है ?

(घ) क्या सरकार के ध्यान में ऐसी कोई घटनाएं लाई गई हैं जहां कि इन उपहारों का दुरुपयोग किया गया है अथवा अनुचित वितरण किया गया है अथवा बिल्कुल कोई वितरण नहीं किया गया है ?

(ङ) यदि लाई गई हैं, तो सरकार ने इन उपहारों का दुरुपयोग रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

(ब) क्या यह सत्य है कि इन उपहारों की एक बहुत बड़ी मात्रा आन्ध्र तथा तामिलनाद के विभिन्न तालुक कार्यालयों के गोदामों में बिना वितरण के पड़ी हुई है ?

(ङ) यदि यह सत्य है तो कितनी मात्रा का वितरण किया जाना अभी बाकी है तथा यह कहां कहां है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) तथा (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा ज्योंही प्राप्त होगी, त्योंही इसे सदन पटल पर रख दिया जायगा।

(ग) मद्रास में भारतीय रेड क्रास सोसाइटी ने कलक्टरों को अपने मनोनीत व्यक्ति नियुक्त करने का निश्चय किया है तथा कलक्टर वितरण का कार्य लंगर जारी करके तथा अन्य सुसंगठित संस्थाओं जैसे कि प्रसूति गृहों, अस्पतालों, होटलों, अनाथालयों, रेड क्रास शाखाओं तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा करते हैं। मैसूर में स्टाक स्थानीय माल तथा खाद्य अधिकारियों के पास रहता है तथा रेड क्रास सोसाइटी द्वारा वितरण के लिए इसका आवंटन किया जाता है। हैदराबाद में वितरण का कार्य ज़िला कलक्टरों के परामर्श से भारतीय रेड क्रास सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है। कलक्टरों ने इस उद्देश्य के लिए स्थानीय समितियां नियुक्त की हैं। इन सभी राज्यों के वितरण केन्द्रों में अनाज आदि की प्राप्ति तथा वितरण का उचित हिसाब रखा जाता है जिसका कि सरकारी अधिकारी, विशेषकर लेखा-परीक्षक दल तथा भारतीय रेड क्रास सोसाइटी समय समय पर परीक्षण करते हैं।

(घ) तथा (ङ). केवल मद्रास में इस उपहार के अनुचित प्रयोग के सम्बन्ध में पांच शिकायतें सरकार के ध्यान में लाई गई हैं। पूछताछ कराने पर दो शिकायतें निराधार निकलीं। दो मामलों में कानूनी कार्यवाही की जा रही है तथा बाकी एक मामले में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

(च) तथा (छ). राज्य सरकारों के पास वितरण के लिए थोड़ी मात्रा रह गई है क्योंकि यह आवश्यक समझा गया है कि इस माल को विपत्ति के उतने काल के लिए रक्षित रखा जाना चाहिये जितने का कि स्थानीय कलक्टर अनुमान लगा सकें। स्टाक में रखे गए माल के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है तथा जब यह प्राप्त होगा तो इसे सदन पटल पर रख दिया जायगा।

चिकित्सा कालिजों में भाग ग राज्यों के लिये स्थान-रक्षण

१४५. **डा० राम सुभग सिंह** : (क) क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि क्या यह सत्य है कि भारत सरकार ने भाग ग राज्यों के छात्रों के लिए देश के कुछ मेडिकल कालिजों में कुछ स्थान रक्षित रखे हैं ?

(ख) यदि रखे हैं तो कितने स्थान किन किन कालिजों में रक्षित रखे गए हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रख दिया जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १४]

टेलीफ़ोन आपरेटरों की छांटी

१४६. **श्री विट्ठल राव** : क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई-जून, १९५३ में कितने टेलीफोन आपरेटरों की छांटी की गई तथा इसी काल में कितने आपरेटरों के फालतू होने का अनुमान लगाया गया है ?

(ख) ट्रंक एक्सचेंजों तथा अन्य केन्द्रों में कितने भर्ती किये गए ;

(ग) अगले चार प्रक्रमों, अर्थात् जून-जुलाई, १९५३, फरवरी-मार्च, १९५६ नवम्बर-दिसम्बर १९५६ तथा अगस्त-सितम्बर, १९५७ पर कितने व्यक्तियों के फालतू होने का अनुमान है ; तथा

(घ) कितनों को भरती किये जाने की आशा है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) कलकत्ता आटो-एक्सचेंजों में मई-जून, १९५३ में कर्मचारियों में कमी करने के प्रथम प्रक्रम पर किसी टेलीफोन आपरेटर की छंटनी नहीं की गई। प्रारम्भ में इस अवस्था पर १५० आपरेटरों के फालतू होने का अनुमान लगाया गया था।

(ख) २६ टेलीफोन आपरेटर भरती किये गए हैं तथा सभी के सभी कलकत्ता ट्रंक एक्सचेंज में लगाए गए हैं।

(ग) प्रथम प्रक्रम मई-जुलाई १९५३...१५०
द्वितीय प्रक्रम जून-जुलाई १९५५...१२०
तृतीय प्रक्रम फ़रवरी-मार्च १९५६...१४०
चतुर्थ प्रक्रम नवम्बर-दिसम्बर १९५६...१५०
पंचम प्रक्रम अगस्त-सितम्बर १९५७...१००

(घ) उन सभी उपयुक्त टेलीफोन आपरेटरों को भरती करने का प्रयत्न किया जायगा जोकि 'स्वतः चलन' परियोजना को क्रियान्वित किये जाने के परिणामस्वरूप फालतू हो जायेंगे।

पंजाब में राष्ट्रीय राज-पथ

१४७. प्रो० डी० सी० शर्मा : क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंच वर्षीय योजना के अन्त पर पंजाब में कुल कितनी मील सड़कें राष्ट्र राज्य-पथ के अन्तर्गत आ जायेंगी ; तथा

(ख) १९५३ के अन्त तक कितनी मील सड़कें बन चुकी होंगी ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ६३१ मील (कुल लम्बाई)।

(ख) पंजाब में यह सड़कें लुप्त नहीं हो गई हैं परन्तु १९५३ के अन्त में कस्बों तथा नगरों के गिर्द लगभग १७ मील बाहरी सड़कें बनानी बाकी रहेंगी।

सिंचाई के छोटे निर्माण कार्य

१४८. श्री दाभी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंचाई के छोटे छोटे निर्माण कार्यों के लिए राज्यों को ऋण तथा/अथवा अनुदान देने के सम्बन्ध में नीति क्या है ;

(ख) १९४९-५०, १९५०-५१, १९५१-५२ तथा १९५२-५३ के वर्षों में ऋणों तथा/अथवा अनुदानों के रूप में प्रत्येक राज्य को कितना धन दिया गया है ; तथा

(ग) वर्ष १९५३-५४ के लिए प्रत्येक राज्य को सिंचाई के छोटे छोटे निर्माण कार्यों के लिए कितनी धनराशि ऋण तथा/अथवा अनुदानों के रूप में मंजूर की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से छोटी सिंचाई परियोजनाएं दो श्रेणियों में बांटी गई हैं अर्थात् प्राइवेट तथा सरकारी परियोजनाएं। प्राइवेट परियोजनाए वह हैं जो प्राइवेट व्यक्तियों के हाथ में हैं किन्तु जो सरकार की सहायता से चलाई जा रही हैं जैसे कि कुएं, छोटे तालाब, छोटी नहरें आदि। इन कार्यों को कुल व्यय के २५ प्रतिशत भाग से अधिक अर्थ सहायता नहीं दी जाती है। सरकारी परियोजनाएं वह हैं जो कि प्राइवेट व्यक्तियों के सामर्थ्य से बाहर हैं तथा जिन्हें सरकार जनता के फायदे के लिए क्रियान्वित करती है अर्थात् बड़े बड़े तालाब, बांध, नहरें, ट्यूब वैल आदि। ऐसी परियोज-

नाओं का अर्थसंधारण केवल ऋणों द्वारा होता है।

(ख) तथा (ग). एक विवरण, जिस में कि यह सूचना दी गई है, सदन पटल पर रख दिया जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १५]

भारतीय रेलवे शताब्दी प्रदर्शनी में बनाई गई दुकानें आदि

१४९. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** : (क) रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रेलवे शताब्दी प्रदर्शनी में जो कुछ स्थायी तथा अर्ध-स्थायी दुकानें आदि बनाई गई हैं, क्या उन्हें यथावत् रखा जायगा ?

(ख) यदि रखा जायगा तो उन्हें किस उद्देश्य के लिए रखा जायगा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). रेलवे शताब्दी प्रदर्शनी में दुकानें आदि जो खड़ी की गई हैं, वह अस्थायी हैं। इन्हें अभी गिराया नहीं गया है क्योंकि निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद मंत्रालय इन्हें जनवरी १९५४ में होने वाली सस्ते मकानों की प्रदर्शनी के सिलसिले में प्रयोग में लाना चाहती है।

यांत्रिक कृषि पर हानि

१५०. **सरदार ए० एस० सहगल** : (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि भारत सरकार तथा पंजाब सरकार को यांत्रिक कृषि परियोजना पर ३६ लाख रुपये की हानि उठानी पड़ी है ?

(ख) भारत सरकार तथा पंजाब राज्य सरकार ने १९४९-५०, १९५०-५१ तथा कितनी हानि उठाई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) तथा (ख). पंजाब सरकार ने १९४९-५० से ले कर १९५१-५२ तक के काल में भूमि पुनरुद्धार तथा यांत्रिक कृषि परियोजना पर कुल ३६,१४,४३६ रुपये की हानि उठाई है। वर्ष-वार आंकड़े नीचे दिए गये हैं :

१९४९-५०	१,०२,८०० रुपये
१९५०-५१	२३,९३,३९८ रुपये
१९५१-५२	११,१८,२३८ रुपये
	३६,१४,४३६ रुपये

केन्द्रीय ट्रैक्टर संस्था केवल सितम्बर १९४८ से जुलाई १९४९ तक इस परियोजना को चला रही थी तथा उस काल में लगभग ७ लाख रुपये की हानि होने का अनुमान लगाया गया है। यह ऊपर दी गई हानि के अलावा है। इस बात का फैसला किया गया है कि भारत सरकार तथा पंजाब सरकार बराबर हिस्सों में यह हानि उठायेंगे।

दिल्ली पोलीटैक्निक केन्द्र

१५१. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैट्रिकुलेशन तथा इसके समान ही अन्य अर्हताएं रखने वाले कितने प्रशिक्षार्थी पुनर्वास विभाग के दिल्ली पोलीटैक्निक केन्द्र में दर्ज किये गए हैं ; तथा

(ख) कितने ऐसे छात्रों को, जो कि इस केन्द्र से प्रशिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, उपयुक्त काम दिलाया गया है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) २२१।

(ख) पिछले दल में ३२६ प्रशिक्षार्थियों ने ट्रेनिंग पूरी की है। यह मालूम नहीं कि कितने व्यक्तियों को नौकरी मिली है, क्योंकि इस समय यह जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है।

उत्तर रेलवे में क्लर्क

१५२. **श्री धूसिया :** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर रेलवे में स्थायी तथा अस्थायी क्लर्कों की संख्या क्या है ?

(ख) इन में से कितने व्यक्ति अनसूचित जातियों से सम्बन्ध रखते हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ८,२२२ ।

(ख) ६४ ।

भंडार निदेशालय में टैक्नीकल अधिकारी

१५३. **श्री एम० आर० कृष्ण :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५२-५३ में भंडार निदेशालय में कितने टैक्नीकल अधिकारी तथा सहायक संचालक नियुक्त किये गए ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई):

टैक्नीकल अधिकारी	४
सहायक संचालक	३

राज्य सरकारों के पास वायुयान

१५४. **श्री के० सुब्रह्मण्यम् :** क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किस किस राज्य के पास राज्यपालों तथा मंत्रियों के काम में लाने के लिए अपने वायुयान हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, बिहार, बम्बई, सी० पी० तथा बरार, पंजाब, हैदराबाद और सौराष्ट्र राज्यों के पास अपने अपने वायुयान हैं ।

चीनी

१५५. **पंडित एम० बी० भार्गव :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान उत्पादन काल के आरम्भ में तथा पहली जुलाई, १९५३ को चीनी का कुल कितना स्टाक था तथा उसका मूल्य कितना है ;

(ख) १९५२-५३ के उत्पादन काल में चीनी कुल कितनी मात्रा में बनाई गई थी ;

(ग) वर्ष १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में भारत में जितनी चीनी बनाई गई थी उसकी तुलना में यह कितनी है ;

(घ) इस कमी के यदि कोई कारण हैं तो क्या हैं ;

(ङ) विनियंत्रण के समय चीनी के फुटकर तथा थोक दाम क्या थे ;

(च) भारत के भिन्न भिन्न बाज़ारों में चीनी के इस समय फुटकर तथा थोक दाम क्या हैं ;

(छ) यदि इसके दाम अधिक हैं तो इसके कारण क्या हैं ; तथा

(ज) वर्ष १९५०-५१, १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में भारत से चीनी कितनी मात्रा में बाहर भेजी गई थी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) पहली नवम्बर, १९५२ तथा पहली जुलाई, १९५३ को फैक्टरियों में क्रमशः ५०३,१४३ तथा ७०९,२०५ टन चीनी थी । इस चीनी के मूल्य के तत्संबादी आंकड़े ४२४.६० लाख रुपये तथा ५२१.२७ लाख रुपये हैं ।

(ख) तथा (ग) . गत तीन वर्षों में चीनी का उत्पादन इस प्रकार था:—

वर्ष	उत्पादन (लाख टनों में)
१९५०-५१	११.१६
१९५१-५२	१४.९७
१९५२-५३	१२.९३ ।

(घ) १९५१-५२ की तुलना में १९५२-५३ में उत्पादन की कमी के कारण ये हैं :—

(१) गन्ने के उत्पादन में लगभग ५ प्रतिशत की कमी,

(२) गुड़ के अपेक्षाकृत अधिक दाम के कारण फैक्टरी क्षेत्रों में गन्ने से अधिक गड़ का बनाया जाना,

(३) १९५१-५२ में १४१ के मुकाबले में १९५२-५३ के उत्पादन काल में चीनी की जो फैक्टरियां चल रही थीं उनकी संख्या १३४ थी, तथा

(४) फैक्टरियों ने उत्पादन कार्य तीन सप्ताह बाद आरम्भ किया।

(ङ) तथा (च). थोक तथा फटकर दाम इस प्रकार थे :

(प्रति मन)

	कलकत्ता		कानपुर		बम्बई	
	थोक	फुटकर	थोक	फुटकर	थोक	फुटकर
	रु० आ०	आ० पा०	रु० आ०	आ० पा०	रु० आ०	आ० पा०
६-१२-५२ को	२९—६	१३—०	२७—१०	११—३	३३—०	१४—०
२५-७-५३ को	३१—१४	१३—३	३१—००	१२—९	३२—१२	१३—९।

(छ) चीनी के दाम बढ़जाने के कारण ये थे :

(१) गुड़ तथा खांडसारी का कम उत्पादन तथा परिणामतः फैक्टरी में बनी चीनी की मांग अधिक बढ़ गई,

(२) गुड़ तथा खांडसारी के दामों में वृद्धि,

(३) व्यापारियों का यह विचार था कि उपलब्ध चीनी उपभोग के लिए अपर्याप्त थी, और

(४) चीनी लाने ले जाने के लिये वैगनों की कमी।

१९५३ की अप्रैल के तीसरे सप्ताह तक चीनी के दाम उचित स्तर पर थे, जब कि ये मूल्य बढ़ने लगे और उचित औसत मूल्य से लगभग २ रुपये से ४ रुपये प्रति मन बढ़ गये। चीनी के इधर उधर ले जाने के कार्य में शीघ्रता करने ; उचित मूल्य/राशन दूकानों द्वारा अनुविहित फैक्टरी मूल्य २७ रुपये प्रति मन के हिसाब से चीनी के रक्षित स्टाक के वितरण करने; तथा बाहर से चीनी आयात करने का अपने विचार प्रकट कर देने के फलस्वरूप सरकार द्वारा चीनी के मूल्य कम कर देने के सम्बन्ध में किये गये कार्यों के कारण विभिन्न स्थानों में चीनी का मूल्य प्रति मन १ रुपये से २ रुपये तक गिर गया है।

(ज) १९५१-५२ तथा १९५२-५३ के उत्पादन काल में देश से क्रमशः कुल १०,७५५ तथा ६,४३२ टन चीनी निर्यात की गई थी। १९५०-५१ के उत्पादन काल में चीनी का नि ति नहीं किया गया था।

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के ट्रैक्टर

१५६. पंडित एम० बी० भार्गव :(क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५२-५३ में केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन द्वारा प्रयोग में लाये गए छोटे, बीच के तथा बड़ प्रकार के ट्रैक्टरों की संख्या कितनी है ?

(ख) वर्ष १९५१-५२ में उसी संगठन द्वारा काम में लाये गये ट्रैक्टरों की संख्या कितनी थी ?

(ग) किन किन राज्यों में ये ट्रैक्टर काम में लाये गये थे ?

(घ) केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के ट्रैक्टरों का कुल मूल्य कितना है ?

(ङ) इनमें से कितने बेकार पड़े हैं ?

(च) कितने समय तक ये बेकार पड़े रहे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) तथा (ख). १९५१-५२ तथा १९५२-५३ के कृष्यकरण मौसम में केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन द्वारा काम में लाये गये छोटे, बीच के तथा बड़े प्रकार के ट्रैक्टरों की संख्या इस प्रकार है :—

	१९५१-५२	१९५२-५३
छोटे ट्रैक्टर	५८	४५
बीच के ट्रैक्टर	३७	६४
बड़े ट्रैक्टर	२३८	२३४

(ग) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य भारत तथा भोपाल।

(घ) केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के ट्रैक्टरों का पूंजीगत कुल मूल्य १,९२,८६,२७० रुपये है।

(ङ) तथा (च). गत कृष्यकरण मौसम में, अर्थात् १९५३ की जून के पहिले सप्ताह में चलाते समय भारी टूट फूट के कारण सात ट्रैक्टर बेकार पड़े थे। ये ट्रैक्टर जिनमें बहुत अधिक मरम्मत की आवश्यकता थी, अक्टूबर, १९५२ से बेकार पड़े थे, और अगले मौसम में काम में लाये जा सकने के लिय उन की मरम्मत और सफाई हो रही है।

ट्रैक्टरों की मरम्मत

१५७. पंडित एम० बी० भार्गव : (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ३० जून, १९५३ को समाप्त होने वाले आधे वर्ष में केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन तथा अन्य लोगों और संस्थाओं द्वारा मंगाये गये ट्रैक्टरों के फालतू पुर्जों की संख्या तथा मूल्य कितना है ?

(ख) ट्रैक्टरों की मरम्मत तथा इनके फालतू पुर्जों के बनाने के लिये सरकार तथा गैर सरकारी फर्मों द्वारा चलाई जाने वाली फैक्टरियों की संख्या कितनी है ?

(ग) ये फैक्टरियां कहां पर हैं ?

(घ) क्या ऐसी संस्थाओं को किन्हीं विदेशी टैक्नीकल विशेषज्ञों द्वारा सहायता दी जाती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) १९५२-५३ में सरकार तथा गैर-सरकारी फर्मों ने ट्रैक्टरों के जो फालतू पुर्जे मंगवाये थे उन का कुल मूल्य १,१९,५१,३०३ रुपये है। ३० जून, १९५३ को समाप्त होने वाले आधे वर्ष में किये गये आयात के सम्बन्ध में सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है।

(ख) तथा (ग). ट्रैक्टरों की मरम्मत तथा फालतू पुर्जों को बनाने के लिये केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन दो वर्कशाप चला रहा है। इन में से एक वर्कशाप नई दिल्ली में है तथा दूसरी वर्कशाप बैरागढ़ (भोपाल) में है।

जहां तक गैर-सरकारी फर्मों का सम्बन्ध है, कुछ फर्मों ने भारत में ट्रैक्टर तथा ट्रैक्टर के पुर्जे बनाने की योजनायें बनाई हैं किन्तु इन में से कोई भी योजना कार्य रूप में परिणत नहीं की जा सकी है। सभी ट्रैक्टर आयात करने वालों को उन के द्वारा मंगाये ट्रैक्टरों को ठीक रखने तथा मरम्मत आदि के लिये पर्याप्त वर्कशाप सम्बन्धी सुविधायें तथा फालतू पुर्जों को रखना जरूरी है।

(घ) बहुत से ट्रैक्टर आयात करने वाले फर्मों न उन के द्वारा मंगाये गये ट्रैक्टरों की ठीक देख भाल तथा मरम्मत आदि के लिये विदेशी टैक्निशियनों को रख रखा है। केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन में इस समय दो विदेशी विशेषज्ञ सम्बद्ध हैं जिनमें एक संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन का विशेषज्ञ है तथा दूसरा चतुर्थ लक्ष्य

कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत में नियुक्त है, जिन का काम ट्रैक्टरों तथा पुर्जों की मरम्मत और उन के उचित उपयोग की देख भाल करना है ।

बेल्लभपल्ली की कोयला खानों में हड़ताल

१५८. **श्री विट्ठल राव**: क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३ के जून के महीने में बेल्लभपल्ली, कोठागुडियम तथा एल्लेंदू की कोयला खानों में हड़ताल होने के क्या कारण थे;

(ख) इस में कितने मजदूरों ने भाग लिया था;

(ग) कितने जन घंटों की हानि हुई;

(घ) हड़ताल को रोकने के लिये समझौता अधिकारी ने क्या प्रयत्न किये थे ;

(ङ) कोयला उत्पादन को कितनी हानि हुई ;

(च) उस का मूल्य कितना था; तथा

(छ) क्या मजदूरों को हड़ताल की अवधि की मजदूरी तथा अन्य भत्ते दिये गये हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) से (छ). मांगी गई विस्तृत सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी। बेल्लमपल्ली की कोयला खानों की हड़ताल के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना मैं ने माननीय सदस्य द्वारा ७ अगस्त १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २८० के अपने उत्तर में दे दी थी

विदेशों से खाद्यान्नों का खरीदना

१५९. **श्री के० सी० सोधिया** : (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५३ में आज तक विदेशों से खरीदे गये प्रत्येक प्रकार के खाद्यान्नों की कुल मात्रा कितनी है तथा—

(१) प्रत्येक का कुल मूल्य कितना है; और

(२) उन देशों के नाम क्या हैं जहां से ये खरीदे गये हैं ?

(ख) क्रय दर किस एजेंसी ने तय किये थे ?

(ग) क्या सौदा करने से पहिले सरकार की पूर्व स्वीकृति ले ली गई थी ?

(घ) क्या ये सब क्रय —

(१) सरकारी स्तर पर तथा

(२) वस्तु विनिमय आधार पर अथवा

(३) नकद भुगतान के आधार पर किये गये थे ?

(ङ) क्या गैर सरकारी ऐजेन्सियों द्वारा भी कुछ खाद्यान्न खरीदे गये थे ?

(च) क्या कोई उपरि-व्यय तथा अन्य कमीशन दिया गया था ?

(छ) यदि ऐसा है, तो इस प्रकार कितना धन दिया गया था ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री कदवई) : (क) इस वर्ष जुलाई १९५३ के अन्त तक खरीदे गये खाद्यान्नों की मात्रा इस प्रकार है:—

खाद्यान्न	मात्रा लाख टनों में	मूल्य लाख रुपयों में
गेहूं	१६.२	६,३०८
आटा	०.७५	३९२
लाल ज्वार और बाजरा	१.१८	४७७
चावल	१.७५	१,४५३
	१९.८८	८,६३०

निम्नलिखित देशों से ये खाद्यान्न खरीदे गये हैं :—

गेहूं—अमेरीका, कनाडा, आस्ट्रेलिया तथा अर्जेन्टाइना ।

आटा—आस्ट्रेलिया ।

लाल ज्वार और बाजरा—अमेरीका और आस्ट्रेलिया ।

चावल—थाईलैंड, बर्मा और पाकिस्तान ।

(ख) अर्जेन्टाइना को छोड़ कर गेहूं तथा आटा अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं समझौते के अन्तर्गत खरीदे गये थे, जिस के लिये दर अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं समझौते के अन्तर्गत पहिले ही तय कर दिया गया था । अर्जेन्टाइना से गेहूं वस्तु विनिमय समझौते के अनुसार खरीदा गया था, जो समझ ौता खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने किया था ।

(ग) जी हां ।

(घ) अधिकतर खाद्यान्नों का क्रय सरकारी स्तर पर वस्तु विनिमय या नक़द भुगतान कर के किया गया था । थोड़ी मात्रा में खाद्यान्न व्यापारियों से खरीदे गये थे ।

(ङ) जी हां, थोड़ी मात्रा ।

(च) जी नहीं ।

(छ) यह उत्पन्न नहीं होता ।

त्रिपुरा में मलेरिया निरोधक यूनिट

१६०. **श्री बीरेन दत्त** : (क) क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि क्या चलती फिरती मलेरिया निरोधक यूनिट ने त्रिपुरा में किसी स्थान पर काम किया है ?

(ख) अगरतल्ला शहर में इस समय मलेरिया के बीमारों की अनुमानित संख्या कितनी है ?

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी नहीं ।

(ख) अगरतल्ला की दो डिस्पेन्सिरियों तथा विक्टोरिया मेमोरियल होस्पिटल के बाह्य रोगी (आउट-पेशेंट) विभाग में मलेरिया के १,५२१ रोगियों का इलाज किया गया है । इन में से बहुत से रोगी अगरतल्ला शहर में नहीं रहते ।

(ग) त्रिपुरा में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम ११ जुलाई, १९५३ को आरम्भ किया गया था । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उस राज्य के लिये १/२ यूनिट नियत की गई है और ऐसी आशा की जाती है कि यह यूनिट उस राज्य के मलेरिया वाले स्थानों में रहने वाले दस लाख आदमियों की रक्षा करेगी । राज्य को डी० डी० टी०, मलेरिया निरोधक औषधियों, यातायात तथा छिड़कने के उपकरण मुफ्त मिलेंगे जिस से कि त्रिपुरा से मलेरिया को हटाने में सहायता मिले गी ।

पहाड़ी स्थानों में डाक का वितरण

१६१. **श्रीमती कमलेंदुमति शाह** : क्या **संचार** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के पहाड़ी स्थानों में जहां मोटर चलने लायक तथा अन्य सड़कें नहीं हैं, डाक बांटने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): डाक हरकारों, गैर-विभागीय शाखा पोस्ट-मास्टरों तथा/अथवा चिट्ठी बांटने वाले ऐजेन्टों द्वारा बांटी जाती है ।

श्रीनगर में पर्यटक कार्यालय

१६२. **श्री लक्ष्मण सिंह चरक** : (क) क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे

कि हाल ही में श्रीनगर में खोले गये पर्यटक कार्यालय पर कितना धन व्यय किया गया है ?

(ख) इस कार्यालय के लिये कर्मचारियों की भरती किस प्रकार की गई थी ?

(ग) क्या इस पर्यटक कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों को वही विशेषाधिकार तथा सुविधायें प्राप्त हैं जो कि केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों को दी जाती हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) श्रीनगर में भारत सरकार पर्यटक कार्यालय स्थापित करने में आरम्भिक व्यय लगभग १०,५०० रुपये हुआ था।

(ख) विभागीय चुनाव द्वारा ।

(ग) जी हां । केवल चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़ कर जो कि स्थानीय वेतन श्रेणियों तथा भत्ते के आधार पर नियुक्त किये गये हैं, अन्य अधिकारियों को श्रीनगर में नियुक्त भारत सरकार के तुलनात्मक स्थिति के अधिकारियों को मिलने वाले वेतन और भत्तों के समान ही वेतन और भत्ते मिलते हैं ।

रेलवे की आय

१६३. श्री बर्मन : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १६५३-५४ की प्रथम तिमाही में भारतीय रेलों को सन् १६५२-५३ के इसी अवधि की तुलना में प्रथम श्रेणी मुसाफिरों से कितनी आय हुई ?

(ख) क्या यह सच है कि यह आय बहुत कम हो गई है ?

(ग) यदि हां, तो इस का कारण ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १९५३-५४ की प्रथम तिमाही में लगभग ४१·२५ लाख रुपए तथा १९५२-५३ की प्रथम तिमाही में ४९·५९ लाख रुपए ।

(ख) उक्त अवधि में गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष आय में ८ १/३ लाख रुपये की कमी आ गई है ।

(ग) इस का कारण प्रथम श्रेणी के डिब्बों को लगातार कम करने की नीति तथा सन् १६५१ के बाद से समस्त श्रेणियों के मुसाफिरी यातायात में कमी आना है ।

वर्षा

१६४. सेठ गोविन्द दास : क्या संचार मंत्री उन राज्यों के नाम बतलाने की कृपा करेंगे जहां गत पांच वर्षों से वर्षा घटने लगी है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): गत पांच वर्षों में किसी राज्य में वर्षा में कमी आने की कोई निश्चित प्रवृत्ति नहीं देखी गई है ।

प्रतीक्षालय

१६५. ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के प्रतीक्षालयों की संख्या कितनी है; और

(ख) मध्यम श्रेणी के प्रतीक्षालयों की संख्या कितनी है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). जहां तक प्रथम, द्वितीय और मध्यम श्रेणियों के मुसाफिरों का सम्बन्ध है, प्रतीक्षालय तीन वर्गों के हैं, नामतः—

(१) केवल प्रथम और द्वितीय श्रेणी के मुसाफिरों के लिये ।

(२) केवल प्रथम, द्वितीय तथा मध्यम श्रेणी के मुसाफिरों के लिये ।

(३) केवल मध्यम श्रेणी के मुसाफिरों के लिये ।

संख्या क्रमशः इस प्रकार है :

(१) १,२६०
(२) ६६५
(३) ५३८

इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, बंगलौर

१६७. श्री बुच्चिकोटैय्या : क्या संचार मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्र द्वारा इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, बंगलौर में कितने प्रतिशत हिस्से लिये गये हैं; और

(ख) मैसूर सरकार के कितने प्रतिशत हिस्से हैं ?

संचार उप मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ८४.३ प्रतिशत ।

(ख) १२.५ प्रतिशत ।

बागवानी

१६८. श्री मुनिस्वामी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा भारत में बागवानी में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : बागवानी का सुधार मुख्यतया राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है । किन्तु भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् भारत भर में महत्वपूर्ण स्कीमों पर आर्थिक सहायता देती है । राज्यों की बागवानी सुधार की योजनाओं पर 'अधिक अन्न उपजाओ' निधि में से भी सहायता मिल सकती है ।

टेलीफ़ोन कनैक्शन

१६९. श्री एम० एल० अग्रवाल : (क) क्या संचार मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नवीन टेलीफोन कनैक्शन देने में प्राथमिकतायें किस प्रकार निर्धारित की जाती हैं ?

(ख) क्या नये टैलीफोनों के कनैक्शन की अर्जियों की कोई सूची डिवीजनल अथवा स्थानीय कार्यालय में, उन की प्राप्ति की तारीख के अनुसार रक्खी जाती है ?

(ग) क्या किन्हीं परिस्थितियों अथवा दशाओं में प्राथमिकता सूची से अतिक्रम भी कर दिया जाता है ?

(घ) यदि हां तो वे परिस्थितियां अथवा दशायें क्या हैं ?

(ङ) क्या इस प्रकार की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि प्राथमिकता क्रम को अनुशीलन नहीं किया गया है ?

(च) क्या ये प्राथमिकता सूचियां प्रति मास अथवा अन्य किसी अवधिवार स्थानीय कार्यालयों में प्रकाशित की जाती हैं ?

(छ) क्या इन सूचियों को जन साधारण द्वारा देखा जा सकता है ?

(ज) यदि नहीं तो इस के कारण ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) टेलीफोन कनैक्शनों के निर्धारण की प्राथमिकतायें दिखलाये हुए एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १६**]

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ). जी हां । टेलीफोन मंत्रणा समितियों के परामर्श पर ऊपर भाग (क) के उत्तर में सदन पटल पर रक्खे गये विवरण में दिखाई गई सीमाओं तक ।

(ङ) कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और वे टेलीफोन मंत्रणा समितियों की सिफारिशी शक्ति की अभिज्ञता के कारण है ।

(च) जी नहीं ।

(छ) जी हां ।

(ज) प्रश्न नहीं उठता ।

चावल उगाने की जापानी प्रणाली

१७०. श्री बुच्चकोटैय्या : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५३ में भारत में जापानी प्रणाली से चावल उगाने की प्रति एकड़ कितनी लागत आई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : अभी तक अखिल भारतीय औसत नहीं निकाला गया है । इस खेती का खर्च आदि जानने के लिय राज्यों में प्रयोग किये गये हैं और १९५३ के आंकड़े १९५४ में उपलब्ध होंगे ।

बड़ौदा में प्रशिक्षण केन्द्र

१८१. श्री गिडवानी : क्या **संचार** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि इस विभाग के सम्बन्धित विभिन्न शाखाओं के अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षा देने के लिये सरकार ने बड़ौदा में एक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का निर्णय किया है;

(ख) क्या प्रस्तावित केन्द्र के लिये भवन चुनने के प्रयोजन से डाक व तार के डायरेक्टर जनरल तथा अन्य पदाधिकारी बड़ौदा गये थे;

(ग) क्या कोई भवन चुना गया; और

(घ) यह केन्द्र कब कार्य आरम्भ करेगा ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) कुछ इमारतें देखी गई थीं । अन्तिम निर्णय अभी विचाराधीन है ।

(घ) जो इमारत दृष्टि में है, उस का किराया तय होने तथा उस में आवश्यक मरम्मत कर लेने पर ।

रेलवे के कोयले के स्टाक की चोरी

१८२. श्री गिडवानी : क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान बम्बई से प्रकाशित होने वाले २१ जून, १९५३ के 'भारत ज्योति' में छपे इस समाचार की ओर आकर्षित हुआ है कि उत्तर रेलवे के मुरादाबाद डिवीजन से रेल का कई लाख रुपये का कोयला गायब है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो जांच का परिणाम ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). उत्तर रेलवे से प्राप्त सूचना से प्रतीत होता है कि इतनी तादाद में मुरादाबाद डिवीजन से कोयले की चोरी नहीं हुई है जितनी कि 'भारत ज्योति' में दी गई है ।

ऊरेगांव सोना खदान (कमकरों की नौकरी

१७३. श्री विट्ठल राव : क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) ऊरेगांव सोना खदानों के बन्द होने पर क्या वहां के प्रबन्धकों तथा कमकरों के मध्य कोई समझौता हो गया है कि उन्हें वैकल्पिक काम दिया जायगा; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सदन पटल पर उक्त समझौते की प्रतिलिपि रक्खेगी ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) जी हां ।

(ख) समझौते की एक प्रति सम्बद्ध की जाती है । [देखिये **परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १७**]

सत्यमेव जयते

शुक्रवार,
७ अगस्त, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

चौथा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
18·3·92
Fumigated

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

संसदीय वाद विवाद

(भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

शुक्रवार, ७ अगस्त, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

९-१५ म० पू०

विशेषाधिकार का प्रश्न

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : श्रीमान्, विशेषाधिकार के प्रश्न के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज के 'टाइम्ज़ आफ़ इंडिया' में 'हिन्दुस्तान' के सम्वाददाता का प्रेस गैलरी कार्ड रोक देने का जिक्र आया है। तथा इस समाचार-पत्र के अनुसार लोक-सभा के अधिकारियों ने ऐसा किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह प्रश्न उठा कर सदन का समय न लें। हमें मालूम है कि मामला वास्तव में क्या है। सम्बन्धित व्यक्ति कल मुझ से मिला था तथा मैं ने इस मामले पर चर्चा करने के लिये उसके साथ समय निश्चित किया है। उस ने एक अभ्यावेदन भी भेजा है जिस पर कि मैं विचार कर रहा हूं।

माननीय सदस्य यदि कोई बात जानना चाहते हों, तो उन्हें इस सम्बन्ध में सदन में प्रश्न उठाने की कोई आवश्यकता नहीं। जब विशेषाधिकार का कोई प्रश्न उठाना अपेक्षित हो तो मुझे इस बारे में पहले लिखा जाना चाहिये। मैं इस पर ध्यान दूंगा और यदि आवश्यकता हुई तो समय निश्चित करूंगा। यदि मामला महत्वपूर्ण हुआ तो वह समिति के हाथ सौंपा जायगा। प्रक्रिया यही कुछ है।

नारियल जटा उद्योग विधेयक

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

> "कि नारियल की जटा उद्योग का संघ द्वारा नियंत्रण का उपबन्ध करने के लिये और इस प्रयोजन के लिये नारियल जटा सम्बंधी बोर्ड स्थापित करने तथा भारत से निर्यात किये जाने वाले जटा के रेशे, जटा तन्त्र तथा जटा उत्पादन पर बहिःशुल्क लगाने के विधेयक पर विचार किया जाये"

श्रीमान्, जैसा माननीय सदस्यों को पहले विदित है, नारियल जटा उद्योग बहुत आर्थिक महत्व का है। मुख्यतः त्रावनकोर-कोचीन के लिये जहां यह केन्द्रित है और विदेशी विनिमय कमाने के लिये सारे देश के लिये यह महत्व रखता है। मैं जानता हूं कि त्रावनकोर-कोचीन में लगभग एक लाख परिवार जिनके लगभग ६ लाख व्यक्ति हैं इस उद्योग में लगे हुए हैं। क्योंकि इस क्षेत्र में अन्य औद्योगिक

[श्री करमरकर]

नौकरियां प्रायः हैं ही नहीं इसलिये यहां के प्रायः सब निवासी अपनी रोजी के लिये नारियल जटा उद्योग पर निर्भर रहते हैं। यह निर्भरता और भी गंभीर हो जाती है क्योंकि जटा और तैयार वस्तुओं, दोनों का निर्यात व्यापार के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। कुल उत्पादन का लगभग तीन चौथाई भाग निर्यात किया जाता है।

दुर्भाग्यवश १९५१ से तन्तु और चटाइयों इत्यादि के निर्यात में कमी हो गई है। लगभग १९५२ के पूर्व के महीनों में यह कमी अत्यधिक हो गई। १९५१ की तत्सम्बंधी कालावधि के निर्यात के साथ तुलना करने पर १९५२ के प्रथम त्रयमास में चटाइयों आदि के निर्यात की कमी ५० प्रतिशत से कुछ ऊपर थी। नारियल की रस्सी में लगभग २५ प्रतिशत कमी हुई है। भारत के व्यापार प्रतिनिधियों द्वारा की गई विदेशों में पूछ-ताछ से पता चलता है कि निर्यात में कमी पूर्व के वर्षों में केवल भंडार एकत्रीकरण और सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय मन्दे के कारण नहीं हुई वरन् गुण हीनता, संभरण की अनियमितता और अनिश्चित मूल्यों के कारण हुई है। यहां यह बताना धृष्टता होगी कि निर्यात में कमी के साथ साथ मूल्य भी गिर गए हैं। बढ़िया एंगैंगों की ६ हन्ड्रेडवेट की एक खण्डी का मार्च १९५१ को ५८३ रुपये मूल्य था। मई १९५२ में वह गिर कर ७५ रुपये हो गया है। इस के साथ साथ पहले एक दिन की मजदूरी १ रुपया प्रति दिन थी। मई १९५२ में वह घट कर ८ अथवा ९ आने प्रति दिन हो गई है।

ये परिस्थितियां और इस के फलस्वरूप त्रावनकोर-कोचीन तथा मद्रास जैसे अन्य राज्यों में, यह उद्योग कभी प्रगति पर था, आज यह वहां की सरकारों के लिये बहुत दुविधा और चिन्ता का कारण बन गया है। उन बेकार श्रमिकों की कठिनाई को दूर करने के लिये केन्द्रीय और राज्य सरकारें पीड़ित क्षेत्रों में असैनिक कार्य आरम्भ कर रही हैं। यह हमें स्पष्ट विदित था कि विस्थापित श्रमिकों के पुनर्वासित करने का स्थायी ढंग केवल यह है कि ऐसी कार्यवाही की जाय जिसके द्वारा उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में स्थायी सुधार हो सके।

संकट के पश्चात् सरकार ने एक विशेष पदाधिकारी त्रावनकोर-कोचीन में स्थिति की स्थानीय जांच के लिये भेजा। उद्योग की समस्याओं की जांच करने और उन्हें दूर करने के सुझावों को जानने के लिये नवम्बर १९५२ में त्रिवेंद्रम में नारियल जटा व्यापार के विभिन्न विभागों का एक सम्मेलन किया गया। सम्मेलन ने यह सिपारिश की कि उत्पादन के नियंत्रण, किस्म में सुधार निर्यात व्यापार के अवांछित अंशों को दूर करने, उद्योग की निर्यात का निर्भरता को कम करने तथा देश में मण्डी के विकास करने के लिये सरकार को एक केन्द्रीय नारियल जटा बोर्ड की स्थापना करनी चाहिये। चाय तथा काफ़ी उद्योगों के भी ऐसे बोर्ड हैं। नारियल जटा उद्योग भी उसी प्रकार एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। बिक्री के लिये यह मुख्यतया निर्यात पर निर्भर है। उत्पादन का वैज्ञानिक और किस्म का नियंत्रण ही इसकी समस्यायें हैं। इस लिये हम समझते हैं त्रिवेन्द्रम सम्मेलन द्वारा सिपारिश किये गये नारियल जटा बोर्ड की स्थापना से ही इस उद्योग की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। बोर्ड की अर्थ व्यवस्था के लिये बहुत सोच विचार के पश्चात् हम ने यह निर्णय किया है कि जटा के रेशे जटा तन्तु और जटा के टाट इत्यादि पर निर्यात शुल्क लगाया जाये।

यद्यपि अधिकतम शुल्क १ रुपये प्रति हंड्रेडवेट निर्धारित की जाये, परन्तु यह विचार किया गया है कि प्रारम्भ में ८ आने प्रति हंड्रेडवेट पर्याप्त होगा । उद्योग में वर्त्तमान मन्दे का विचार रखते हुए हमें भी यह सोचने में दुविधा हुई कि उद्योग एक दम इस शुल्क को कैसे सहन कर सकेगा । परन्तु निर्यात की राशि और मूल्यों के आधार पर गणना करने पर हमने देखा कि ८ आने प्रति हंड्रेडवट का शुल्क जटा के रेशे और जटा की रस्सियों पर लगभग १ ¹/ प्रति शत और टाट इत्यादि का केवल एक प्रतिशत पड़ेगा । यह युक्ति दी जा सकती है कि ८ आने प्रति हंड्रेड वेट जटा के रेशे और जटा तन्तु पर भारी होगा क्योंकि इनका मूल्य अनुमानतः ३० रु० प्रति हंड्रेडवेट और ३७ रु० प्रति हंड्रेडवेट है और टाट आदि पर कम रहेगा जिन का मूल्य १०० रु० प्रति हंड्रेड वेट है । ऐसा ही होना चाहिये क्योंकि जटा की रस्सी के संबन्ध में हमें प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ेगा । टाट इत्यादि पर निर्यात शुल्क कम रख कर हम कच्ची सामग्री अर्थात् जटा तन्तु और अर्धनिर्मित सामग्री अर्थात् जटा रस्सी की अपेक्षा पूर्ण तैयार माल के निर्यात को प्रोत्साहित कर सकेंगे । गत दो वर्ष के आंकड़ों के निरीक्षण से यह पता चला है कि जटा के रेशे और जटा की रस्सी का निर्यात कुल निर्यात का ७५ प्रति शत होता है । प्रस्तावित शुल्क के लगाने की अपेक्षा नारियल जटा की वस्तुओं को अत्यापेक्षित प्रोत्साहन मिलेगा । हमारे निर्यात व्यापार में जो जटा की रस्सी की अपेक्षा टाट इत्यादि की लाभहीन स्थिति का मुझे भली प्रकार ज्ञान है । तत्पश्चात् जब हम इन वस्तुओं के प्रतिस्पर्धाजनक मूल्यों पर अपने उत्पादन की किस्म के सुधार द्वारा इस योग्य हो सकेंगे कि विदेश में स्थायी मंडी मिल सके तो टाट आदि को प्रस्तावित शुल्क से विमुक्त कर दिया जायगा । परन्तु इस के लिये विधेयक में अतिरिक्त उपबंध की आवश्यकता नहीं । समुद्र बहिःशुल्क अधिनियम की धारा २३ के अधीन सरकार को यह अधिकार है कि वह अधिसूचना द्वारा विमुक्ति दे सकती है ।

मैं ने पहले भी बताया है कि यह उद्योग त्रावनकोर कोचीन में केन्द्रित है । संभवतः यह युक्ति दी जाये कि इस आधार पर यह पर्याप्त होगा कि त्रावणकोर कोचीन की राज्य सरकार स्वयं इस उत्तरदायित्व को संभाले । वस्तुतः राज्य सरकार ने जटा के तकलों की अनुज्ञप्ति के लिये और छिलके की बिक्री और मूल्य पर नियंत्रण के लिए कुछ आदेश प्रख्यापित किये हैं । इस तथ्य के अतिरिक्त कि इन आदेशों द्वारा जटा की रस्सी पर नियंत्रण नहीं होता जो कि निर्यात की वस्तु है वह केवल त्रावणकोर कोचीन राज्य में लागू है और अखिल भारतीय दृष्टिकोण से यह सीमित है । मद्रास का नारियल जटा का कुल उत्पादन त्रावणकोर-कोचीन के उत्पादन का एक तिहाई है । उस के अतिरिक्त पश्चिमी बंगाल, बम्बई, तथा उड़ीसा जैसे दूसरे राज्य भी हैं जहां नारियल जटा और जटा की वस्तुएं थोड़ी मात्रा में बनती हैं । इस से पता चलता है कि न केवल केन्द्रीय बोर्ड स्थापित करना आवश्यक है वरन् यह भी आवश्यक है कि यह बोर्ड छिलके से लेकर तैयार माल की स्थिति तक इस उद्योग पर नियंत्रण रखे ।

मैं विधेयक के विभिन्न उपबंधों पर इस समय अधिक नहीं कहूंगा । नारियल जटा बोर्ड अन्य स्थापित किए गए बोर्डों के समान ही होगा । यह बोर्ड सरकार के नियंत्रण में कार्य करेगा । नारियल जटा उद्योग से सम्बंधित विभिन्न हितों के प्रतिनिधि इस बोर्ड के सदस्य होंगे ।

[श्री करमरकर]

हम इस समस्या को महत्वपूर्ण समस्या समझते हैं क्योंकि इस से हमें पर्याप्त विदेशी विनिमय प्राप्त होता है । परन्तु इस से अधिक महत्वपूर्ण इस कारण है कि इस का सम्बन्ध त्रावणकोर-कोचीन जैसे बहु-जन-संख्या वाले क्षेत्र में नौकरी की स्थिति से है, इसलिये मुझे यह कहते हुए खेद है कि हम इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकते । पहले ही कुछ समय बीत चुका है । हम और अधिक समय नहीं बिताना चाहते । वस्तुत: विधेयक का प्रारूप गत सत्र से पूर्व तयार था परन्तु अन्य महत्वपूर्ण कार्य के अधिकार के कारण इस पर चर्चा नहीं की जा सकी । हम इस बात के लिए इच्छुक हैं कि यह बोर्ड यथाशीघ्र कार्य कर सके ।

बोर्ड के कार्य अथवा बोर्ड के कर्मचारी-वृन्द के सम्बन्ध में कुछ जटिलता नहीं है । मैं इसलिए विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने के प्रस्ताव का विरोध करता हूं परन्तु मुझे ऐसे संशोधनों पर चर्चा करने में हर्ष होगा जिन के द्वारा माननीय सदस्य विधेयक में सुधार करना चाहेंगे । अन्ततः विधेयक को तीन भागों में बांटा जा सकता है, बोर्ड का विधान, बोर्ड के कार्य और अन्य सम्बन्धित उपबंध इस में कुछ जटिलत नहीं है और न ही कुछ ऐसा है जिस का सदन में अथवा सदन से बाहर प्रत्यक्ष विचार विनिमय द्वारा सुझाव न मिल सकता हो । इस समय विधेयक के विभिन्न पक्षों पर विस्तारपूर्वक कह कर मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता । यह ऐसा प्रस्ताव है जो हमारे देश के उस भाग से सम्बंध रखता है जहां उस नौकरी में जो लोगों के पास पहले है यदि गड़बड़ की जाए तो नौकरी की स्थिति अत्यन्त गंभीर हो जाएगी । इसलिए हम इच्छुक हैं कि यह विधेयक यथासंभव शीघ्र पारित किया जाए ।

इसके पश्चात् उपाध्यक्ष महोदय ने औपचारिक रूप से प्रस्ताव प्रस्तुत किया ।

श्री वी० पी० नायर (चिरायिन्किल): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"इस विधेयक को कुमारी एनी मस्करीन, श्री ए० के० गोपालन, श्री के० ए० दामोदर मेनन, श्री के० केलप्पन, श्री पी० टी० पुन्नूस, श्री के० टी० अच्चुतन, श्री ए० नेसामनी, श्री इचाराम इप्यानी, श्री सी० आर० इय्युनी, श्री ए० एम० टॉमस, श्री ए० वी० टॉमस, प्रो० सी० पी० मैथ्यू, श्री नेत्तुर पी० दामोदरन, श्री श्रीकान्तन नायर, श्री डी० पी० करमरकर, श्री टी० टी० कृष्णमाचारी तथा प्रस्तावक की एक प्रवर समिति को सौंपा जाये तथा प्रवर समिति को अपना प्रतिवेदन दिनांक १७ अगस्त, १९५३ तक उपस्थित करने का निर्देश दिया जाय"

इस विधेयक के प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसका यह अर्थ नहीं समझना चाहिए कि ऐसा इस विधेयक के देरी से पारित किये जाने के अभिप्राय से किया गया है । माननीय मंत्री ने कहा था कि सरकार इस विधेयक के प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने के विरुद्ध है । इसलिये मैं ने यह स्पष्ट किया ।

नारियल जटा उद्योग से त्रावणकोर-कोचीन राज्य तथा मद्रास के मालाबार जिलों का बहुत अधिक सम्बन्ध है । और इन स्थानों की अर्थ व्यवस्था इसी उद्योग पर निर्भर करती है और मैं समझता हूं कि सरकार ने भी इस स्थिति को मान लिया है । हाल ही में इस उद्योग में संकट पैदा हो गया है । इस उद्योग में मन्दी और

तेजी हुई किन्तु इतना अधिक संकट पहिले कभी नहीं हुआ। मैं ने इस प्रवर समिति में उन्हीं विशेष स्थानों के सदस्यों के नाम रखे हैं जिन पर इस विधेयक का प्रभाव पड़ेगा और ये सदस्य अन्य सदस्यों की अपेक्षा इस मामले के महत्व को अधिक समझते हैं। मैं जानता हूं कि सरकार के पास इस सत्र में समय नहीं है किन्तु मैं समझता हूं कि जब प्रवर समिति से यह विधेयक १७ अगस्त को लौट आयेगा तो सदन के माननीय नेता इसके लिये कुछ समय निकाल सकेंगे। यदि इस विधेयक पर इस समय चर्चा होगी तो मेरे राज्य तथा मद्रास के मालाबार जिलों के सभी सदस्य इस पर बोलेंगे। इसी कारण मैं कहता हूं कि ऐसे मामले पर पूरे सदन की अपेक्षा एक प्रवर समिति इस पर अधिक अच्छी प्रकार से विचार कर सकती है।

मैं एक और महत्वपूर्ण बात की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसकी सरकार ने उपेक्षा कर दी है। हम किसी बोर्ड के स्थापित किये जाने के विरुद्ध नहीं हैं। किन्तु हमें अन्य बोर्डों का अनुभव है। रबड़ बोर्ड, कॉफी बोर्ड, चाय बोर्ड तथा नारियल बोर्ड आदि कई बोर्ड हैं। कल मैं ने एक प्रश्न पूछा था कि क्या यह सत्य नहीं है कि त्रावणकोर-कोचीन सरकार ने संघ सरकार से यह अभिवेदन किया कि नारियल के तेल के आयात कर को कम नहीं करना चाहिये, तो माननीय मंत्री ने कहा कि संघ सरकार ने उस राज्य सरकार को संतुष्ट कर दिया कि इसे कम किया जाना चाहिये। नारियल बोर्ड से सलाह नहीं ली गई। हम नहीं चाहते कि नारियल जटा बोर्ड भी और बोर्डों की तरह रहे। इसी लिये हम चाहते हैं यह विधेयक एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जिसमें उस स्थान के हम सब सदस्य इस पर विस्तृत रूप से विचार कर सकें जिससे कि प्रवर समिति से इस विधेयक के वापिस आने पर इस पर अधिक चर्चा करने का अवसर न रहे।

सरकार इस बात को भी भूल गई कि इस उद्योग में किसी आन्तरिक दोष के कारण यह संकट उत्पन्न नहीं हुआ। ऐसा तो अन्तर्राष्ट्रीय कारणों से है। इस उद्योग पर विदेशियों का बहुत अधिक नियंत्रण है और बड़े बड़े विदेशी सार्थों का इस पर ७५ से ८० प्रतिशत नियंत्रण है। जिन देशों से हमारा नारियल जटा का व्यापार होता है उनके विषय में जर्नल ऑफ इण्डस्ट्रीज़ एण्ड ट्रेड में सूचना दी हुई है। जिन देशों से हमारा नारियल जटा का व्यापार होता है वे इंग्लैण्ड, अमेरिका, स्विट्ज़रलैण्ड, स्वीडन, इटली, जर्मनी, कनाडा, मिश्र, पाकिस्तान, लंका, बर्मा, मलाया, थाईलैण्ड, फिलिप्पाइन्स, जापान और न्यूज़ीलैण्ड हैं। इन्हीं देशों में हम अपनी नारियल जटा बेच सकते हैं। किन्तु १९५१ के बाद से इन देशों की अर्थ व्यवस्था में बहुत गड़बड़ी हुई है उदाहरणार्थ इंग्लैण्ड ने १९५१-५२ में लगभग १,०८,६२,८७० रुपये की नारियल जटा खरीदी और १९५२-५३ में केवल ५१,४७,६२२ रुपये की नारियल जटा मंगवाई। पश्चिमी जर्मनी ने १९५१-५२ में इसका ८१,४१,६५६ रुपये का आयात किया और १९५२-५३ में इस आयात को कम करके ६५,७३,४८० रुपये का माल मंगवाया। फ्रांस ने १९५१-५२ में ३५,८६,४४४ रुपये की नारियल की जटा मंगवाई किन्तु १९५२-५३ में २६,२३,१४० रुपये की मंगवाई। १९५१-५२ के बाद इन देशों ने हमारी नारियल जटा की बनी चीजों का आयात कम किया। इसका भी कुछ कारण है। इन देशों की व्यापार संतुलन स्थिति

[श्री वी० पी० नायर]

को देखने से हमें इस विषय का पता लग सकता है । रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया की जून १९५३ की विज्ञप्ति में इसके सम्बन्ध में आंकड़े दिये हुए हैं । इंग्लैण्ड का बाहर भेजे जाने वाले माल के मूल्य की अपेक्षा बाहर से आने वाले माल के मूल्य का आधिक्य तीन गुना बढ़ गया । फ़ांस को व्यापार संतुलन के बारे में भी यही बात थी ।

मैं सदन को यह बतला रहा था कि इस उद्योग में यह संकट किसी आन्तरिक कठिनाई के कारण नहीं है । अन्य देशों में जो बातें हुई उनका भी इस पर प्रभाव पड़ा । १९५१ में अमेरिका जैसे देश में भी कुछ घाटा हुआ । इसी कारण इंग्लैण्ड, फ़्रांस, पश्चिमी जर्मनी तथा अन्य देश धनाभाव के कारण हमारी नारियल जटा तथा इसकी बनी चीज़ों का आयात पहिले के समान नहीं कर सके । राष्ट्र मण्डल के वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में भी यह बात मान ली गई थी । अतः जब तक आप उन देशों के साथ, जिन्हें अमेरिका आर्थिक सहायता नहीं देता और जिनका विपरीत व्यापार सन्तुलन प्रति वर्ष बढ़ नहीं रहा, व्यापार नहीं करते तब तक आप इस समस्या को स्थायी रूप से सुलझा नहीं सकते । यह एक अजीब बात है कि जब कि पश्चिमी यूरोप के देशों का विपरीत व्यापार संतुलन बढ़ता रहा तो अमेरिका के मामले में ऐसा नहीं हुआ । ऐसी परिस्थिति के कारण पश्चिमी यूरोप के देशों ने अपना आयात कम कर दिया और इससे हमारे नारियल जटा उद्योग पर प्रभाव पड़ा । सरकार ने इस स्थिति पर काबू पाने से सम्बन्ध में कोई प्रयत्न नहीं किये । रूस, चीन तथा पूर्वी यूरोप के देशों के साथ हम नारियल जटा का व्यापार नहीं करते और जब तक हम इन देशों के साथ व्यापार नहीं करते तब तक हम इस व्यापार संकट को ठीक प्रकार से दूर नहीं कर सकते ।

मेरा यह विचार है कि यदि इस विधेयक में उचित संशोधन कर दिये जाय और यदि वे सदस्य, जिन्हें इस उद्योग की वास्तविक स्थिति का पता है, इस पर विस्तारपूर्वक विचार करके इसका हल ढूंढ निकालें तो उससे यह विधेयक अधिक प्रभावोत्पादक बन जायगा ।

जब हम नारियल जटा उद्योग का नाम सुनते हैं तो साम्यवादी तथा कांग्रेसी सभी सदस्यों का ध्यान नारियल जटा उद्योग क्षेत्रों के लोगों की दशा की ओर जाता है । हमने वहां दौरा करके लोगों की दशा देखी । लगातार भुख मरी के कारण वहां के स्त्री और पुरुष ढांचे मात्र रह गये थे और मातायें अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकती थीं । बच्चों की भी बहुत बुरी दशा थी । नायिरल जटा उद्योग में संकट के कारण लोगों की ऐसी दशा हो गई है । इसलिये मुझे आशा है कि सदन इस विधेयक पर विचार करने का काम हमारे ऊपर छोड़ देगा और हम निस्सन्देह अन्य सदस्यों के सुझावों का स्वागत करेंगे । इन्हीं कारणों से मैं यह अत्यधिक आवश्यक समझता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति को जिसका मैं ने सुझाव दिया निर्दिष्ट किया जाय ।

आज सवेरे माननीय मंत्री ने कहा कि यदि हम इस विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने के लिये आग्रह करेंगे तो वह इसे वापिस भी ले सकते हैं । हम में से कुछ सदस्यों को पत्र और तार मिले हैं कि इस विधेयक को जल्द बाज़ी में पारित न किया जाय । इसको कानून का रूप देने से पूर्व हमें इसके सभी साधनों को पता लगाने का प्रयत्न करना चाहिये । यह एक ऐसा मामला है जिसका प्रभाव लाखों

आदमियों पर होता है तथा इसका प्रभाव लाखों आदमियों की अर्थ व्यवस्था पर भी होता है । यह एक महत्वपूर्ण मामला है और प्रवर समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के लिये सरकार के लिये एक घंटे का समय निकालना कठिन नहीं होना चाहिए ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री ए० एम० टामस (ऐरणाकुलम्): मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और श्री वी० पी० नायर के इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय । मैं चाहता हूं कि यह विधेयक शीघ्र ही पारित कर दिया जाय और एक ऐसा केन्द्रीय संगठन बनाया जाय जो इस उद्योग का नियंत्रण करेगा और इसके विकास के लिये कार्य करेगा ।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

यह विधेयक ठीक समय पर प्रस्तुत किया गया है । नारियल तथा इसके उपोत्पाद त्रावणकोर-कोचीन और मद्रास के मालाबार जिलों के लोगों की आजीविका के मुख्य साधनों में से एक हैं । नारियल की खेती तथा इसके उत्पादन और अन्य बातों की देखभाल के लिये वहां एक केन्द्रीय नायिरल समिति है । १९५१ तथा १९५२ के अन्त में जब इस उद्योग में बहुत अधिक मन्दी आ गई तब एक नारियल जटा बोर्ड स्थापित करने तथा इस उद्योग पर नियंत्रण करने के मामले पर गम्भीरतापूर्वक चर्चा हुई । यद्यपि इस स्थिति में कुछ सुधार हुआ है किन्तु मन्दी अब भी है । केन्द्रीय नारियल समिति ने यह मांग की थी कि नारियल जटा उद्योग के विकास का कार्य इसके हाथ में दे देना चाहिये । केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय किया कि नारियल जटा उद्योग के उत्पादन तथा इसके माल को बाजार में बेचने के मामले में एक पृथक बोर्ड अधिक सहायक होगा ।

केराल की अर्थ व्यवस्था में नारियल जटा उद्योग का जो स्थान है उसका स्वयं माननीय मंत्री ने उल्लेख कर दिया है । इस उद्योग का महत्व इसी बात से पता लग सकता है कि १९५२ के आयव्ययक के सत्र में त्रावणकोर-कोचीन के सभी दलों के संसद् सदस्यों ने मिलकर भारत सरकार को इस उद्योग में होने वाली तेजी और मन्दी के बारे में बताया और इसके प्रतिकार के उपायों का सुझाव दिया और इस उद्योग की स्थिति को स्थिर करने के मामले में सरकार के हस्तक्षेप करने की आवश्यकता बतायी । एक संयुक्त ज्ञापन में अन्य वस्तुओं के लिये स्थापित किये गये बोर्डों की तरह एक नारियल जटा उद्योग बोर्ड स्थापित करने की बात कही गई है । इस विधेयक में उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में, जो कि इस विधेयक में लगा है, जो कमी है वह यह है कि यह अधिक उदार है ।

विश्व में २,२०,००० टन नायिरल की जटा का उत्पादन होता है जिसकी १,३२,६०० टन भारत में होता है । भारत में जितनी नारियल जटा पैदा की जाती है वह लगभग सब की सब केरल में होती है, एक लाख टन से अधिक त्रावणकोर कोचीन में तथा २५,००० टन मालाबार में होती है । मैसूर, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल तथा बम्बई में भी नारियल जटा थोड़ी मात्रा में होती है । चूंकि यह उद्योग आंशिक रूप से कुटीर उद्योग के तथा आंशिक रूप से फैक्टरी के आधार पर संगठित है अतः इसमें काम पर लगे आदमियों की यथार्थ संख्या का पता नहीं । आल्लप्पी जो कि नायिरल जटा की चटाई के उद्योग का मुख्य केन्द्र है, उसके आस पास बनो

[श्री ए० एम० टामस]

हुई फैक्टरियों में लगभग २३,००० आदमी काम करते हैं। यह उद्योग त्रावणकोर-कोचीन में बहुत सुसंगठित है, वहां ५ से ६ लाख तक आदमी काम करते हैं। इस उद्योग की आरम्भिक अवस्था में जो आदमी काम करते हैं यदि उन्हें भी इसमें मिला लिया जाय तो इन आदमियों की संख्या दस लाख से अधिक हो जायगी।

ऐसे विधेयकों पर विचार करते समय यह प्रथा रही है कि माननीय मंत्री उस उद्योग की दशाओं का निर्देश करते हैं और उद्योग की स्थिति के सम्बन्ध में सरकार जो काम करती है सदन उसकी जांच करता है। १९४९-५० को समाप्त होने वाले पांच वर्षों में भारत में नारियलों का वार्षिक उत्पादन ३३० करोड़ नारियल था। इस पूरी जटा को इस उद्योग में काम में नहीं लाया जाता इसके केवल ५० प्रतिशत भाग को काम में लाया जाता है। इसकी बनी वस्तुओं के निर्यात करने से १९४६--१९५१ के वर्षों में १० करोड़ रुपयों से अधिक आय हुई। इसके आंकड़े १९४९-५० में ७,२१,००,००० रुपये; १९५०-५१ में १०,७६,००,००० रुपये और १९५१-५२ में १०,८०,००,००० रुपये थे।

मैं ने बताया था कि १९५१ के मध्य से इस उद्योग में मन्दी आ गई थी। १९३९ में इसमें मन्दी आई और १९४९ में एक बार और मन्दी आई। इस समय भी इस उद्योग में मन्दी है। जैसा कि माननीय मंत्री तथा श्री नायर ने कहा १९५२ के आरम्भ में इस उद्योग में मन्दी आने लगी। नारियल जटा उद्योग की बहुत सी चीजों का निर्यात कम हो गया। इस मन्दी पर हमें ध्यान देना चाहिये। इस का दाम घटता बढ़ता रहा और यह अप्रैल, १९५१ में १४२८ रुपये से घटकर १९५२ के नवम्बर के अन्त में यह ६५५ रुपये ३ आने हो गया। केन्द्रीय नारियल समिति के सचिव श्री गोपालन ने इण्डियन कोकोनट जर्नल में एक लेख में इस मन्दी के कारण तथा उनको दूर करने के उपाय बताये हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार उस लेख को देखे। केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों ने प्रतिकर सम्बन्धी कुछ कार्य भी किये हैं जो कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा निकाले जाने वाले जर्नल आफ इण्डस्ट्री एण्ड ट्रेड में दिये हुए हैं। हम उन कार्यों के लिये सरकार के आभारी हैं किन्तु वे अपर्याप्त हैं। इसमें सरकार ने वह कार्य सम्मिलित नहीं किये हैं जो कि सरकार ने नारियल जटा उद्योग की तकलीफों को दूर करने के लिये मेरे राज्य तथा पड़ौस के राज्यों में किये हैं। सरकार ने कुछ अन्य कार्य भी किये हैं, उनमें नारियल जटा सहकारी समितियों के संगठन करने तथा उसके विकास के लिये त्रावणकोर-कोचीन सरकार को दिया गया २ लाख रुपये का ऋण तथा १८,४०० रुपयों का अनुदान भी है। १८,४०० रुपये की राशि इसके लिये पर्याप्त नहीं। लोगों को वैकल्पिक नौकरी देने के लिये केन्द्र ने ऐर्णाकुलम-क्विलन रेलवे परियोजना के लिये ९६ लाख रुपये राशि मंजूर की। यह एक अच्छा कार्य है और इससे लोगों की तकलीफ़ दूर होगी। किन्तु मुझे ऐसा मालूम हुआ कि इस वित्तीय वर्ष में पूरी राशि खर्च नहीं की जायगी।

राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार से नारियल जटा की बनी हुई चीजों को और ज्यादा खरीदने की प्रार्थना की गई। किन्तु इन राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार ने इन्हें अधिक नहीं खरीदा। यह भी कहा गया कि आयात करने वा.. देशों के प्रतिनिधियों से इस मामले में सब

कुछ करने के लिये कहा था। हमें विदेश स्थित अपने व्यापार प्रतिनिधियों को नारियल जटा उद्योग का महत्व बताना चाहिये। त्रिवेन्द्रम में जो नारियल जटा सम्मेलन हुआ उस ने, और हमने भी अपने अभिवेदन में नारियल जटा बोर्ड बनाने का सुझाव दिया। इस विधेयक को केवल पारित कर देने से इस उद्योग की सब कठिनाइयां दूर नहीं हो जायेंगी। निस्सन्देह इसके लिये एक केन्द्रीय संगठन की आवश्यकता है जिससे इसके हितों की रक्षा हो सके।

चाय विधेयक प्रस्तुत करते समय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने स्वयं हमें बोर्ड के सम्बन्ध में आश्वासन दिया था जब मैं ने कहा था कि बोर्ड की रचना अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण होनी चाहिये। यह कहा गया था कि नियमों में ऐसी व्यवस्था होगी कि इसमें संस्थाओं के प्रतिनिधि आ सकेंगे और इस विधेयक में बोर्ड की जैसी रचना दी हुई है उसमें परिवर्तन करना आवश्यक नहीं होगा। मैं विधेयक के स्वरूप में बहुत परिवर्तन किये बिना बोर्ड की रचना के बारे में सुझाव दूंगा। यह कहा गया है कि इस बोर्ड में ४० से अधिक सदस्य नहीं होंगे। मैं समझता हूं कि ४० बहुत अधिक संख्या है। और प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या ३० होनी चाहिये। मैं नहीं समझ पाता कि सरकार इस विधेयक में नारियल उत्पादकों तथा नारियल उत्पादकों द्वारा नौकरी में रखे हुये आदमियों को क्यों प्रतिनिधित्व देना चाहती है। केन्द्रीय नारियल समिति में, जो नारियल की खेती तथा अर्थ व्यवस्था सम्बन्धी पहलुओं की जांच करती है, उत्पादकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है और मैं नहीं समझ पाता कि इस विधेयक में, जिसका इस उद्योग के औद्योगिक तथा निर्माण पहलू से सम्बन्ध है, नारियल उत्पादकों के प्रतिनिधित्व का प्रश्न क्यों सम्मिलित किया जाय। मेरा यह कहना है कि नारियल जटा पैदा करने वालों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये। यह सुझाव महत्वपूर्ण और आवश्यक है। कच्चे माल की प्राप्ति के बारे में सब से पहिले विचार होना चाहिये। कई बार यह देखा गया है कि नारियल जटा के दामों में तथा मांग में कोई सम्बन्ध नहीं होता। इसी कारण से राज्य सरकार ने कातने वालों को लाइसेंस देना और जटा के सम्भरण तथा बाज़ार में बेचने पर नियंत्रण करना ठीक समझा। इस विधेयक पर विचार करते समय इस बात को सब से पहिले ध्यान में रखना चाहिये। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुये मैं ने अपने इस विधेयक के संशोधनों में इस विधेयक के दायरे में जटा को सम्मिलित किये जाने तथा इस पर नारियल जटा बोर्ड के नियंत्रण रखने के सम्बन्ध में सुझाव दिया।

बोर्ड की रचना के सम्बन्ध में श्री पुन्नूस ने कई संशोधनों का सुझाव दिया। उन्होंने विभिन्न संस्थाओं तथा मजदूरों को प्रतिनिधित्व दिये जाने की बात कही। किन्तु नियमों के अनुसार इन्हें प्रतिनिधित्व मिलेगा। मैं ने अधिक प्रतिनिधित्व दिये जाने की बात कही किन्तु यदि ऐसा करना सम्भव नहीं तो मैं समझता हूं कि यदि नियमों में इस उद्योग के निर्माताओं तथा मज़दूरों की विभिन्न संस्थाओं को प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था हो तो यह पर्याप्त है। श्री पुन्नूस ने यह भी सुझाव दिया कि इसमें त्रावणकोर-कोचीन तथा मद्रास विधान सभाओं के सदस्यों का भी प्रतिनिधित्व हो। मुझे आशा है कि सरकार इन दोनों राज्यों के विधान मण्डलों के सदस्यों को प्रतिनिधित्व देने की बात को ध्यान में रखेगी। नियमों में कई बातें छोड़ दी गई हैं और उनके द्वारा बहुत अधिक अधिकार दिये गये हैं। मैं आशा करता

[श्री ए० एम० टामस]

हूं कि इस विधेयक के पारित कर देने के बाद नियमों को बनाने में और उन्हें संसद् के समक्ष रखने में देर नहीं की जायगी। चाय विधेयक से सम्बन्धित नियम नहीं बनाये गये हैं किन्तु मैं समझता हूं कि वैसी देर इसमें नहीं की जायगी।

ऐसा हिसाब लगाया गया है कि इस उद्योग में दास लाख के लगभग आदमी काम करते हैं और इसके निर्यात से होने वाली जाय ११ या १२ करोड़ रुपये से अधिक नहीं बढ़ी और इस उद्योग में लगे प्रत्येक व्यक्ति की आय औसत दर्जे के भारतीय की आय से कम है। इस विषय पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को ध्यान देना चाहिये। और हमें इस उद्योग को यथा सम्भव बढ़ाना चाहिये।

मैं ने केन्द्रीय नारियल समिति के सचिव के लेख का उल्लेख किया था। यह बहुत अच्छा लेख है जिसमें उन्होंने अपने सुझाव दिये हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि वह उन पर विचार करे और उन्हें लागू करने का प्रयत्न करे। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि हमें विदेशों में व्यापारी सम्पर्क अधिकारी नियुक्त करने चाहियें जो इस सम्बन्ध में वहां की बातों का अध्ययन करें। हमें विदेशों में व्यापार एम्पोरियम और शो रूम खोलने चाहियें। बाजार में बहुत वे रेशे आ रहे हैं और हमें इससे होने वाली स्पर्धा से भी सतर्क रहना है। हम अपनी नारियल से बनी वस्तुओं को और अच्छा बना सकते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि वाणिज्य मंत्रालय इस मामले में बहुत प्रयत्नशील है कि हम जिस माल का निर्यात करते हैं वह बढ़िया क़िस्म का हो।

सरकार ने सदन में यह कहा था कि इसकी वस्तुओं की खपत देश में हो सके इसके लिये कार्यवाही की जा रही है। किन्तु इसमें सरकार को अधिक सफलता नहीं मिली। मैं समझता हूं कि यदि इस माल की देश के बाज़ार में खपत हो सके तो मेरे राज्य में बेरोज़गारी की समस्या हल हो सकती है। इतना कहने के पश्चात् मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री वेलायुधन (क्विलोन व मावेलिक्करा——रक्षित——अनुसूचित जातियां) : इस विधेयक को प्रस्तुत करने के कारण मैं माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री को बधाई देता हूं। इस विधेयक का पश्चिमी तट पर रहने वाले बहुत अधिक आदमियों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

एक वर्ष पूर्व भारत सरकार ने त्रावणकोर-कोचीन राज्य तथा मालाबार में नारियल जटा उद्योग की दशा का पता लगाने के लिये एक अधिकारी भेजा था। सरकार ने उस समय वहां के लोगों की प्रार्थना को मान लिया था इस कारण हम बहुत प्रसन्न थे। मैं समझता था कि उस रिपोर्ट के प्रस्तुत कर देने के बाद यह विधेयक प्रस्तुत किया जायगा किन्तु इसमें एक वर्ष की देर हुई और इस उद्योग में बहुत संकट आया। इस विधेयक के बारे में हमारे राज्य के लाखों व्यक्ति उत्सुक हैं। फिर मैं नहीं जानता कि इसे प्रवर समिति में भेज कर क्यों देर की जा रही है। इस पर यहीं विचार किया जा सकता है और इसमें एक दिन और लग सकता है। किन्तु मैं नहीं चाहता कि यह विधेयक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय अथवा इसे अगले सत्र में पारित किया जाय।

मैं यह नहीं कहता कि इस विधेयक में सब ऐसी बातें दी हुई हैं जिससे कि यह उद्योग अपनी पहिली हालत में आ सके। किन्तु

इसमें इस कार्य को आरम्भ तो किया गया है और इससे सरकार आगामी वर्षों में बड़े कार्य कर सकती है। उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में यह दिया हुआ है कि संघ सरकार नारियल जटा उद्योग को अपने नियंत्रण में ले लेगी। यह कार्य तो किसी बड़े उद्योग को अपने नियंत्रण में लेने के समान हैं। किन्तु नारियल जटा उद्योग की अपनी कुछ विशेषतायें हैं। इसकी विशेषता यह है कि लाखों आदमी अपने घरों में रह कर कुटीर उद्योग में काम कर रहे हैं। हज़ारों लोग इसकी जटा को तय्यार करते हैं तथा बहुत से नारियल जटा की चटाइयां बनाते हैं।

माननीय सदस्यों ने इस उद्योग में मन्दी के बारे में कहा। इसके बहुत से कारण हैं। किन्तु यदि यह उद्योग कुटीर उद्योग के आधार पर संगठित किया जाता तो इसको इतना नुक़सान नहीं होता और यह समस्या आसानी से हल हो जाती।

१९४० में कोचीन में एक नारियल जटा सहकारी संस्था थी जिसे राज्य चलाता था और सरकार की इस उद्योग को अपने अधीन लेने की एक योजना थी। केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की गई विस्तृत रिपोर्ट को मैं ने भी देखा है। इस अभिप्राय के निमित्त त्रावणकोर-कोचीन सरकार ने एक बोर्ड पूर्व ही स्थापित किया था। नारियल जटा उद्योग के लिये एक अधिकारी नियुक्त किया गया था जो अब भी काम कर रहा है। वहां एक बड़ी अच्छी योजना थी किन्तु उसमें कुछ आवश्यक बातों की कमी थी। मैं ने इस विषय में राज्य सरकार अधिकारियों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि यदि सरकार के पास धन होता तो वह इस पूरे उद्योग को अपने अधीन ले लेती और इसे कुटीर उद्योग के आधार पर संगठित करती। किन्तु भारत सरकार ने इसकी सहायता नहीं की और इस उद्योग को बहुत हानि हुई। व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं चाहता कि कुटीर उद्योग के आधार पर चलने वाले उद्योग को केन्द्रीय सरकार अपने नियंत्रण में ले और जिन अधिकारियों को इस उद्योग का अनुभव नहीं वे इसके उद्योग के लिये भेजे जायें। अतः जब भारत सरकार इस उद्योग को अपने अधीन ले रही है तो उसे राज्य सरकारों तथा राज्य के आदमियों को अपने विश्वास में लेना चाहिये। हमारे राज्य में कच्ची जटाओं को मज़दूरों में वितरित करने तथा उन्हें इसकी मज़दूरी देने की एक बहुत अच्छी योजना थी जिसे बहुत से छोटे पैमाने के उद्योगपतियों ने स्वीकार कर लिया था। किन्तु अब इस उद्योग को सरकार अपने अधीन ले रही है।

इस विधेयक में केवल एक बोर्ड स्थापित करने की बात है तथा इसमें औद्योगिक विकास की कोई योजना नहीं। मैं नहीं जानता कि यह बोर्ड किस प्रकार कार्य करेगा। नारियल जटा उद्योग को लोगों द्वारा सहकारिता के आधार पर चलाना पड़ेगा, अन्यथा यह चल नहीं सकता और लोगों को इस बोर्ड से कोई लाभ नहीं होगा।

आलप्पी क्विलोन तथा अन्य स्थानों में बड़े पैमाने के उद्योग को विदेशी उद्योगपति चला रहे हैं। मुझे मालूम हुआ है कि उस राज्य में मज़दूरों के झगड़ों के कारण यूरोपीय उद्योगपतियों ने वहां अपना काम बन्द कर दिया और वे उन मिलों को अपने देशों में चलाना चाहते हैं। वे नारियल जटा को अपने देशों में भेजना चाहते हैं जिससे वहां इसकी चीज़ें बन सकें। इन परिस्थितियों में सरकार के नारियल जटा तथा इसकी बनी चीज़ों पर निर्यात शुल्क लगाने के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। १९४६ से

[श्री वेलायुधन]

अब तक नारियल जटा का रेशा यूरोप के बहुत से देशों तथा अमेरिका को भेजा गया। इस रेशे को हम अपने देश में काम में ला सकते थे और ऐसा किया भी जा रहा था। अब नारियल जटा को बहुत अधिक मात्रा में बाहर भेजा जा रहा है इस कारण इस काम में लगे हुये गरीब लोगों को बहुत नुक़सान होने लगा। इस उद्योग के लिये केवल एक बोर्ड बनाने की अपेक्षा सरकार को इसे कुटीर उद्योग के आधार पर संगठित करना चाहिये। पंच वर्षीय योजना में भी इस उद्योग का उल्लेख है।

पश्चिमी तट पर यह उद्योग बहुत अच्छी प्रकार से सुसंगठित है। अतः यदि इस उद्योग के लिये थोड़ा सा धन और मिल जाये तो पूरे राज्य में इसे सरलता पूर्वक सुसंगठित किया जा सकता है। इसका संगठन राज्य के आधार पर किया जाना चाहिये और राज्य सरकार का इस पर नियंत्रण होना चाहिये और इसे अखिल भारतीय चर्खा संघ, जो कि बहुत अधिक सुसंगठित है, की तरह चलाना चाहिये। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह ऐसे कार्य करे जिससे राज्य सरकार इस उद्योग को अपने नियंत्रण में ले ले।

हम पश्चिमी तट विशेषकर त्रावणकोर-कोचीन के लोगों की करुणाजनक दशा के बारे में बातें सुनते हैं। मैं उस राज्य की विशिष्ट स्थिति को जानता हूं जो देश के अन्य भागों से भिन्न है। वहां उच्च वर्ग के पास बहुत अधिक सम्पदा तथा ज़मीनें हैं, मध्य वर्ग है ही नहीं और निम्न वर्ग के लोग भुखमरी से पीड़ित हैं। इसका कारण यह है कि पूंजी केवल कुछ थोड़े से व्यक्तियों के पास है। नारियल जटा उद्योग इन्हीं बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में है। इस प्रकार त्रावणकोर-कोचीन में बहुत अधिक ग़रीबी फैली हुई है, और लोग अकाल की सी हालत में रह रहे हैं।

इस समस्या पर केवल राज्य सरकार को नहीं अपितु इस संसद् को भी गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। यह कहा जाता है कि औद्योगिक दृष्टि से त्रावणकोर-कोचीन बढ़ा हुआ है किन्तु उद्योग के साथ वहां ग़रीबी भी बढ़ गई। जब तक कि वहां की अर्थ व्यवस्था को एक समान स्तर पर न कर दिया जाय, मैं समझता हूं कि तब तक लोगों की ग़रीबी नहीं हटाई जा सकती। यदि भारत सरकार तथा राज्य सरकार इसे कुटीर उद्योग के रूप में अपने नियंत्रण में ले ले तो इस से पंच वर्षीय योजना म दी हुई सिफ़ारिश के अनुसार कार्य हो जायगा। मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को शीघ्र पारित कर दिया जाय। मुझे आशा है कि वाणिज्य मंत्रालय इसके पारित हो जाने के बाद त्रावणकोर-कोचीन में एक बोर्ड स्थापित करवाने के सम्बन्ध में कार्य करेगा जिससे कुछ ही वर्षों में यह उद्योग बहुत ही सुसंगठित रूप से कार्य करेगा।

श्री दामोदर मनन (कोज़िकोड) : मैं इस विधेयक के प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने वाले प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। ऐसा करने में यह बात नहीं है कि मैं इस विधेयक के महत्व या आवश्यकता को नहीं मानता हूं। श्री वैलायुधन की बातों से मैं यह समझा कि उनकी यह धारणा है कि यह प्रस्ताव एक विलम्बकारी कार्य है। किन्तु मैं सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि हमारा ऐसा करने का अभिप्राय नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है जिसका प्रभाव पश्चिमी तट के लाखों आदमियों पर पड़ता है। इस विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में बताया गया है कि त्रावणकोर-

कोचीन के लिये इस विधेयक का विशेष महत्व है। यह सत्य है, किन्तु इसका पूरे पश्चिमी तट, विशेषकर मालाबार जिलों के लिये विशेष महत्व है. जहां पर हज़ारों आदमियों की आजीविका इसी उद्योग से चलती है। हम यह चाहते हैं कि इस विधेयक के भिन्न भिन्न खण्डों पर भी ध्यान दिया जाय।

प्रस्तावक ने सुझाव रखा है कि यह विधेयक प्रवर समिति को सौंप दिया जाय और प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट सात दिन में दे दे। अनुक्रम पत्र को देखने से पता लगता है कि अगले तीन दिनों में सम्पदा शुल्क विधेयक पर विचार किया जायगा अतः मेरा निवेदन है कि प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट इन तीन दिनों में दे दे। यद्यपि मेरे माननीय मित्र श्री टामस ने विधेयक में अनेक त्रुटियों का संकेत किया है किन्तु मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने इस सुझाव का विरोध किया है कि विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया जाय। जब इस विधेयक में त्रुटियां हैं तो इसे प्रवर समिति को क्यों न सौंपा जाय जिससे इसका प्रारूप ठीक हो सके।

प्रस्तावक की दलीलों को सुने बिना ही कल माननीय मंत्री ने अपने भाषण में इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में अपनी असहमति प्रकट की थी। उन्होंने कई बार इस बात पर अपनी नाराज़गी भी प्रकट की थी कि पश्चिमी तट वाले उनके पास अनेक प्रकार के अभिवेदन भेजते हैं। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि जब हम चाय, काफ़ी, रबड़, सुपारी, काली मिर्च, काजू इत्यादि वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जिससे करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है तो क्या हमें इस बात का भी अधिकार नहीं है कि हम इस सम्बन्ध में अपनी कठिनाइयां केन्द्रीय सरकार के सामने रख सकें। उक्त वस्तुओं में से कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिस पर केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण न हो या उस पर वह नियंत्रण करने का विचार न रखती हो। अतः हम पश्चिमी तट के रहने वाले अभिवेदन दिये बिना कैसे रह सकते हैं। आखिरकार वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री या अन्य कोई मंत्री हमारी बात न सुनेगा तो हम किसके पास जायेंगे।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, इसमें दो या तीन बातें विचारणीय हैं। पहली बात बोर्ड की रचना के बारे में है। मैं नहीं समझता कि नारियल उगाने वालों को बोर्ड में प्रतिनिधित्व क्यों दिया जाय। उनके स्थान पर जटा तैयार करने वाले लोगों तथा जटा की वस्तुयें तैयार करने वाली फ़ैक्टरियों में लगे हुये लोगों को प्रतिनिधित्व देना अधिक उचित होगा। दूसरी बात यह है कि बोर्ड में ४० सदस्यों की संख्या बहुत अधिक है। इसी कारण से हमने इस बोर्ड की एक कार्यपालिका समिति बनाने का उपबन्ध किया है। यदि बोर्ड के सदस्यों की संख्या कम होगी तो इस समिति की कोई आवश्यकता न होगी और हम बहुत कुछ ख़र्चा कम कर सकेंगे। अब उपकर का प्रश्न लीजिये। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री ने नारियल जटा की बनी वस्तुओं के आयात पर एक रुपया प्रति हंडरवेट के उपकर को कम करके आठ आना प्रति हंडरवेट निश्चित करने की इच्छा प्रकट की है। मेरा सुझाव तो यह है कि इस समय जब कि उद्योग में पहले से ही मन्दी आयी हुई है, आठ आने का यह उपकर भी बहुत अधिक होगा। हमें तो आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने विदेशी बाज़ार का विस्तार करें। परन्तु यदि हम इतना अधिक उपकर लगा देंगे तो हमारे माल की खपत कम होगी और इसके परिणामस्वरूप यह उद्योग उन्नति नहीं कर सकेगा।

[श्री दामोदर मेनन]

मेरे विचार में यदि आज किसी उद्योग को आर्थिक सहायता की आवश्यकता है तो यह जटा उद्योग है। मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस उद्योग को शीघ्र ही आर्थिक सहायता दे जिस से कि यह उद्योग अपना क्षेत्र बढ़ा सके। इसलिये मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वे इस विधेयक के प्रवर समिति को सौंपे जाने का विरोध न करें। हम प्रवर समिति में अपना कार्य दो या तीन दिन में समाप्त कर सकते हैं और जब यह वहां से सदन में आयेगा तो हम इस पर एक या दो घंटे में ही चर्चा समाप्त कर सकते हैं। अन्यथा हमें इस विधेयक के बहुत से खण्डों पर संशोधन प्रस्तुत करने पड़ेंगे और इसमें बहुत समय लग जायगा। यदि माननीय मंत्री इस बात का निश्चय ही कर के आयें कि इन संशोधनों का विरोध किया जाय तो यह बात इस उद्योग में काम करने वाले लोगों के लिये अहितकर होगी।

केरल तट के लाखों आदमी नारियल जटा उद्योग से अपनी आजीविका चलाते हैं और पूर्व वक्ताओं ने यह बताया कि इस उद्योग में मन्दी आ गई है। यह सभी देश वासियों का कर्त्तव्य है कि वे इस बात का ध्यान रखें कि केरल में उत्पादित वस्तुओं की देश में अच्छी प्रकार से खपत हो। मुझे विश्वास है कि इस विधेयक के प्रवर समिति में निर्दिष्ट किये जाने वाले प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जायगा और समिति में कुछ और सदस्य रखे जा सकेंगे और हमारा काम तीन दिन में समाप्त हो सकेगा। मैं यह सुझाव इस आशा से दे रहा हूं कि माननीय मंत्री अपनी बात में बहुत अधिक दृढ़ नहीं रहेंगे और वह इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री पुन्नूस (अल्लप्पी) : मैं बोर्ड स्थापित करने के विचार का स्वागत करता हूं। वस्तुतः त्रावणकोर-कोचीन राज्य की सरकार इस समस्या को नहीं सुलझा सक रही है। अतः मैं केन्द्रीय सरकार के ऐसे सब प्रयत्नों का स्वागत करूंगा जो वह इस उद्योग के दायित्व को ग्रहण करने तथा उसका प्रबन्ध करने के लिये करे।

विधेयक की बुराई भलाइयों का जिक्र करने से पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मैं अच्छी तरह से समझता हूं कि माननीय मंत्री इस विधेयक को शीघ्र पारित करवाने के लिये बहुत उत्सुक हैं। परन्तु यदि इस समय यह विधेयक जल्दी में पारित कर दिया गया और बाद में इसमें कुछ त्रुटियां दिखलाई पड़ीं तो उन्हें ठीक करना बड़ा कठिन हो जायेगा। अतः मैं समझता हूं कि यदि इस विधेयक पर दो या तीन दिन प्रवर समिति विचार कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा।

उस दिन माननीय मंत्री ने कहा कि शिकायतें करना अब दिन प्रति दिन का काम हो गया है। परन्तु मैं यह समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने अभी हमारी समस्या को अच्छी तरह से समझा नहीं है। हमारे राज्य में नारियल के तेल का प्रयोग खाद्य के रूप में किया जाता है। इस प्रदेश में बहुत से लोग इस उद्योग पर निर्भर हैं। वहां ऐसे उत्पादक भी हैं जिनके पास केवल ५ नारियल के पेड़ हैं और ऐसे भी हैं जो प्रत्येक ४५ दिन में कोई एक डेढ़ लाख नारियल पैदा करते हैं। परन्तु अधिकांश लोगों के पास ५०, १०० या ५०० पेड़ हैं। सारे का सारा कुटुम्ब उनकी उपज पर ही निर्भर रहता है। अतः हम चाहते हैं कि नारियल का मूल्य अधिक रहे।

उद्देश्यों और कारणों के विवरण में यह बतलाया गया है कि इस उद्योग का प्रभाव

मुख्यतः त्रावणकोर-कोचीन की अर्थ व्यवस्था पर पड़ता है। परन्तु मैं यह निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में मालाबार की समस्याओं पर भी विचार किया जाये। मालाबार भी नारियल तथा नारियल जटा पर इतना ही निर्भर है जितना कि त्रावणकोर-कोचीन। अतः हमें उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये।

सभापति महोदय : अब पौने ग्यारह बज गये हैं और हमें अन्य कार्य करना है। माननीय सदस्य अपना भाषण बाद में, जब कि इस विधेयक पर चर्चा पुनः आरम्भ हो, जारी करें।

छात्रों को अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण

सभापति महोदय : अब सदन ग़ैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर विचार प्रारम्भ करेगा। संकल्प के प्रस्तावक को तीस मिनट या यदि आवश्यक हुआ तो इससे अधिक मिलेंगे, अन्य सदस्यों को पन्द्रह पन्द्रह मिनट दिये जायेंगे।

डा० राम सुभग सिंह (शाहबाद—दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"इस सदन की राय है कि हाई स्कूलों तथा कालिजों के समस्त छात्रों को अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण देने के लिये तुरन्त कार्यवाही की जाये।"

यह संकल्प इसलिये प्रस्तुत किया गया है ताकि नवयुवकों में देश की सेवा करने के निमित्त सक्रिय, सहयोगपूर्ण तथा अनुशासनपूर्ण जीवन व्यतीत करने की भावना उमड़ सके। मुझे पक्का विश्वास है कि अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण जारी करने से नवयुवकों की कल्पना शक्ति का उचित उपयोग किया जा सकेगा और उनके शारीरिक बल में, जो कि बौद्धिक विकास का मूल कारण है, वृद्धि हो सकेगी। इस प्रकार वे योग्य नागरिक वन सकेंगे और राष्ट्र के विकास में पर्ण योगदान कर सकेंगे।

नवयुवकों को अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण देने का विचार कोई नया नहीं है। फ्रांसीसी क्रान्ति के प्रारम्भिक काल में तथा सन् १७९४ में इस विचार को कार्य रूप में परिणत किया गया था। परन्तु यह कुछ ही दिन रह सका। अब आधुनिक युग में इस क्षेत्र में पुनः अपूर्व प्रगति हुई है और प्रत्येक राष्ट्र यह मानने लगा है कि नवयुवकों को विद्याध्ययन के साथ साथ सैनिक प्रशिक्षण भी प्राप्त करना चाहिये क्योंकि इससे उन्हें चरित्र निर्माण का सुअवसर प्राप्त हो सकेगा। सैनिक प्रशिक्षण उन्हें देश की विधियों का पालन करने की प्रेरणा देगा और वे एक अच्छे नागरिक के सब गुण ग्रहण कर सकेंगे।

भारत में तो इस बात की और भी अधिक आवश्यकता है कि लोग अच्छे नागरिक बनें। आज हम देखते हैं कि लोगों के मन में दूसरों के अधिकारों का उचित सम्मान करने की भावनायें कम होती जा रही हैं। शासनतंत्र के सक्रिय होने का भी कोई संकेत नहीं दिखलाई पड़ रहा है। इससे देश में निराशा के बादल छा गये हैं। विशेष रूप से शिक्षित नवयुवकों को आशा की कोई किरण नहीं दीख रही है। यह एक ऐसे समय की बात है जब कि देश अपनी स्वतन्त्रता के सातवें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और स्वतन्त्र देश की प्रथम पंचवर्षीय योजना की लगभग आधी अवधि समाप्त हो चुकी है। ऐसी परिस्थितियों में यह मेरा निश्चित मत है कि देश के नवयुवकों को उचित प्रशिक्षण दिये बिना वांछित लक्ष्य की प्राप्ति अत्यन्त कठिन हो जायेगी।

राष्ट्रीय सैनिक छात्र दल ने अपनी कर्त्तव्यपरायणता, कार्यकुशलता तथा उत्तरवादिता से जनता का हृदय मोह लिया है। वस्तुतः इससे इस बात की पुष्टि होती है कि आज इस देश को सैनिक प्रशिक्षण की

[डा० राम सुभग सिंह]

कितनी आवश्यकता है । परन्तु इस दल के अधीन जितने छात्रों को प्रशिक्षण दिये जाने का लक्ष्य है, वह बहुत कम है । देश की ३६ करोड़ जनसंख्या में से कुल ४५,००० छात्रों को प्रशिक्षण दिये जाने का लक्ष्य पर्याप्त नहीं है ।

यह कहा जा सकता है कि अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था सारे देश में लागू नहीं की जा सकती । इसीलिये मैं ने अपना संकल्प केवल स्कूलों तथा कालिजों तक सीमित रखा है । पहले यह स्कूलों तथा कालिजों में लागू हो जाये फिर शनैः शनैः सारे देश में भी लागू हो सकती है ।

अब, हो सकता है कि मेरी प्रस्थापना का विरोध वित्तीय आधार पर किया जाये । परन्तु मेरा ख्याल है कि एक ऐसी सरकार के लिये, जो कभी कभी करोड़ों रुपये यों ही खर्च कर देती है, यह राशि—जो इस पर व्यय होगी—कोई विशेष अधिक नहीं है । प्रारम्भ में यह कार्य शिक्षा संस्थाओं के शारीरिक शिक्षा विभागों के सुपुर्द कर दिया जाये और उनकी देखरेख रक्षा मंत्रालय द्वारा की जाये । परन्तु रक्षा मंत्रालय इस प्रयोजनार्थ जो तंत्र स्थापित करे वह नई व्यवस्था के अनुकूल होना चाहिये । क्योंकि इस प्रशिक्षण का कार्य राष्ट्रीय सैनिक छात्र दल के प्रशिक्षण कार्य से बड़ा होगा । इसके अलावा, हमारी नियमित सेना के लोग तो सारे देश में मौजूद हैं और उनमें से कुछ स्कूलों और कालिजों में राष्ट्रीय सैनिक छात्र दल की यूनिटों में भी नियुक्त हैं । स्कूलों और कालिजों में अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण देने के लिये उन लोगों की सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है । जहां तक वर्दी का प्रश्न है, यदि सरकार उस पर व्यय नहीं कर सकती तो वह छात्रों से स्वयं खरीदने के लिये कह सकती है क्योंकि उस पर कोई विशेष अधिक व्यय नहीं होगा ।

अतः मैं देखता हूं कि स्कूलों और कालिजों में अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण देने की योजना का किसी भी आधार पर विरोध नहीं किया जा सकता । इसके विपरीत यह योजना जनता के मन में यह भावना भी उत्पन्न करेगी कि देश की एक बड़ी आवश्यकता पूरी हो गई है । इससे न केवल चरित्र निर्माण करने तथा शारीरिक तथा मानसिक योग्यताओं का विकास करने में ही सहायता मिलेगी, बल्कि छात्रों में अनुशासन और समाज सेवा की अटूट भावना भी जागृत होगी । देश में सन्तोष या असन्तोष की भावनाओं को जन्म देने में छात्रों का बड़ा हाथ होता है । यदि उन्हें उचित प्रशिक्षण न मिला हो तो वे सरकार को उखाड़ सकते हैं, परन्तु इसके विपरीत यदि उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया गया हो तो वे जनता को सरकार का समर्थन करने के लिये भी प्रेरित कर सकते हैं । यदि हम इस योजना को आगे बढ़ायेंगे तो अवश्य ही देश शान्ति, वैभव तथा प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होगा ।

सभापति महोदय संकल्प प्रस्तुत हुआ :

"इस सदन की राय है कि हाई स्कूलों तथा कालिजों के समस्त छात्रों को अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण देने के लिये तुरन्त कार्यवाही की जाये ।"

मुझे कई संशोधनों की सूचना मिली है । उनमें से श्री झूलन सिन्हा, श्री ए० के० गोपालन तथा श्री फ्रेंक एन्थनी के संशोधनों को तो मैं नियमविरुद्ध ठहराता हूं । शेष संशोधनों के विषय में मुझे यह कहना है कि जो जो माननीय सदस्य अपने संशोधन प्रस्तुत करना

चाहें वे प्रस्तुत कर दें ताकि उसके बाद उन पर चर्चा हो सके।

श्री यू० सी० पटनायक (घूमसूर) मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) कि मूल संकल्प के स्थान में निम्न आदिष्ट किया जाये :

"इस सदन की राय है कि हाई स्कूलों तथा कालिजों के समस्त छात्रों के लिये सैनिक प्रशिक्षण की एक आकर्षक प्रणाली की व्यवस्था करने के लिये तुरन्त कार्यवाही की जाये जिससे कि उन्हें शान्ति काल में राष्ट्र-निर्माण कार्य करने तथा युद्ध काल में राष्ट्र की रक्षा करने के लिये तैयार किया जा सके।"

(२) कि मूल संकल्प के स्थान में निम्न आदिष्ट किया जाये :

"इस सदन की राय है कि हाई स्कूलों तथा कालिजों के समस्त छात्रों को सैनिक प्रशिक्षण देने में न केवल प्रसारित राष्ट्रीय सैनिक छात्र दल का बल्कि ऐसे अन्य सैनिक तथा अर्ध-सैनिक संगठनों का भी लाभ उठाया जाये।"

संशोधन प्रस्तुत हुए।

श्री ए० के० गोपालन (कन्नानूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

संकल्प में "अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण" के स्थान में "ऐच्छिक सैनिक प्रशिक्षण" आदिष्ट किया जाये।

संशोधन प्रस्तुत हुआ।

श्री यू० सी० पटनायक : इन दो संशोधनों को प्रस्तुत करने में मैं प्रारम्भ में ही यह बतलाना चाहता हूं कि मैं मूल संकल्प के विरुद्ध नहीं हूं। वरन् मुझे पूरा विश्वास है कि सदन मूल संकल्प का पूरा समर्थन करेगा। इन संशोधनों द्वारा मैं मूल संकल्प के कुछ पहलुओं को सुदृढ़ करना चाहता हूं। मैं ने अपेक्षा की है कि "सैनिक प्रशिक्षण" के पूर्व शब्द "अनिवार्य" हटा कर उसके स्थान पर "आकर्षक प्रणाली" शब्दों को रख दिया जाये। इस से दो लाभ होंगे। प्रथम तो आकर्षक होने के कारण इसके प्रति उत्साह में वृद्धि होगी, द्वितीय, इससे वित्त सम्बन्धी आपत्ति भी हट जायेगी, क्योंकि मंत्रालय को इसमें वित्त के मामले में ही कठिनाई हो सकती है।

संकल्प एक अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा आवश्यक विषय से सम्बन्धित है, नामतः युवकों को स्कूलों तथा कालिजों में सैनिक प्रशिक्षण प्रदान करना। वर्तमान राष्ट्र-निर्माण के प्रयत्नों की मुख्य प्रवृत्ति यह है कि कोई विभाग अपना काम पूर्णतया अलग रह कर नहीं चला सकता। जन-शक्ति के पुनर्संगठन के लिये भौतिक साधनों के पुनर्संगठन के लिये, विश्वपर्यन्त आजकल यही नीति है कि विभिन्न विभाग सहकार के साथ कार्य करते हैं। इसका एक पहलू यह है कि प्रतिरक्षा सेवाओं के लोगों को आजकल विश्व भर में सामान्य, टकनीकल तथा औद्योगिक शिक्षा दी जाती है। और एक दूसरा पहलू यह है कि शैक्षिक संस्थाओं, युवक आन्दोलनों, युवक संगठनों इत्यादि को सैनिक शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार इन दोनों पहलुओं का एक रूप है —शैक्षिक तथा सैनिक प्रयत्नों का सहयोजन। किन्तु हमारे यहां सारे विभाग अपना अपना काम पृथक् रूप से कर रहे हैं। एक दूसरे की कार्यवाइयों में आपस में कोई सहयोजन नहीं है। आयोजन तक में भी हम देखते हैं कि कोई सहकार नहीं है। इसलिये हम इस संकल्प के प्रस्तावक के अनुग्रहीत हैं कि उन्होंने अन्य देशों में चलने वाले सहकार के इस एक पहलू को हमारे सम्मुख रखा है अर्थात शैक्षिक संस्थाओं का सैनिक प्रशिक्षण

[श्री यू० सी० पटनायक]

के लिये उपयोग । मुझे आशा है कि सदन इसे अपना पूरा पूरा समर्थन देगा ।

जहां तक इस बात का प्रश्न है कि यह प्रशिक्षण ऐच्छिक रखा जाये अथवा अनिवार्य, मैं समझता हूं कि यह महज़ भावनात्मक बात है और इसका व्यावहारिक मूल्य कोई नहीं है । हमें याद रखना चाहिये कि यह सैनिक सेवा में अथवा औद्योगिक कार्य के लिये अनिवार्य भर्ती का प्रश्न नहीं है, जैसा कि संसार में आजकल हो रहा है । यह तो महज़ हाई स्कूलों तथा कालिजों के पाठ्यक्रम में एक और विषय जोड़ देने का प्रश्न है । प्रश्न यह है कि उस विषय को अनिवार्य बनाया जाय या ऐच्छिक । मैं अपने उन माननीय मित्रों से सहमत नहीं हूं जो समझते हैं कि यहां एक प्रकार की अनिवार्य भर्ती की अपेक्षा की गई है । अनिवार्य भर्ती का तो अब समस्त क्षेत्र ही बदल गया है । गत शताब्दी में अनिवार्य भर्ती युद्ध के लिये ही हुआ करती थी किन्तु अब तो दृष्टिकोण परिवर्तित हो चुका है और आजकल अनिवार्य भर्ती सेना के लिये, उद्योगों के लिये, कृषि के लिये तथा अन्य सारभूत सेवाओं के लिये की जाती है । आजकल यह अनिवार्य भर्ती केवल रूस और जर्मनी के शासन के तंत्रों में ही वरन् आज के लोक तंत्रों में भी की जाती है । इसलिये यह महज़ अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण का प्रश्न नहीं है, जो कि माननीय सदस्य डा० राम सुभग सिंह के संकल्प का क्षेत्र है । आज की अनिवार्य भर्ती तो सभी सारभूत सेवाओं के लिये है ।

डा० राम सुभग सिंह चाहते हैं कि सैनिक प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया जाये । किन्तु यह ऐच्छिक अथवा अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण का प्रश्न नहीं है । यह तो स्कूलों तथा कालिजों के, विद्यार्थियों को सैनिक प्रशिक्षण देने के लिये प्रयुक्त करने का है । हर जगह यह होता है । अमरीका जैसे देश में भी अनेक विश्वविद्यालयों तथा कालिजों में सैनिक प्रशिक्षण एक अनिवार्य विषय रहा है । जो संशोधन पेश किये गये हैं उनके सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि यदि शब्द "अनिवार्य" वहां रहने दिया जाये तो कोई अन्तर नहीं पड़ता । मैं चाहता हूं कि ऐच्छिक अथवा अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण के स्थान पर आकर्षक दशाओं में यह प्रशिक्षण होना चाहिये जिससे कि लोग सोत्साह उसमें सम्मिलित हों । दूसरे देशों में इसे आकर्षक बनाने के लिये विभिन्न उपाय अपनाये जा रहे हैं । हमें भी अपने विद्यार्थियों के लिये इसे रुचिपूर्ण तथा आकर्षक बनाने हेतु इन उपायों को अपनाने का प्रयत्न करना चाहिये ।

सैनिक प्रशिक्षण मनुष्य के दृष्टिकोण में अनुशासनात्मक भावना का समावेश करता है और ऐसा दृष्टिकोण उत्पादन में सहायक होता है तथा अधिक कार्यक्षमता उत्पन्न करता है । इसलिये सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को हमें भर्ती के मामले में वरीयता देनी चाहिये ।

किन्तु वित्तीय साधनों की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती । बिना वित्तीय साधनों का विचार किये हम सीधे यह नहीं कह सकते कि सब विद्यार्थियों अथवा युवकों के लिये हमें सैनिक प्रशिक्षण अनिवार्य कर देना चाहिये । यहां हमें उन विभिन्न प्रयत्नों का समन्वयीकरण की सम्भावना पर विचार करना चाहिये जिन के द्वारा बिना अधिक राशि व्यय किये यथासम्भव अच्छे परिणाम प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है । प्रादेशिक सेना के मामले में मैं इस मंत्रालय को बधाई देता हूं । अब वह सहायक प्रा-

देशिक सेना की नियुक्ति करने जा रहा है। इसके साथ साथ अनेक सचल प्रशिक्षण शिविर भी देश भर में हैं। इसमें आयु सम्बन्धी कोई बन्धन नहीं है, इसलिये हमारे अनेक मित्र इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। स्काउट संगठन को इसके साथ सहयुक्त किया जा सकता है। राइफिल क्लबों, उड्डयन क्लबों केलिपोत क्लबों, नाव क्लबों, हवाई क्लबों इत्यादि को प्रोत्साहन देना चाहिये। इन सब क्लबों तथा संस्थाओं को यह प्रशिक्षण देने के लिये प्रयुक्त करना चाहिये।

एक सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि इन संस्थाओं--स्कूलों और कालिजों--के अध्यापकों को भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिये। अब यह होता है कि एन० सी० सी० या कमांडिंग आफ़िसर जब चला जाता है तो वह किसी हवलदार या जमादार को चार्ज दे जाता है। मेरा विचार है कि उसे वहां के किसी प्रोफ़ेसर को चार्ज में छोड़ना चाहिये। हमारे यहां के प्रोफ़ेसरों तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण एवम् अनुभव प्राप्त करने की पूरी सुविधायें दी जानी चाहियें दूसरे देशों में युवकों को स्कूलों और कालिजों में सैनिक प्रशिक्षण दे कर सशस्त्र सेनाओं के लिये तैयार किया जाता है। हमें बतलाया गया है कि वहां के ७९ प्रतिशत छात्र-सैनिक प्रतिरक्षा सेवाओं में भरती कर लिये जाते हैं। हमारे देश में भी कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिये जिससे कि सैनिक प्रशिक्षण उन्हें अधिक आकर्षक एवम् रुचिपूर्ण प्रतीत हो।

श्री रघुवीर सहाय (ज़िला एटा--उत्तर पूर्व व ज़िला बदायूं--पूर्व) : मैं डाक्टर राम सुभग सिंह के संकल्प का समर्थन करता हूं। कुछ माननीय सदस्यों की यह धारणा बन गई है कि अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण हमारे अहिंसा के सिद्धान्त के अनुकल नहीं है। मैं इस धारणा को हटा देना चाहता हूं। मेरा विचार है कि किसी विदेशी आक्रमण न होने के समय तक हम पूर्णरूपेण अहिंसात्मक रह सकते हैं, हमारी सरकार की यही नीति है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी हम मध्यस्थ निर्णय को अधिक पसन्द करते हैं। हमारी इच्छा किसी देश पर आक्रमण करने की नहीं है परन्तु अहिंसा के पीछे अपने सभी सुरक्षात्मक उपायों को तिलांजलि दे देना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं होगा। आकस्मिक परिस्थितियों के लिये हमें सभी प्रकार के पूर्वोपाय करने आवश्यक हैं। स्वयं महात्मा गांधी कहा करते थे कि मान तथा प्रतिष्ठा की रक्षा में कायरता दिखाने के स्थान पर हिंसा से काम लेना अधिक उत्तम है। अतः इस संकल्प के पारित कर देने से हमारे अहिंसाव्रत का कोई विरोध नहीं होगा।

इस संकल्प के पारित होने तथा इसके सरकार द्वारा स्वीकार कर लिये जाने का परिणाम यह होगा कि हमारे नवयुवकों का चरित्र बन जायगा। आज हमारे नवयुवकों में ही नहीं अपितु समस्त राष्ट्र में चरित्र की कमी है। अतः प्रत्येक नवयुवक को अपने देश का गौरव ही नहीं अपितु स्वयं उनका ही गौरव तथा प्रतिष्ठा बनाये रखने की शिक्षा दी जानी चाहिये। आज हमारे देश के नवयुवकों में यह भावना नहीं है। आज उन में लोभ, स्वार्थीपन, देशभक्ति का अभाव तथा राष्ट्रीय नेताओं के प्रति दुर्भावना पाई जाती है। मेरा विचार है कि सैनिक शिक्षा दिये जाने पर उन में देश भक्ति तथा त्याग की भावना उत्पन्न होगी।

मेरे समर्थन करने का दूसरा कारण यह है कि सैनिक प्रशिक्षण दिये जाने से हमारे नवयुवक अधिक अनुशासप्रिय हो जायेंगे। आज समस्त विद्यार्थीवर्ग में अनुशासन की बहुत कमी है।

[श्री रघुवीर सहाय]

तीसरा कारण यह है कि सैनिक प्रशिक्षण से हमारे नवयुवकों का स्वास्थ्य बनेगा। बुरी शिक्षा प्रणाली, अस्वास्थ्यकर वातावरण तथा पोषक खाद्य पदार्थों की कमी के कारण उनका स्वास्थ्य नष्ट हो गया है तथा शरीर क्षीण हो गये हैं। यदि यह संकल्प स्वीकार कर लिया जाता है तो देश के नवयुवकों पर इसका बहुत उत्तम प्रभाव पड़ेगा और यह सभी दोष दूर हो जायेंगे। पश्चिम के प्रायः सभी देशों में सैनिक शिक्षा अनिवार्य है इसी कारण युद्ध की विभीषिका के दूर हो जाने के बाद भी उन देशों का इतनी शीघ्रता से पुनरुत्थान हो सका है। परन्तु इस के विपरीत भारत में सहयोगिता का सर्वथा अभाव है। हमारे नवयुवकों के सैनिक वातावरण में रखे जाने के परिणामस्वरूप देश की मांग को काफ़ी सीमा तक पूरा किया जा सकेगा।

सैनिक प्रशिक्षण दिये जाने से शान्ति तथा व्यवस्था सम्बन्धी समस्या भी समाप्त हो जायगी। आज देहातों में जिन व्यक्तियों को बन्दूकों वग़ैरा के लायसेंस मिले हुये हैं वह उन को सिर्फ़ रौब गांठने के काम में ही लाते हैं। यदि नवयुवकों को सैनिक प्रशिक्षण देकर देहातों में बसाया जाय तो डाकुओं और बटमारों की समस्या शीघ्र ही हल हो जायगी।

इस संकल्प के पारित किये जाने से आय-व्ययक व्यय भी कम हो जायगा। आज संसार के सभी देशों में सेना सम्बन्धी व्यय कम किये जा रहे हैं। रूस में समस्त व्यय का केवल २० प्रतिशत भाग ही सेना पर खर्च होता है। परन्तु हमारे देश में ५० प्रतिशत खर्च होता है। सरकार द्वारा इस प्रस्ताव के स्वीकार कर लिये जाने पर सेना सम्बन्धी व्यय में पर्याप्त कमी हो जाने की आशा है। हम प्रशिक्षित नवयुवकों को किसी भी आपातिक अवसर पर देश की सहायता करने के लिये बुलाया जा सकेगा।

परन्तु सरकार से मेरा यह निवेदन है कि सैनिक प्रशिक्षण देते समय वह इस बात को ध्यान में रखे कि कहीं हमारे नवयुवकों में 'युद्धप्रियता' की भावना न बढ़ जाय। हमें अपने नवयुवकों को सैनिक प्रशिक्षण देकर उन्हें हिटलर, मुसोलिनी या स्टालिन नहीं बनाना है। इसके विपरीत इस के द्वारा हमें उन में देशभक्ति और सेवा भाव को जागृत करना है। उनकी शारीरिक अवस्था को सुधारना है और देश के योग्य नागरिक बनाना है।

श्री गाडगिल (पूना मध्य) : यह पहला ही अवसर नहीं है जब कि इस प्रकार का प्रस्ताव सदन के समक्ष आया है। गत २० वर्षों में कम से कम दस ऐसे संकल्प प्रस्तुत किये जा चुके हैं। सरकार ने प्रादेशिक सेना, राष्ट्रीय छात्र सेना तथा कनिष्ठ छात्र सेना के सम्बन्ध में जो कुछ किया है उस से यह निश्चय हो जाता है कि यह सरकार यह कार्य भी करना चाहती है। इस प्रश्न के आर्थिक पहलू के सम्बन्ध में सरकार को जो कठिनाइयां हैं उन को मैं भली भांति समझता हूं। कम से कम २५ लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना होगा और प्रति व्यक्ति कोई २५० रुपया व्यय होगा। यह भी सम्भव है कि प्रशिक्षण केवल महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को ही दिया जाय और ऐसी अवस्था में $१\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये से अधिक व्यय होने की सम्भावना नहीं है। परन्तु प्रश्न यह है कि यह $१\frac{1}{2}$ करोड़ रुपया आयेगा कहां से? मेरी इच्छा है कि सरकार इस संकल्प की भावना को स्वीकार करले और किसी भी समय परिस्थिति के अनुकूल होने पर इस योजना को लागू करने का आश्वासन दे।

पहले किसी समय सैनिक तथा असैनिक जातियों में विभेद किया जाता था । आज भारत में यद्यपि इस सम्बन्ध में कोई अभिलेख नहीं है परन्तु तो भी व्यवहारिक रूप से यह विभेद आज भी किया जाता है । इस विभेद को मिटाने के लिये कोई न कोई कार्यवाही अवश्य की जानी चाहिये । मेरा सुझाव है कि सरकार इस बात पर विचार करे कि क्या यह महाविद्यालयों में पढ़ने वाले दो लाख विद्यार्थियों को सैनिक प्रशिक्षण दे सकती है अथवा नहीं । आज सभी की यह शिकायत है कि भारत में 'अधीनस्थ नेतृत्व' का सर्वथा अभाव है । हमारे यहां बड़े नेता हैं तथा उनके अनुयायी हैं परन्तु उन दोनों के बीच की कड़ी जिस में कुछ उपक्रम, कुछ अनुशासन हो और जिसमें शारीरिक तथा मानसिक बल हो, नहीं है । इसलिये यह आवश्यक है कि एक आयु वर्ग विशेष को प्रति वर्ष ऐसा प्रशिक्षण दिया जाय जिस से कि वह स्कूल तथा कालिजों को छोड़ने के बाद अपने सामाजिक कर्तव्यों को अधिक उत्तमता से पूरा कर सकें ।

आज हम एक सुयोजित अर्थ व्यवस्था का विचार कर रहे हैं । अतः हम को आवश्यकता है उत्तम नेतृत्व की, उत्तम व्यवस्था की और ऐसे व्यक्तियों की जिन में कार्य करने की योग्यता तथा क्षमता हो । और यह सैनिक जीवन का एक अंग है । अतः मेरा विचार है आर्थिक कठिनाइयों के कारण चाहे सरकार इस योजना को अभी लागू न करे परन्तु उसे इस नीति को स्वीकार अवश्य कर लेना चाहिये । मेरा यह आशय नहीं है कि सरकार अभी और इसी क्षण यह आश्वासन दे दे, परन्तु अपनी सुरक्षा पंक्ति को सुदृढ़ करने के लिये अगले तीन वर्षों म वह इस कार्य को करे । सुयोजित अर्थ व्यवस्था में अनुशासन का बहुत बड़ा स्थान होता है अतः देश के उत्पादन तथा वितरण के सम्बन्ध में योजना बनाते समय देश की जन शक्ति को भी संगठित करने की अतीव आवश्यकता है । संगठन का अर्थ केवल मात्र श्रम का विभाजन ही नहीं है अपितु उस में अधिकार का विभाजन तथा उस का समुचित उपयोग भी निहित है । और यह तभी हो सकता है जब हमारे पास ऐसे व्यक्ति हों जिनको उन के प्रारम्भिक जीवन में अपने कर्तव्यों को सुचारु रूप से तथा सत्य निष्ठा के साथ पूरा करने का प्रशिक्षण दिया गया है । कालिज के विद्यार्थियों में थोड़ी सी अनुशासन की भावना लाने से ही सारा वातावरण बदल जायगा । समाज के प्रति उनका दृष्टिकोण अधिक उत्तम हो जायगा । अतः मेरा निवेदन यह है कि समस्या के शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक पहलू को देखते हुए यह प्रयोग किया जाय । यह कार्य किसी भावी युद्ध की कोई तैयारी कदापि नहीं होगी और न अहिंसा की भावना के विरुद्ध ही होगा ।

श्री नामधारी (फ़ाज़िल्का-सिरसा) : आज का युग कलियुग है और इस लिये आज की मित्रता केवल शक्ति की मित्रता भर ही है । कमजोर का आज कोई साथी नहीं है । अतः युद्ध की सम्भावना को रोकने का सर्वोत्तम उपाय युद्ध के लिये पूर्णरूप से तैयार रहना तथा शक्ति सन्तुलन को बनाये रखना ही है । हमारे देश की सीमा २००० मील लम्बी है और वहां मैजिनो लाइन जैसी कोई रक्षा पंक्ति भी नहीं है । अतः युद्ध छिड़ जाने की दशा में यदि सीमा पंक्ति सुदृढ़ न हुई तो वहां स्थित सेनाओं को आदेश तक मिलना असम्भव हो जायगा । विद्यार्थियों को सैनिक शिक्षा दिये जाने के अतिरिक्त सीमान्त क्षेत्रों में ५० मील की दूरी तक रहने वाले व्यक्तियों को सामूहिक सैनिक

[श्री नामधारी]

शिक्षा दी जानी आवश्यक है। यही हमारी मैजीनो लाइन बनेगी। इस का अर्थ युद्ध की घोषणा करना नहीं है अपितु यदि हम शक्तिशाली होंगे तो सभी हम से मित्रता करना चाहेंगे। पिछले युद्ध में शान्तिप्रिय नागरिकों को भयभीत करने के लिये शत्रु द्वारा छतरियों से सशस्त्र सैनिक उतारे गये थे। अतः यदि ऐसी परिस्थिति आ जाये तो सेना के बुलाये जाने के स्थान पर स्थानीय व्यक्ति ही उन से सुलट सकें। इस से आक्रमण का खतरा कम हो जायगा। ऐसा करने से हम संसार का कल्याण भी करेंगे और अवसर आने पर अपनी रक्षा भी स्वयं ही कर सकेंगे।

केवल सैनिक शिक्षा से ही काम नहीं चलेगा, लोगों में सैनिक भावना उत्पन्न करनी होगी। सदन को स्मरण होगा कि दो अंग्रेज़ी युद्धपोत डुबोने के लिये जापानी सैनिकों ने अपनी जान की परवाह न करते हुये अपने छोटे छोटे वायुयान एकदम जहाज़ों पर ही गिरा दिये थे। अतः सैनिक शिक्षा उपयुक्त व्यक्तियों को दी जानी चाहिये।

हमारे देश में कुछ बहुत उत्तम सैनिक जातियां है, मरहटा, जाट, राजपूत, सिक्ख, गोरखा इत्यादि जातियां सैनिक जातियां हैं। इन पर व्यय किया गया धन व्यर्थ में नहीं जायगा। शिवाजी ने किस प्रकार औरंगज़ेब से गुरिल्ला युद्धों में मोरचा लिया था यह इतिहास प्रसिद्ध बातें हैं। भारत का प्रत्येक नवयुवक शान्तिप्रिय तथा पूर्वजों की नीति पर चलने वाला होना चाहिये। उन में यह भावना कूट कूट कर भरी होनी चाहिये कि समय आने पर वह परमाणु बम की भांति फट कर शत्रु का विध्वंस कर दें। अतः सैनिक शिक्षा का दिया जाना अत्यावश्यक है। यदि हम अभी नहीं चेते तो फिर हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकेगा।

श्रीमती सुषमा सेन (भागलपुर-दक्षिण): मैं भी उन लोगों में से एक हूं जो यह चाहते हैं कि हाई स्कूल कक्षा तथा कालेज के विद्यार्थियों के लिये सैनिक शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिये किन्तु यह प्रस्ताव प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा अस्वीकार कर दिया कि अभी इसकी कोई शीघ्रता नहीं तथा आर्थिक कठिनाई के कारण इसका लागू करना सम्भव नहीं। मैं भी यू० सी० पटनायक के संशोधन का समर्थन करती हूं। मैं तो कहती हूं कि देश के प्रत्येक युवक के लिये यह शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिये। लड़कियों के लिये भी इस सैनिक शिक्षा की अत्यन्त आवश्यकता है जैसा कि श्री गाडगिल ने भी कहा है। प्रतिरक्षा मन्त्रालय राष्ट्रीय सेना छात्र दल तथा अन्य सैनिक एवं अर्द्ध-सैनिक संगठनों का उपयोग इस कार्य में करे तो आर्थिक समस्या हल हो सकती है।

प्रो० मैथ्यू (कोट्टयम): मैं संशोधन का विरोध करता हूं। 'compulsory' (अनिवार्य) तथा 'not compulsory' (निवार्य) में बहुत बड़ा भेद है, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। "attractive military training" (आकर्षक सैनिक शिक्षा) शब्द संशोधन में आदिष्ट किये गए हैं। क्या इसका मन्तव्य यह है कि सैनिक शिक्षा हाई स्कूल तथा कालेज के लड़के व लड़कियों सभी के लिये होगी इस कारण आकर्षक होगी? पहले तो यह कि आप कहें या न कहें किन्तु शिक्षा अनिवार्य तो होगी ही। यदि लिंग का भेद किये बिना यह शिक्षा अनिवार्य की जाती है तो मैं उसका विरोधी हूं क्योंकि उसमें समय भी काफी लगेगा। इसके अतिरिक्त अनिवार्य तथा स्वेच्छा में स्पष्ट भेद है जिसको शब्दों की युक्ति के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता।

पिछली जनवरी में दिल्ली में गान्धी जी की दार्शनिकता को समझने के लिये एक गोष्ठी आयोजित की गई थी जिसमें विभिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधि थे। किन्तु उसका निष्कर्ष यही निकला कि गान्धी जी द्वारा रखे गए अहिंसा के सिद्धान्तों को आज कार्यान्वित करना बड़ा कठिन कार्य है और कोई भी राष्ट्र इसके लिये तत्पर नहीं। उसमें कुछ ऐसी गुत्थियां हैं जिनका सुलझाना हमारे लिये सम्भव नहीं। जिसका कारण है कि हम बहुत कमज़ोर हैं उस नीति का पालन करने में।

यह कहा गया था कि गान्धी जी भी इस बात से सहमत थे किन्तु मैं यह मानने को तैयार नहीं। उनका कहना था कि हिंसा तो कायरों के लिये हैं। क्या वे व्यक्ति जिन्होंने सैनिक शिक्षा नहीं प्राप्त की है, वे सदा कायर ही होते हैं? उन्होंने वह गम्भीर तथा पवित्र दार्शनिकता रखी जिसका पालन हम लोग मनुष्य होने के नाते नहीं कर सकते। मैं यह स्वीकार करता हूं। उस आदर्श पर कार्य करने में असफल हो जाना एक चीज़ है और उसके विपरीत दिशा में कार्य करना दूसरी चीज़। गान्धी जी के सिद्धान्तों पर चलना हमारे लिये भले ही सम्भव न हो किन्तु धीरे-धीरे उस पर चलने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिये। ऐसा न होकर ठीक इसके विपरीत दिशा पर चलना एक दूसरी बात है।

मैं राष्ट्र की रक्षा स्वयं करने तथा भारत के लिये सेना रखने के विरोध में नहीं हूं। आज के समय में न केवल सेना रखना ही आवश्यक है वरन् एक विशाल तथा सुसज्जित सेना की भी आवश्यकता है जिसके बिना काम नहीं चल सकता। यदि सभी छात्रों के लिये सैनिक शिक्षा अनिवार्य हो जाती है तो सैनिक शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया जायगा जिससे उनके मस्तिष्क भी सैनिक ढंग से बन जायेंगे। जब सभी विषय सभी छात्रों के लिये अनिवार्य नहीं किये जा सकते तो सैनिक शिक्षा ही क्यों अनिवार्य की जाय। मानसिक शिक्षा के लिये शारीरिक शिक्षा सहायक हो सकती है किन्तु शारीरिक शिक्षा के स्थान पर सैनिक शिक्षा नहीं रखी जा सकती। स्कूलों में शारीरिक शिक्षा की भी उतनी ख्याति नहीं जितनी पुरुषों द्वारा खेले जाने वाले खेलों की।

यह भी कहा गया था कि सैनिक शिक्षा से देश में शान्ति एवं सुव्यवस्था स्थापित होने में सहायता मिलेगी किन्तु मेरी समझ में यह बात नहीं आती वरन् किन्हीं परिस्थितियों में यह कार्य और भी दुस्तर अवश्य हो सकता है। मैं जितना महत्व पुरुषों वाले खेलों को देता हूं उतना ही शारीरिक शिक्षा को भी।

यदि यहां इससे केवल यह समझा जाता है कि इसका संबंध शिक्षा मन्त्रालय से नहीं तो इससे हमारा मन्तव्य कभी पूर्ण नहीं हो सकता। अत: मैं इसके विरोध में हूं।

श्रीमती उमा नेहरू (जिला सीतापुर व जिला खेरी—पश्चिम) : जब से मैं ने यह प्रस्ताव देखा तब से मैं बराबर सोच में हूं और मुझे इस मौक़े पर ग़ालिब का एक शेर याद आ रहा है और वह यह है कि:

"इस सादगी पर क्यों न मर जांय यह खुदा,
लड़ते हैं पर हाथ में तलवार भी नहीं"

यह शेर मुझे बराबर याद आता गया और उसका कारण क्या है? कारण यह है कि हालत हमारी इस समय क्या है, इंसान को असल में प्रैक्टिकल होना चाहिए और संग संग उसको अपने देश की स्थिति को भी समझना चाहिए। एक भाई ने कहा कि कम्पलसरी ट्रेनिंग (अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण) होनी चाहिए और इस विषय

[श्रीमती उमा नेहरू]

का प्रस्ताव भी रक्खा गया है, दूसरे ने कहा कि उसमें से कम्पलसरी लफ्ज हटा दे और अटरैक्टिव (आकर्षक) रख दें, अब अटरैक्टिव बड़ा वेग (अस्पष्ट) लफ्ज है, अटरैक्टिव वर्दी, अटरैक्टिव बन्दूक या क्या चीज़ अटरैक्टिव होगी। अभी मेरे एक दूसरे भाई ने महात्मा गांधी की मिसाल दी और उसको सुनने के बाद मैं ने ऐसा अनुभव किया कि मुझे इस अवसर पर खड़ा होकर जरूर कुछ कहना चाहिए।

वायलेंस (हिंसा) और नानवायलेंस (अहिंसा) का प्रश्न जिस समय इस हाउस में आया, तो उसके सम्बन्ध में मुझे आपसे यही कहना है कि मैं तो समझती हूं कि हमारे हाथों में कहिए, कमर में, दिमागों में या दिल में जो हथियार हैं वह नानवायलेंस का है और उसी नानवायलेंस के हथियार से हमने अपनी आज़ादी को भी हासिल किया है, और इसलिए आज मैं कोई वजह नहीं देखती कि इस देश में हम हर एक बच्चे को कम्पलसरी मिलेटरी ट्रेनिंग दें, इस बात की तालीम दें कि वह बन्दूक लेकर चलें, क्योंकि एक तो मैं देखती हूं कि रोज़ बरोज़ मिलेटरी ट्रेनिंग की टेकनीक बदलती जाती है और महज़ एक इन्सान के बन्दूक चलाना सीखने से कोई फ़ायदा नहीं है, दूसरे सिर्फ़ बन्दूक हाथ में लेने से कोई फ़ायदा नहीं जब हम देखते हैं कि देश में कोई चरित्र अथवा कैरेक्टर रहा नहीं है।

सारे मुल्क की हालत तो केआस और कन्फ्यूजन में है। हमारे मुल्क की बैकबोन तो मजबूत है ही नहीं। हम बड़ी गड़बड़ी में पड़े हैं। हर कदम पर हम सिर उठा कर आगे नहीं जा रहे हैं। ऐसे कन्फ्यूजन में, ऐसी गड़बड़ी में अगर बन्दूक भी हमें मिल गई तो उस से क्या होगा? आज विद्यार्थियों की जो हालत है उस से बदतर और क्या होगी? इस लिये मैं तो समझती हूं कि फिजिकल ट्रेनिंग (शारीरिक प्रशिक्षण) पर ज्यादा विचार हम को करना है। जब तक हम में डिसिप्लिन (अनुशासन) नहीं आयेगी, हमारे शरीर में, कुल देश के शरीर में जब तक शक्ति नहीं होगी, तब तक बन्दूक हाथ में लेना बेकार है। इस लिये मेरा तो ऐसा विचार है कि इस की ओर हमें पहले ध्यान देना चाहिये।

संग संग मैं यह भी कहूं कि यह जो यहां पर बार बार कहा गया है वह अच्छा तो बहुत लगता है कि मिलिटरी ट्रेनिंग दी जाय, पश्चिमी देशों की किताबें यहां पढ़ाई जाती हैं, हर एक इतिहास हमारे सामने लाये जाते हैं, कोई जापान की चर्चा करता है कोई जर्मनी का चर्चा करता है, लेकिन कोई भी यहां पर ऐसा नहीं है जो अपने घर की हालत देखे कि क्या हालत है। आज हमारे देश की हालत यह है कि हम रोज ब रोज गिरते जाते हैं, हमारे स्टूडेन्ट्स (विद्यार्थियों) के चरित्र गिरते चले जाते हैं, हमारे टीचर्स (शिक्षक) जो उन को पढ़ाने वाले हैं वह मजबूर हो गये क्योंकि विद्यार्थियों में डिसिप्लिन नहीं है। ऐसी हालत में मैं समझती हूं कि पहले यहां यह प्रस्ताव आना चाहिये था कि यहां पर प्राइमरी बेसिक एजुकेशन बुनियादी शिक्षा कम्पलसरी होनी चाहिये जिस से कि विद्यार्थियों के चरित्र बन जायें। वह तो नहीं हुआ, पर बन्दूक की तरफ ऐट्रैक्शन है। अभी मैं अपनी कान्स्टिटुएन्सी में गई थी। वहां मैं ने एक महात्मा गांधी के चेले को देखा जो इस वक्त एम० एल० ए० हैं। मैं तो हैरत में आ गई क्योंकि मैं ने देखा जो महात्मा गांधी के नानवायलेन्स के चेले थे उनको तमंचे का लाइसेन्स मिला है।

और उन को तमंचे का इतना एट्रैक्शन था कि वह उसे घर में नहीं रखते हैं बल्कि अपनी कमर में उसको बांधते हैं । मैं ने अपने उन भाई से कहा कि तमंचा कमर में है लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूं कि तमंचा आसानी से छिन भी सकता है । जब तक इन्सान में ताकत और शक्ति नहीं है उस को इन चीजों की ओर नहीं आना चाहिये । विचार या ख्याल को तो ऊंचा करना ठीक ही है, लेकिन संग संग इन बातों की ओर भी ध्यान जाना जरूरी है । मैं आनरेबल मेम्बर से कहूं कि आप को अपने मुल्क को देखना है और अपने डिफेन्स को भी देखना है । डिफेन्स डिपार्टमेन्ट में रुपया नहीं है, प्लैनिंग के लिये हमें हमेशा रुपये की परेशानी रहती है । हम इस की वजह से डिफेन्स में तरक्की नहीं कर सकते, एजुकेशन में तरक्की नहीं कर सकते । मैं कम्पलसरी मिलिटरी ट्रेनिंग देने के विरुद्ध हूं । मैं जरूरी समझती हूं कि अपने घर की हालत को देख कर, अपने देश की स्थिति को देख कर काम करना चाहिये । वह जबर्दस्त सबक जो नानवायलेन्स का था और जिस की वजह से आज हम आजाद हुए हैं उस को आज हम भूले हुए हैं और भूलने की वजह से हम रोज ब रोज गिरते चले जाते हैं । फिर से हमें उस ओर ध्यान करना चाहिये और फिर से हमें उस हथियार को इस्तेमाल करना चाहिये, तभी देश की उन्नति होगी ।

श्री रघुरामय्या (तेनालि) : इस संकल्प के आने पर मुझे अत्यन्त प्रसन्नता है । इसकी तो बहुत पहले से ही आवश्यकता थी । मैं इसके प्रस्तावक को बधाई देता हूं ।

मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कि यह समझते हैं कि महज शब्द अनिवार्य से कोई बड़ी भारी हानि हो जायगी । यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर के रूप में काफ़ी समय से हमारे यहां ऐच्छिक सैनिक प्रशिक्षण था । किन्तु देश की जनसंख्या को देखते हुये, जितने प्रतिशत लोग इसमें सम्मिलित हुये वह नहीं के बराबर हैं । मैं नहीं समझता कि कोई भी गम्भीर रूप से यह विवाद उठा सकता है कि अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण ही देश के लिये सहायक हो सकता है । ऐच्छिक प्रयास की अपनी सीमायें हैं । इसके लिये समय और प्रवृत्ति चाहिये जिसकी बहुत कमी है । वास्तव में मामूली खेलों का भी बहुत लोग लाभ नहीं उठाते । इसलिये मैं समझता हूं कि सैनिक प्रशिक्षण को लोगों के ऐच्छिक प्रयास पर नहीं छोड़ा जा सकता । मैं समझता हूं कि एक महान् देश चीन के पड़ौसी होने के नाते और गत महायुद्ध में फ़्रांस के एकाएक पतन को देखते हुये, किसी को अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण के विरुद्ध तर्क करने की आवश्यकता नहीं रह जाती । फ़्रांस एक महान् देश होते हुये भी इसलिये पतन को प्राप्त हुआ कि वह पहले से पूरी तरह तैयार नहीं था ।

प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में चीज़ों को सीखने का समय हुआ करता है । मेरा विश्वास है कि इस कला को सीखने का सर्वोत्तम समय स्कूल अथवा कालिज की आयु है । एक शान्तिप्रिय लोकतन्त्र अपने लोगों को अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण द्वारा ही प्रशिक्षित कर सकता है ।

वित्तीय पहलू को लेते हुये श्री गाडगिल ने कहा कि सैनिक प्रशिक्षण को भी हाई स्कूलों में चालू न किया जाये, अभी उसे कालिजों तक ही सीमित रखा जाये । मेरा कहना है कि यह काम इस प्रकार से नहीं होना चाहिये । आज विश्व में युद्ध लिप्सा की भावना इस प्रकार फैली हुई है कि कोई नहीं कह सकता कब युद्ध की आग भड़क उठे । यदि हमने अभी से असावधानी की तो बाद में वह खतरनाक साबित होगी ।

[श्री रघुरामय्या]

हमें अभी से ही प्रत्येक ख़तरे के लिये तैयार रहना है । काश्मीर में करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है । रक्षा के अन्य कामों में भी रुपया खर्च हो रहा है। यदि देश युवकों को सैनिक प्रशिक्षण देने के लिये एक या दो करोड़ रुपया प्रतिवर्ष निर्धारित कर दिया जाये तो उचित ही होगा । अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अपनी महानता पर भाषण देने से कोई लाभ नहीं होगा । वास्तविक शक्ति आती है अपनी रक्षा के लिये सदैव तैयार रहने से ।

आज हमने विश्व के राष्ट्रों में एक स्थान प्राप्त कर लिया है । यदि हम सैनिक शक्ति भी इसमें समाविष्ट कर दें तो हम संसार की प्रथम श्रेणी की शक्तियों में गिने जा सकते हैं । हमारी वह शक्ति होने पर मलान जैसे व्यक्ति हमारे विषय में गैर-ज़िम्मेदार बातें न कर सकेंगे । यदि हम अपनी रक्षा के लिये तैयार हो जायें, तो विश्व में हमारा ऊंचा स्थान होगा ।

इसलिये मैं मंत्रालय से निवेदन करता हूं कि इसे अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा सारभूत समस्या व्यवहृत करते हुये इसे उतनी ही महत्ता दे जितनी कि पंचवर्षीय योजना में किसी भी मद्द को दी गई है ।

प्रो० अग्रवाल (वर्धा) : इस विषय पर बोलने की मुझे आवश्यकता नहीं थी लेकिन मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ कि अधिकतर जो व्याख्यान हुये वे इस प्रस्ताव के पक्ष में थे ।

यह तो हम सभी समझते हैं कि शारीरिक शिक्षण या फ़िज़िकल ट्रेनिंग हमारे देश के लिये बहुत आवश्यक है और आज जो हमारे नवयुवकों की और हमारे विद्यार्थियों की हालत है उससे सभी को दुःख है । लेकिन फ़िज़िकल ट्रेनिंग एक बात है और कम्पलसरी मिलिटरी ट्रेनिंग दूसरी बात है । फ़िज़िकल ट्रेनिंग का अर्थ यह है कि विद्यार्थियों में समाज सेवा का शिक्षण हो कम्पलसरी सोशल सरविस (अनिवार्य समाज सेवा) हो और हर एक विद्यार्थी डिग्री लेने के पहले गांवों में जाय या शहरों में परिश्रम करे अपने देश को बनाने के लिये, उठाने के लिये । इस प्रकार उसके चरित्र का निर्माण हो, कैरेक्टर बिल्डिंग हो, इसके लिये हम सब एक मत हैं । लेकिन डिसिप्लिन आना, शारीरिक शिक्षण होना, समाज सेवा करना, परिश्रम करना एक बात है, लेकिन देश में एक मिलिटरी ट्रेनिंग का फौजी वातावरण बनाना बिल्कुल दूसरी बात है । इसमें गांधी जी का नाम लेना या हिंसा और अहिंसा का नाम लेना भी मैं बहुत उचित नहीं समझता । गांधी जी ही क्या, आज अगर हम मानव दृष्टि से देखें, ह्यूमेनिज्म की दृष्टि से देखें तो कोई देश मिलिटरिज्म या मिलिटरी ट्रेनिंग को ला कर लड़ाई का वातावरण बढ़ाने के लिये नहीं कहेगा, कोई नहीं कहेगा कि हम को उसे प्रोत्साहन देना चाहिये। हमारे देश में भी आज डिफेंस (प्रतिरक्षा) पर काफ़ी रुपया खर्च होता है । खैर हम उसके विरुद्ध कुछ नहीं कहना चाहते। कितना भी हम अहिंसा में विश्वास करें जब तक हम उसके एवज़ में धीरे धीरे दूसरी चीज़ नहीं लाते तब तक हम अचानक उसके खिलाफ़ नहीं बोल सकते । लेकिन यह तो हमारी नीति है और किसी भी देश की होगी कि डिफ़ेंस पर हम धीरे धीरे कम खर्च करें । आज हम देखते हैं कि रूस जैसा देश भी अपना डिफ़ेंस पर खर्च कम कर रहा है और अमरीका जैसा देश भी डिफ़ेंस पर अपना खर्च कम करने की कोशिश कर रहा है । फिर आज हम यह कोशिश करें कि इस पर खर्च बढ़ावें, क्योंकि मिलिटरी ट्रेनिंग बढ़ेगी तो उस पर खर्च बढ़ेगा ही । इसमें बन्दूक चलाने पर और

दूसरी चीज़ों पर जैसे कि एन० सी० सी० में होता है खर्च करना पड़ेगा । तो यह खर्च बढ़ाने की चीज़ है और इसके बजाय शारीरिक शिक्षण के और मज़बूती और श्रम का वातावरण बढ़ाने के हम अपने देश में एक लड़ाई की फ़िज़ा (वातावरण) पैदा करेंगे । मेरा निवेदन है कि यह उचित नहीं है । इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस तरह से यह प्रस्ताव रखा गया है उसका हम समर्थन नहीं कर सकते । उसके एवज़ में अगर फ़िज़िकल ट्रेनिंग पर आप ज़ोर दें, सोशल कान्सक्रिप्शन (समाज सेवा के लिये अनिवार्य भर्ती) पर ज़ोर दें तो हम ज़रूर एक राय से उसका समर्थन कर सकते हैं । मैं आशा करता हूं कि इसी दृष्टि से इस प्रस्ताव पर विचार होगा ।

डा० एस० एन० सिंह (सारन पूर्व) : विश्व की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ऐसे संकल्प का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक ही है । जब हमारे देश का नवयुवक विदेशी नवयुवक से अपनी तुलना करता है तो उसे अपने आप में कुछ कमी का अनुभव होता है । इस कमी के लिये कौन जिम्मेदार है ? वह नवयुवक नहीं, क्योंकि उसमें तो उत्साह है पर उसके उत्साह का किसी ने लाभ नहीं उठाया है । उसके उत्साह का उचित रूप से प्रयोग नहीं किया गया है । उसे प्रशिक्षित नहीं किया गया है । सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् वह भी एक आदर्श नागरिक बन सकता है । यदि उसे सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है तो वह भी अन्य देशों के नवयुवकों की तरह समय पड़ने पर अपने प्रशिक्षण से लाभ उठा सकता है ।

हमें खर्च के सम्बन्ध में कठिनाई का सामना करना पड़ता है । परन्तु मैं तो चाहता हूं कि आप इस सम्बन्ध में विदेशों से सबक़ लें । स्वीटज़रलैण्ड को ही ले लीजिये । उनके यहां राष्ट्रीय रक्षा दल है । समस्त देश की रक्षा का भार इसी दल पर है । यदि हम अपने देश में लड़कों को ट्रेनिंग दें तो हम भी ऐसा दल बना सकते हैं । स्वीटज़रलैण्ड में सैनिक शिक्षा अनिवार्य है । जो विद्यार्थी इसमें भाग नहीं लेता है उसे सरकार को एक प्रकार का कर देना होता है । हम भी अपने स्कूलों और कालेजों में ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं ? देखा जाये तो यह धन का सवाल नहीं है यह तो देश के नवयुवकों के उत्साह को उचित प्रणाली में नियंत्रित करने का सवाल है । यदि आप उन्हें सैनिक शिक्षा नहीं देते हैं तो वे यह नहीं जान पाते कि वे अपने उत्साह को किस ओर ले जायें । अब समय आ गया है जब हमारे नवयुवकों को सैनिक शिक्षा दी ही जानी चाहिये ।

मैं संकल्प का समर्थन करता हूं ।

कुमारी एनी मस्करीन (त्रिवेन्द्रम) : देश के राष्ट्रीय चरित्र-निर्माण के लिये माननीय सदस्य ने जो संकल्प रखा है मैं उसका समर्थन करती हूं । हम संकल्प का इसलिये समर्थन कर रहे हैं जिससे भविष्य में हमें संगठित समाज मिल सके, हमें देश का प्रशासन चलाने के लिये प्रशासक मिल सकें और यदि आवश्यकता पड़े तो संकटकाल में देश की रक्षा करने के लिये प्रशिक्षित सैनिक प्राप्त हो सकें । हमारी शिक्षा का मूल आधार अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण होना चाहिये । अभी एक माननीय सदस्य ने इसका विरोध किया है । उनके विचार में सैनिक प्रशिक्षण से कालेज और स्कूलों में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां विध्वंसकारी कार्यवाहियों में भाग लेने लगेंगे । परन्तु इस संकल्प का उद्देश्य लड़के लड़कियों को विध्वंसकारी कार्यवाहियों के लिये तैयार करना नहीं है बल्कि देश के नवयुवकों को आदर्श नागरिक बनाना है जिनमें नैतिक और शारीरिक बल हो, जो समय आने पर देश की रक्षा कर सकें ।

[कुमारी एनी मस्करीन]

यदि इस संकल्प का विरोध किया जा सकता है तो वह केवल एक आधार पर कि इसे कार्यान्वित करने के लिये धन नहीं है। परन्तु वित्त मंत्रालय हमेशा ही इस प्रकार की दलीलें देता रहा है।

क्या आप नहीं चाहते कि आपके लड़के लड़कियां हथियार चलाना सीखें जिससे संकट के समय वे देश की रक्षा कर सकें ? क्या आप चाहते हैं कि जब संकट आये तो हम सोते पाये जायें ? क्या आप नहीं चाहते कि वे समाज के आदर्श अंग बनें ?

मैं चाहती हूं कि इस संकल्प को कार्यान्वित करने में लिंग का भेद न किया जाये। स्कूल और कालेजों में पढ़ने वाले न केवल लड़कों को बल्कि लड़कियों को भी सैनिक प्रशिक्षण दिया जाये। मैं आपको विश्वास दिला सकती हूं कि यदि लड़कियों के प्रशिक्षण का अलग प्रबन्ध कर दिया जाये तो वे लड़कों से कहीं आगे निकल सकती हैं।

मैं संकल्प का समर्थन करती हूं।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) : मैं इस संकल्प का इसलिये विरोध करता हूं कि यदि इसे स्वीकार कर लिया गया तो लड़कियों को भी अनिवार्य रूप से सैनिक प्रशिक्षण दिया जायेगा। मेरे विचार में हमारी भारतीय महिलाओं में पहले ही से काफी सैनिक भावना फैली हुई है और यदि उन्हें स्कूलों में भी सैनिक शिक्षा दी गई तो न जाने हमारा क्या हाल होगा। जब हमारी लोकप्रिय सरकार कार्य कर रही है तो हमें घबराने की क्या आवश्यकता है। वह हमारी रक्षा का प्रबन्ध करेगी ही। मैं अब और झांसी की रानियों को नहीं चाहता हूं। देश में इस समय काफी पुरुष हैं जो देश की रक्षा कर सकते हैं। हमें महिलाओं को सैनिक प्रशिक्षण देने की आवश्यकता नहीं है। आजकल के मध्यमवर्ग की हालत काफी खराब है। वे अपने बच्चों को साधारण शिक्षा तक तो दे नहीं पाते हैं फिर सैनिक शिक्षा के लिये पैसा कहां से लायेंगे। जब पेट भर खाने को ही नहीं मिलता तो सैनिक शिक्षा कहां से होगी। जब पेट ही भरा न होगा तो प्रशिक्षण कैसे प्राप्त किया जा सकता है। फिर, सरकार के पास इसे कार्यान्वित करने के लिये पर्याप्त धन भी तो नहीं है।

हम प्रादेशिक सेना बना चुके हैं। उसी का विस्तार क्यों न किया जाये। इस प्रकार लोगों की बेकारी भी दूर हो सकेगी। कालेज और स्कूलों में सैनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करने से तो बेकारी और भी बढ़ेगी।

प्रस्तावक ने इसमें आयु का कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया है। क्या आप उन नवयुवतियों को सैनिक प्रशिक्षण देने की बात कर रहे हैं जिनके माता-पिता उनके हाथ पीले करने की खोज में लगे हुए हैं ? इस तरह तो आप उनकी परेशानी और भी बढ़ा देंगे। मेरे विचार में सैनिक प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं होना चाहिये। इसके लिये आयु-सीमा निर्धारित होनी चाहिये। मेरे विचार में यह संकल्प बिल्कुल बेकार है। इससे तो यह कहीं अच्छा होगा कि हम रक्षा मंत्रालय को और अधिक धन दें जिससे वह वैज्ञानिक अनुसंधान कर सके तथा अणु बम जैसी वस्तुओं का निर्माण कर सके। मैं चाहता हूं कि आप ऐसा केवल हमें हमारी महिलाओं का शारीरिक बल दिखलाने के लिये नहीं करेंगे।

श्री भागवत झा (पूर्निया व संथाल परगना) : चेअरमैन साहब, मैं हिन्दुस्तान के स्कूल और कालेजों में पढ़ने वाले करीब करीब ५४ लाख विद्यार्थियों की ओर से इस प्रस्ताव को इस हाउस में लाने वाले डाक्टर राम सुभग सिंह को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रस्ताव को रक्खा।

अभी अभी मेरे बोलने से पहले ही हाउस के एक बहुत बुजुर्ग मेम्बर बोल चुके हैं। पर उन के विचार को सुनने के बाद मैं इस बात को नहीं समझ पाया कि वह सचमुच इस प्रस्ताव के विरोध में हैं या सिर्फ इस प्रस्ताव के उस भाग के विरोध में हैं जिस का सम्बन्ध लड़कियों को मिलिटरी (सैनिक) शिक्षा देने से है। अगर इस हाउस के इतने बुजुर्ग मेम्बर इस प्रस्ताव के विरुद्ध हैं कि हिन्दुस्तान के विद्यार्थियों को जो स्कूल और कालेज में पढ़ते हैं उन को मिलिटरी शिक्षा न दी जाय, तो भगवान ही इस देश का कल्याण करे। क्योंकि आज स्कूलों और कालेजों में विद्यार्थियों की जो अवस्था है उस की ओर अगर हम देखें तो हम इसी सिद्धान्त पर पहुंच जायेंगे कि उन लोगों को यह शिक्षा देनी ही चाहिये। मैं इस सदन में यह बात मान कर आया था कि इस प्रस्ताव के सिद्धान्त के सम्बन्ध में तो किसी को भी आपत्ति नहीं होगी, हां, आपत्ति अगर होगी तो इस पर होगी कि इस को किस तरह से काम में लाया जाय। शायद इस के आर्थिक प्रश्न को लेकर कठिनाई अनुभव की जाय और सरकार इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहे कि उस के पास पैसा नहीं है, और यह कि इस के लिये पैसा कहां से लाया जाय। लेकिन इस हाउस में आ कर के इतने बड़े बुजुर्ग मेम्बर, इतने बड़े पालियामेन्टेरियन अगर इस को सोचें और इस को चुनौती दें तो मैं उन से कहूंगा कि आप फिर जरा अपने पुराने स्कूल और कालेज में चलिये। मैं आज से दो साल पहले अपने कालेज से निकला हूं। उस वक्त जब मैं स्टूडेंट्स आर्गेनाइजेशन (विद्यार्थी संघ) का सभापति था तो हम लोगों का काम यह था कि हम विद्यार्थियों की मुख्तलिफ पार्टियों के राईट्स का सेफगार्ड करें (अधिकारों का संरक्षण करें) लेकिन आज स्टूडेन्ट्स की संस्थाओं का काम यह रह गया है कि वह शिक्षकों और प्रौफेसर्स के राइट्स को सेफ़गार्ड करें। आज हालत यह है कि अगर स्कूल और कालेज में कोई अनुचित काम किया जाय और विद्यार्थियों पर उस के लिये अनुशासन की कार्रवाई की जाय तो प्रोफेसरों पर डंडे पड़ते हैं। अगर कोई गलत कदम उठाया जाता है तो स्ट्राइक किया जाता है और प्रोसेशन निकाले जाते हैं। मैं स्वयं स्ट्राइक और प्रोसेशनों के विरुद्ध नहीं हूं। मैं और मेरे साथियों ने भी सौ सवा सौ स्ट्राइक्स लीड किये (हड़तालों का नेतृत्व किया) हैं। लेकिन आज की स्थिति में यह रोकना पड़ेगा और उन के अन्दर ऐसी शिक्षा का प्रसार करना पड़ेगा जिस शिक्षा के जरिये हम उन के अन्दर सन्तुलन ला सकें और अनुशासन ला सकें, जिस को फैला कर हम उन के दिमाग को उस रास्ते पर ले जा सकें जो कान्स्ट्रक्टिव (रचनात्मक) हो। जो उन के विकास में सहायक हो। आज हर स्कूल और कालेज में अवस्था यह है कि कहीं पर कोई रचनात्मक प्रोग्राम नहीं है। आप कहते हैं कि यह शिक्षा कम्पलसरी क्यों की जाय, आप कहते हैं कि इस को वालन्टरी कर दिया जाय। मैं कहता हूं कि न यहां कम्पलसरी का प्रश्न है और न वालन्टरी का प्रश्न है। मैं कहता हूं कि आप स्कूलों में विद्यार्थियों को भूगोल पढ़ाते हैं, आप ज्यामिति पढ़ाते हैं, लेकिन बाहर निकल कर वह उस से क्या लाभ उठाते हैं। आप इतिहास पढ़ाते हैं, शेरशाह, अकबर और औरंगजेब की कहानी पढ़ कर प्रैक्टिकल लाइफ में वह इस से क्या लाभ उठाते हैं? आप उसे ज्यामिति पढ़ाते हैं, अरिथमेटिक पढ़ाते हैं, उस की प्रैक्टिकल लाइफ में इस से क्या लाभ होता है। आप ने भिन्न भिन्न विषय इस लिये रक्खे हैं कि वह उन को पढ़ कर एक ऐसी जगह पहुंच जाय कि विद्यार्थी जीवन से निकल कर वह अपने जीवन का विकास कर सके। मिलिटरी ट्रेनिंग को इन्ट्रोड्यूस (जारी) कर के आप सिर्फ एक आपशनल (ऐच्छिक) विषय नहीं बल्कि कम्पलसरी अर्थात् अनिवार्य विषय और जोड़ रहे हैं। जिस प्रकार से आप विद्यार्थियों का भूगोल, इतिहास, ज्यामिति,

[श्री भागवत झा]

अरिथमेटिक का पढ़ाना ज़रूरी समझते हैं उसी प्रकार से उन के विकास के लिये आप को उन को मिलिटरी ट्रेनिंग भी देनी चाहिये। यह प्रश्न कहां उठता है, सिद्धान्त के नाम पर, कि मिलिटरी ट्रेनिंग कम्पल्सरी हो, आपशनल हो या वालेन्टरी हो। प्रश्न तो सिर्फ यह आता है कि क्या विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिये, जिस प्रकार आप उन को और सब्जेक्ट्स की शिक्षा देते हैं, उस प्रकार क्या उन को मिलिटरी शिक्षा दी जाय। अगर इस का विरोध किया जाय डिफेन्स के नाम पर, तो यह बात स्पष्ट है कि आज की लड़ाई रामायण और महाभारत की लड़ाई नहीं है, सिकन्दर और पुरु की लड़ाई नहीं है कि बगल में लड़ाई हो रही है और बगल ही में किसान अपना खेत जोत रहा है और फसल काट रहा है। आज की लड़ाई में दुश्मन सब से पहले यह कोशिश करता है कि देश का मोरेल (धैर्य) गिरा दिया जाय, उस के स्तर को गिरा दिया जाय। उस की फौज के आने के पहले वहां के आदमियों का मोरेल गिराने के लिये फिफथ कालम आता है। कलकत्ते में बम गिराने का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि उस को नष्ट कर दिया जाय, बल्कि उस का मतलब यह भी है कि वहां की स्थिति में इस प्रकार उलट पुलट हो जाय कि समूचे देश का मोरेल गिर जाय। नेपोलियन ने एक बार अपनी स्पीच में कहा था :

"Moral is to the physical as three to one." ("धैर्य का मूल्य शौर्य से तिगुना है")

यानी अगर आप देश को उन्नति के पथ पर ले जाना चाहते हैं तो आप को देश के अन्दर लोगों के मोरेल को ऊपर उठाना होगा क्योंकि युद्ध के आने के पहले, हवाई जहाज आने के पहले, बम आने के पहले, दुश्मन सब से पहले जो काम करता है वह यह कि देश के मोरेल को गिराता है। इस लिये अगर आप के पास इतना पैसा नहीं है कि आप सम्पूर्ण देश के नौजवानों को मिलिटरी शिक्षा दे सकें तो कम से कम आप यह तो कर सकते हैं कि स्कूल के पढ़ने वाले लगभग ४४ लाख विद्यार्थियों को और कालेज के पढ़ने वाले लगभग १० लाख विद्यार्थियों को मिलिटरी की शिक्षा दी जा सके। ताकि उपयुक्त अवसर पर आप उन को फील्ड (रणक्षेत्र) में ला सकें। मैं उन को फील्ड में अनिवार्य रूप से लाने के लिये नहीं कह रहा हूं, मैं समझता हूं कि हमारे डिफेन्स मिनिस्टर के पास मजबूत फौज है और मुझे विश्वास है कि यदि युद्ध का अवसर आ ही गया तो वह अपनी आर्मी भेजेंगे, लेकिन साथ साथ जब फौज लड़ती हो तो आप को और आदमियों की आवश्यकता होती है। अगर आप हर एक स्कूल और कालेज में पढ़ने वाले लड़के को मिलिटरी ट्रेनिंग देते हैं, तो आप जब चाहें उन को फौज में भर्ती कर सकते हैं। अभी अभी डिफेन्स आर्गेनाइजेशन के मिनिस्टर ने एअर फोर्स के रिक्रूटिंग आफिसर्स से कहा है :

"We go by the measurement of the chest and not by what is inside the bosom." ("हम सीने को नापते हैं साहस को नहीं देखते।")

मैं उन से कहूंगा कि चलिये स्कूल और कालेज में। वहां आप को दोनों मिल जायेंगे। चेस्ट भी मिल जायेगा और बूजम भी मिल जायेगा। अगर आप इन विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं, तो आप को इस की दिक्कत नहीं होगी। आज अपने देश में विद्यार्थियों की भिन्न भिन्न संस्थायें हैं, जब मैं स्टूडेन्ट्स फेडरेशन में काम करता था तब एक संस्था थी, लेकिन अब तो करीब पच्चीस संस्थायें हैं। अगर आप चाहें तो उन को एक स्थान पर ला सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि आप को विद्यार्थियों को मिलिटरी शिक्षा देनी ही चाहिये, जिस से

कि उन में एकता पैदा हो जाय। मैं समझता हूं कि इस सिद्धान्त के विरोध में किसी को नहीं होना चाहिये। अगर मेरे पास अवसर होता तो मैं यहां पर इस के फाइनेन्शल इम्प्लीकेशन (वित्तीय परिमाणों) पर भी कुछ कहता। पर इस समय इतना ही कहता हूं कि हमें इस के सिद्धान्त को तो तुरन्त ही मान लेना चाहिये। अब तो इस को कार्यान्वित करने की ही ज़रूरत है और यह देखा जाय कि वह कैसे हो।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री खर्डेकर (कोल्हापुर व सतारा): जब इस देश में शिक्षा का ही ढंग ठीक नहीं है तो क्या हम एक और बला सर पर लेने के लिये तैयार हो जायें? मेरे विचार में अनिवार्य सैनिक शिक्षा की अपेक्षा खेल कूद को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। उस से नवयुवकों का न केवल शारीरिक विकास होता है बल्कि उन का मस्तिष्क भी बढ़ता है। उन में न्याय्य तथा मेल जोल की भावना बढ़ती है। हम चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक दृष्टि से उन्नति करे। यदि आप प्राचीन इतिहास के पृष्ठ पलटें तो आप को मालूम हो जायेगा कि संगठन, सैनिक शिक्षा अनुशासन आदि में विश्वास करने वाले रोमन साम्राज्य का क्या हाल हुआ था। तानाशाही, युद्ध आदि को उसी ने जन्म दिया। जब कि यूनान के राजनीतिक दर्शन को आज भी गर्व का स्थान प्राप्त है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि हमारा राष्ट्र तो शान्ति का उपासक है। उसे सैनिक शिक्षा से कोई सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये। मैं नहीं जानता कि देश के बच्चों को सैनिक शिक्षा दे देने पर उन की मनोवृत्ति किस प्रकार की हो जायेगी, पर मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि हमें शान्ति, प्रेम और सहकारिता की भावना को बढ़ाना चाहिये न कि सैनिक मनोवृत्ति को।

श्री जोकीम आल्वा (कनारा): सैनिक प्रशिक्षण का विषय रक्षा प्राक्कलनों से कहीं महत्वपूर्ण है, इसलिये मेरा सुझाव है, कि इस विषय को हमेशा के लिये तय कर दिया जाये। अतएव, मेरा निवेदन है कि चर्चा का समय एक घन्टे से बढ़ा कर दो घन्टे कर दिया जाये।

श्री त्यागी: मैं ने सोचा था कि बहस समाप्त करने का सुझाव शिक्षा मंत्रालय द्वारा उठाया जायेगा। हमारे उपमंत्री तो केवल बीच बीच में बोल देते हैं।

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): आज सदन में दिए गए भाषणों को मैं ने ध्यान और आदर के साथ सुना है। वस्तुतः मैं ने यह आशा न की थी कि यह चर्चा इतनी सजीव हो जाएगी और माननीय सदस्यगण इस में इतनी अभिरुचि दिखलायेंगे। सर्वप्रथम हमें इस संकल्प के उद्देश्य के विषय में स्पष्ट होना चाहिए। प्रस्तावक ने सैन्य-प्रशिक्षण के चरित्र-निर्माण वाले अंग पर ही विशेष बल दिया है। उन्हों ने सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि सैन्य-प्रशिक्षण चरित्र-निर्माण, में और स्वास्थ्य के सुधारने में सहायक होता है। यह प्रशिक्षणार्थियों में अनुशासन की भावना भरता है और श्रम के प्रति सम्मान की भावना जगाते हुए स्वावलंबन की प्रेरणा देता है। अन्य माननीय सदस्यों ने देश के युवकों में सैन्य-गुणों के विकास की चर्चा की है। उन का कथन है कि प्रतिरक्षा की दृष्टि से सैन्य प्रशिक्षण परमावश्यक है। इन दो बातों में परस्पर बहुत अंतर है।

संकल्प के प्रस्तावक अनिवार्य सैन्य-प्रशिक्षण के फलस्वरूप विकसित होने वाले सैन्य गुणों पर विशेष ध्यान देते हुए प्रतीत नहीं होते। उन का उद्देश्य बिलकुल दूसरा है। उन के दृष्टिकोण के साथ मेरी पूरी-पूरी

[श्री सतीश चन्द्र]

सहानुभूति है। यह परमावश्यक है कि हमारे युवकों को आज ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त हो, जो उन को अनुशासनपूर्ण नागरिक बना दे और उन में रचनात्मक भावना भर दे। इस से उन में अपना काम स्वयं अपने हाथ से करने की भावना आ जाएगी और उन का स्वास्थ्य भी सुधरेगा। इस पहलू के विवादहीन होने के कारण इस में किसी को भी कोई आपत्ति न होगी। इसे ध्यान में रखते हुए मेरा विचार है कि हमारे देश के युवकों को सैन्य प्रशिक्षण देने के लिए अधिकाधिक सुविधाएं और सहायता प्रदान की जानी चाहिएं।

परन्तु जहां तक प्रतिरक्षा वाले पहलू का सम्बन्ध है, मैं कहूंगा कि वह एक सर्वथा पृथक् बात है। अनेक माननीय सदस्यों ने सैन्य-प्रशिक्षण के अनिवार्य बनाए जाने का विरोध किया है। अनेक कारणों से उन का विचार है कि सभी युवकों और युवतियों को नियमित सैन्य-प्रशिक्षण प्रदान करना उचित नहीं है। मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि प्रस्तुत संकल्प के प्रसंग में यह विशेष संगत भी नहीं है। मेरे द्वारा उस विषय के उठाए जाने का अर्थ होगा कि अपनी सेना, नौसेना और वायु सेना के कार्यों, अपनी प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं, आक्रमण का प्रतिरोध करने में अपनी क्षमता की सीमाओं और भविष्य के लिए वांछित तय्यारियों के सम्बन्ध में एक चर्चा छिड़ जाएगी। मेरे विचार से ऐसी चर्चा न तो प्रस्तुत संकल्प के क्षेत्र में ही आती है, और न संभवतः प्रस्तावक को ही यह अभिप्रेत है कि इसे यहां पर छेड़ा जाए।

सैन्य-प्रशिक्षण कई रूपों में दिया जा रहा है। कुछ माननीय सदस्यों का यह मन्तव्य ठीक ही है कि इन सुविधाओं को बढ़ाया जाए, जिस से भविष्य में अधिकाधिक युवक-युवतियां इसे प्राप्त कर सकें। पर जब हम सैन्य-प्रशिक्षण की बात करते हैं, तो मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि इस समस्या की विशालता की ओर भी ध्यान दें। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमें एक दो करोड़ रुपयों की बचत कर के इस योजना को रोक न देना चाहिए। उन को यह बतलाने के लिए कि यह करोड़ दो करोड़ की बात नहीं है, मेरे विचार से उन को कुछ तथ्य और आंकड़े बता देना उपयुक्त होगा। राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल में आजकल ८२,००० लड़के लड़कियां हैं, और केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा उस पर किया जाने वाला मिला जुला व्यय लगभग एक करोड़ नब्बे लाख रुपए होता है। १५ वर्ष से अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार लगभग बीस-पचीस लाख है अर्थात् वह आज छात्र सैनिक दल में सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का लगभग ३० गुना है। यदि हम सैन्य प्रशिक्षण को १५ वर्ष से अधिक आयु वाले छात्रों तक ही सीमित रखें, तो भी प्रति वर्ष लगभग ६०–७० करोड़ रुपयों का अतिरिक्त व्यय होगा। फिर राष्ट्रीय छात्रसैनिक दल में दिया जाने वाला प्रशिक्षण पूरा-पूरा प्रशिक्षण न हो कर प्रारम्भिक प्रशिक्षण ही है। यदि हम अपने स्कूलों और कालेजों के १५ वर्ष से अधिक आयु वाले सभी छात्रों को राष्ट्रीय छात्र सैनिक दल की योजना में समेटने का निश्चय करें, तो क्या हम ७० करोड़ रुपयों की अतिरिक्त राशि व्यय कर सकेंगे? यह एक विशाल राशि है। एक माननीय सदस्य के लिए यह कहना सरल है कि हम दामोदर घाटी पर १०० करोड़ रुपए व्यय कर रहे हैं तो हम इस पर व्यय क्यों न करें? पर दामोदर घाटी पर व्यय होने वाले १०० करोड़ रुपए अंतिम व्यय है, वह आवर्ती व्यय नहीं है, वह एक उत्पादक पूंजी व्यय है। (**अन्तर्बाधाएं**) फिर यदि हम

१५ वर्ष से कम आयु वाले छात्रों को भी लें, तो हायर सेकेंडरी स्कूलों और कालेजों के छात्रों की संख्या लगभग ४० लाख तक पहुंच जाएगी, यद्यपि इस में प्रायमरी स्कूल, व्यावसायिक और प्राविधिक संस्थाएं आदि सम्मिलित नहीं हैं। यदि इस संकल्प को स्वीकार कर के कार्यान्वित किया जाए तो हमें प्रति वर्ष १०० करोड़ रुपए से भी अधिक व्यय करने पड़ेंगे।

फिर कुछ माननीय मित्रों ने प्रादेशिक सेना के विस्तार और वयस्कों को सैन्य-प्रशिक्षण देने की आवश्यकता की भी चर्चा की है। ताजे जनसंख्या विवरण देखने से मुझे पता चला है कि १३ से २६ वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों की संख्या लगभग साढ़े नौ करोड़ है। इस संख्या को देखते ही सदन समझ जाएगा कि भारत सरकार का समूचा आयव्ययक इन सब को सैन्य-प्रशिक्षण देने के लिए पर्याप्त न होगा।

इस संकल्प का समर्थन करने वाले माननीय सदस्यों ने वित्तीय कठिनाइयों के अलावा सामग्री के उपलब्ध होने की कठिनाई नहीं समझी है। यदि सैन्य प्रशिक्षण इतने बड़े पैमाने पर दिया जाए, तो संभवतः वह समूची सैन्य सामग्री जो हमारे पास है या जो हमें प्रति वर्ष बदलनी पड़ती है, कई गुनी बढ़ानी पड़ेगी। तो एक तो यह सामग्री-विषयक कठिनाई है; दूसरे इस कार्य को संभालने योग्य पर्याप्त व्यक्ति भी नहीं है और फिर वित्त सम्बन्धी कठिनाई तो है ही। मेरा अभिप्राय यह है कि इस संकल्प के प्रस्तावक के अभीष्ट उद्देश्यों के प्रति पूर्ण सहानुभूति रखते हुए हमें निरीह भाव से यह देखना चाहिए कि सैन्य-प्रशिक्षण सम्बन्धी वर्तमान सुविधाओं का विस्तार कहां तक संभव है और वह किस रूप में किया जा सकता है।

श्री आर० के० चौधरी : यदि हम ९५–१०० करोड़ रुपए इस पर व्यय करें, तो माननीय मंत्री किस प्रतिफल की आशा करते ह ?

श्री सतीश चन्द्र : मैं श्री चौधरी से सहमत नहीं हूं कि सैन्य प्रशिक्षण पर व्यय किए गए धन से कुछ भी प्रतिफल न निकलेगा। आज बोलने वाले प्रत्येक सदस्य ने लड़के-लड़कियों के चरित्र-निर्माण और उन के स्वास्थ्य के सुधार और उन में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना भरने आदि पर बल दिया है। यदि हम वस्तुतः इस विशाल देश का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं, तो वह एक परमावश्यक गुण है।

अब प्रश्न यह है कि हम लड़के-लड़कियों को यथासंभव अधिकाधिक सैन्य प्रशिक्षण किस प्रकार से दे सकते हैं। चूंकि आजकल ८२००० छात्रों से अधिक छात्रों को प्रशिक्षण देने की दृष्टि से राष्ट्रीय छात्र-सैनिक दल का विस्तार करने में धन की कमी के कारण अड़चन पड़ रही है, हम सहायक छात्रसैनिक दल नामक एक नई योजना बना रहे हैं; गत वर्ष कुछ स्कूलों में यह प्रयोग चलाया गया था और हमें संतोष है कि इस में विकास की संभावनाएं निहित हैं। अतः इस अध्ययन-वर्ष से हम सहायक छात्र-सैनिक दल नाम से प्रसिद्ध इस प्रयोग को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। यह दल नागरिकता, प्राथमिक सहायता, सामाजिक विज्ञानों आदि का प्रशिक्षण कुछ शारीरिक परिश्रम, मार्ग-प्रस्थानों, शारीरिक व्यायामों और सामूहिक ड्रिलों आदि द्वारा प्रदान करेगा। यदि माननीय सदस्यगण कुछ सुझाव दें, तो आग-बुझाना आदि जैसी बातों को भी पाठ्यक्रम में रखा जा सकता है। इन विषयों का प्रशिक्षण लड़कों के व्यक्तित्व और चरित्र के निर्माण में बहुत सहायक होगा। ये सब पूर्ण सैन्य-प्रशिक्षण के अंग हैं। सहायक छात्र सैनिक दल एक प्रकार से असैनिक प्रतिरक्षा में प्रशिक्षण देगा और अत्यन्त

[श्री सतीश चन्द्र]

लागत वाले शस्त्रास्त्र-प्रशिक्षण को बिना दिए ही छात्रों को अपेक्षतया अच्छे नागरिक बना देगा ।

मुझे यह कहते हुए हर्ष है कि बड़ौदा रियासत अपने सभी अवर-स्नातकों को अनिवार्य सहायक-छात्रसैनिक-दल वाला प्रशिक्षण देने के लिए सहमत हो गयी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री अधिक समय लेंगे ?

श्री सतीश चन्द्र : हां, श्रीमान् ।

उपाध्यक्ष महोदय : तब वह दूसरे दिन अपना भाषण जारी रखेंगे ।

अब सदन आज सन्ध्या को ५ बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होता है ।

इस के पश्चात् सदन की बैठक पांच बजे तक के लिए स्थगित हो गई ।

सदन की बैठक पांच बजे पुनः समवेत हुई ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

कलकत्ता में सेना बुलाई जाने पर चर्चा

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ए० के० गोपालन चर्चा का श्रीगणेश करेंगे तथा चर्चा साढ़े छे बजे समाप्त होगी । अधिकाधिक सदस्यों को इस में भाग लेने का अवसर उपलब्ध करने के लिए मैं प्रत्येक भाषण की समय-सीमा दस मिनट निश्चित करता हूं ।

श्री ए० के० गोपालन (कन्नानूर) : श्रीमन्, मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया । सदन के गत सत्र के बाद कलकत्ता से तूतीकोरिन तक कई घटनाएं घटी हैं जिन की ओर हम अपनी आखें बन्द नहीं कर सकते हैं । कलकत्ता आन्दोलन जुलाई के पहले सप्ताह में शुरू हुआ तथा इसका कारण यह था कि ट्राम के भाड़े में एक पैसे की वृद्धि की गई थी । यह आन्दोलन फैलता गया तथा कलकत्ते के प्रत्येक जनसमुदाय ने इसमें भाग लिया कारण इस का स्पष्ट है कि लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि एक पैसे की बढ़ौतरी भी उनकी क्षमता से बाहर है । इस आन्दोलन को दबाने के लिए डंडा प्रहार किया गया, गोली चलाई गई तथा अन्ततोगत्वा फौज बुलाई गई । मैं जानना चाहता हूं कि गोली चलाने तथा फौज बुलाने का औचित्त क्या था ।

स्वयं डा० बी० सी० राय ने यह बताया है कि इस आन्दोलन का कारण जनता की आर्थिक दुर्दशा है जोकि बेकारी के परिणामस्वरूप और भी जटिल बन गई है । उन्हों ने इस के निवारण पर भी ज़ोर दिया है । मैं समझता हूं कि यह आन्दोलन ब्रिटिश पूंजी तथा इस के शोषण के विरुद्ध था । कम्पनी के लेखों के अनुसार इस ने १९५१ में दस लाख रुपये का शुद्ध लाभ कमाया । ६ प्रतिशत लाभांश घोषित किया गया है ऐसी दशा में किराया बढ़ाने का औचित्य क्या था ?

दुर्भाग्यवश आज हमारे देश में मामूली गड़गड़ भी प्रचंड रूप धारण करती है कारण तो स्पष्ट ही है । चारों ओर उद्योग धन्धे बंद हो रहे हैं और बेकारी उत्तरोत्तर बढ़ रही है । गत तीन दिन से हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि रेशम उद्योग, नारियल जटा उद्योग तथा हथकर्घा उद्योग किस तरह से एक के बाद एक बन्द हो रहे हैं । जनता में निराशा तथा असंतोष बढ़ रहा है । इस का निवारण धर्य्य तथा कार्यचातुर्य से ही हो सकता है, न कि शासकीय दमन से ?

दूसरा महत्वपूर्ण मामला यह है कि सुरक्षा नियंत्रण पुलिस जो कि मेरे विचार में केन्द्र के नियंत्रण में है, आन्दोलन को दबाने के लिए प्रयोग में लाई गई। प्राप्त समाचारों के अनुसार सम्वाददाताओं पर प्रहार करने के लिए यही पुलिस ज़िम्मेदार थी । बताया जाता है कि इस पुलिस ने जान बूझ कर सम्वाददाताओं पर आक्रमण किया। पत्रकारों अथवा सम्वाददाताओं पर आक्रमण न केवल समाचारपत्रों के लिए एक चुनौती है अपितु लोकतंत्र के लिए भी एक चुनौती है । यह सभ्यता तथा न्याय के लिए एक चुनौती है। इस से सरकार न केवल देश में अपितु देश से बाहर भी बदनाम हुई है। स्वयं प्रधान मंत्री तथा उन के साथ साथ सारे लोगों को इस पर खेद हुआ। यह एक गम्भीर मामला है, इस की जांच की जानी चाहिये और इस के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों तथा अधिकारियों को दंड मिलना चाहिये जिस से कि भविष्य में ऐसा न होने पाये ।

मैं केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इस सम्बन्ध में गम्भीर कार्यवाही की जाये तथा राज्य सरकारों को मशवरा दिया जाये कि वह मामूली घटनाओं के लिए लाठी, गोली तथा सेना का आश्रय न लिया करें। मैं सरकार को यह भी चेतावनी देना चाहता हूं कि वह अपनी आर्थिक तथा दमनात्मक नीति को बदल दें ताकि दुबारा ऐसी घटनाएं न होने पायें ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : मैं उस दिन कलकत्ते में ही था जिस दिन कि सेना बुलाई गई थी। यह कहना ठीक न होगा कि सेना वास्तव में आन्दोलन को दबाने के लिए नहीं बुलाई गई। इस सम्बन्ध में समाचार-पत्र "स्टेट्समैन" जोकि शान्ति तथा व्यवस्था का अग्रगामी समझा जाता है हमारे कथन का समथन करता है। इस के एक समाचार के अनुसार पश्चिमी बंगाल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद एक मंत्री ने सम्वाददाताओं को बताया कि 'ताकत का जवाब ताकत से दिया जायगा।' तो सेना बुलाई गई जो कि एक बुरी बात थी।

एक माननीय सदस्य : इस में क्या बुराई है ?

श्री एन० सी० चटर्जी : इस का यह मतलब लिया गया कि सेना जनता को भयभीत करने के लिए बुलाई जा रही है। उस हद तक नगर में कोई उपद्रव नहीं मचा था । केवल कहीं कहीं हिंसात्मक गतिविधियां जारी थीं।

स्थिति के और अधिक बिगड़ने का कारण यह था कि राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष ने घोषणा की कि कांग्रेस हड़ताल तोड़ने जा रही है। उन्हों ने इस उद्देश्य के लिए पांच सौ व्यक्ति नियुक्त किये। इसी एक बात ने सारा मामला बिगाड़ दिया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सेना इसलिये बुलाई गई क्योंकि कांग्रेस तथा कांग्रेस सरकार को इस हड़ताल की पूर्ण सफलता के कारण मुंह की खानी पड़ी।

मेरे माननीय मित्र ने सम्वाददाताओं पर प्रहार का उल्लेख किया। इस पर जनता का प्रत्येक समुदाय खेद प्रकट कर रहा है। इस मामले की तह में भी कोई विशेष बात है। हम ने कलकत्ता हाई कोर्ट के भूतपूर्व जज डा० राधा विनोद पाल की अध्यक्षता में बीच बचाव कराने के लिए एक नागरिक समिति नियुक्त की थी। उन्हों ने सत्याग्रह समिति से अपील की कि वह शान्ति तथा व्यवस्था स्थापित करने में सहायता दें। सत्याग्रह समिति ने इस सम्बन्ध में सरकार के साथ एक संयुक्त सम्मेलन में भाग लेने पर कोई आपत्ति न की। हम ने दूसरी ओर कार्यवाहक मुख्य मंत्री श्री सेन तथा वहां के गृह मंत्री से भी एक सम्मेलन बुलवाने के लिए अपील की।

[श्री एन० सी० चटर्जी]

हम ने देखा कि यदि प्रतिष्ठा का सवाल बीच में न लाया गया तो दोनों पक्षों में समझौता हो सकता है। श्री सेन तथा गृह मंत्री ने हमारा सुझाव मान लिया। सरकार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए हम ने उन की यह बात मान ली कि गोया वह हमारी प्रार्थना पर ही यह सम्मेलन बुला रहे हैं। इस सम्बन्ध में तैयारी बिल्कुल मुकम्मल हुई। सत्याग्रह समिति के सदस्यों को सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया। किन्तु आखिरी वक्त कार्यवाहक मुख्य मंत्री ने डा० पाल को टेलफोन पर बताया कि वह अब सम्मेलन नहीं करेंगे। इतने में ही किसी ने यह भी फैसला किया कि पत्रकारों तथा सम्वाददाताओं को सबक देना चाहिये क्योंकि उन का व्यवहार ठीक नहीं है। सम्वाददाताओं पर प्रहार होने से स्थिति जो कि सुधर रही थी और भी खराब हुई। यदि डा० राय वहां होते तो वह अपने साहस तथा अपनी दूरदर्शिता से स्थिति को बिगड़ने नहीं देते किन्तु उन की अनुपस्थिति में कोई यह काम नहीं कर सका।

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि सेना क्यों बुलाई गई क्या मामला नागरिक प्रशासकों के हाथ से निकल गया था? क्या स्थिति वास्तव में इतनी खराब थी? हमें अफसोस है कि गोली चलाई गई है। दोनों पक्षों की ओर से जो हिंसा हुई है, हम उस की निन्दा करते हैं। परन्तु सब से अधिक खेदजनक जो बात है वह यह है कि कई दिन तथा कई रात तक शरणार्थी बस्तियों पर छापे मारे गए। लोगों की मार पीट की गई। श्रीमती लीला राय ने मुझे तथा नागरिक समिति के अन्य सदस्यों को बताया कि दिन रात दस दस बारह बारह घंटों तक पुलिस ने तलाशियां लीं पुरुषों तथा स्त्रियों पर अत्याचार ढाए गये। यह बहुत ही अफसोसनाक बात हैं। यदि भारत सरकार न कुछ समय पहले ही इस मामले में हस्तक्षप किया होता तो शायद इन बातों की नौबत नहीं आती।

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : चूंकि दो माननीय सदस्यों ने कलकत्ता में होने वाली घटनाओं में सेना के बाहर आने और गोली चलाने तथा स्त्रियों व शरणार्थियों के साथ दुर्व्यवहार करने को मिला दिया है; मैं इसे पूर्णतया स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह सेना का प्रातः तथा सायं काल का प्रयाण था।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : उस का क्या समय है?

श्री त्यागी : मैं यह बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहता हूं कि यह गोली चलाने की घटना यदि कलकत्ते के किसी भी भाग में हुई है, तो सेना द्वारा नहीं हुई। सेना ने एक कारतूस तक नहीं चलाया। सेना के लिये गोली चलाने का कोई अवसर भी नहीं था। यदि कहीं गोली चलाने की नौबत आई भी होगी, तो किसी अन्य भाग में ऐसा हुआ होगा, सेना द्वारा नहीं। मैं यह स्पष्ट बताना चाहता हूं।

ऐसी परिस्थितियों में सेना की स्थिति विषम हो जाती है। हो सकता है कि मेरे मित्र यह जानते हों किन्तु सदन के हित के लिये मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय दण्ड क्रिया विधि संहिता की दो धारायें १३० तथा १३१ ऐसी धारायें हैं जहां प्रश्न यह है कि कोई मजिस्ट्रेट किसी भी उपलब्ध सेना के पदाधिकारी तथा उस की सेना को अपनी सहायता के लिये बुला सकता है और उस पदाधिकारी के लिये मजिस्ट्रेट की आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है। सेना की यह स्थिति है।

वर्तमान मामले में, सेना को भीड़ के तितर-बितर करने के लिये नहीं बुलाया गया था। उन्होंने सेना को केवल अपनी सहायता के लिये बुलवाया था। परिस्थिति वास्तव में इतनी खराब न थी जितनी कि मेरे मित्र बताते हैं। सम्पूर्ण कलकत्ता इतनी सरगर्मी में न था कि जिस से कोई हिंसक परिस्थिति उत्पन्न हो सकती। वे व्यक्ति केवल थोड़े ही रहे होंगे जो हिंसात्मक कार्य कर रहे हों, यदि कोई हिंसा हुई हो तो। मैं ने कोई ऐसी बातें नहीं देखीं और न कोई ऐसी मुझे व्यक्तिगत जानकारी ही है। मेरी जानकारी का माध्यम भी वही है जैसा कि मेरे बहुत से उन मित्रों का है, जिन्होंने अखबारों में समाचार पढ़े हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सारे ही लोग हिंसक न थे। स्वभावतः शांति-प्रिय लोगों की संख्या भी काफी रही होगी। वे भी भयभीत हो गए थे क्योंकि जब उन्हों ने यह देखा कि हर जगह ट्राम खतरे में है, तो उन का बाहर निकलना भी खतरे में है, स्वभावतः वे राज्य की ओर से किसी न किसी प्रकार की सुरक्षा पाने के पूर्ण अधिकारी थे। और सेना कलकत्ते की गलियों में चारों ओर निर्बाध गति से ध्वज-प्रयाण कर रही थी। मुझे पूर्ण निश्चय है कि इस ने ही शांति-प्रिय लोगों के मस्तिष्कों में कुछ विश्वास पैदा कर लिया था।

श्री एन० सी० चटर्जी : बिलकुल विपरीत।

श्री त्यागी : वहां भय का कोई कारण नहीं था, और ये लोग केवल शान्ति चाहते थे। वे शान्ति एक दिन, दो दिन या कुछ समय के लिये नहीं चाहते थे, वे शान्ति रखने के लिये लालायित थे, और केवल इन्हीं लोगों को आश्वासन तथा सुरक्षा दी गई थी। अतः यह केवल शान्ति प्रिय लोगों में विश्वास बनाये रखने की दृष्टि से किया गया था कि सेना निर्बाध गति से ध्वज-प्रयाण कर रही थी। उस से कोई भी कार्यवाही करने के लिये नहीं कहा गया था। यदि सेना ने किंचित मात्र भी किसी प्रकार से शक्ति का प्रयोग किया होता, तो मुझ से सेना की ओर से सदन द्वारा यह पूछा जा सकता था कि शक्ति का उपयोग क्यों तथा कितना किया गया था। चूंकि यह केवल सेना का प्रयाण था, और उस ने कोई कार्यवाही नहीं की, तो मैं नहीं समझता कि सेना अथवा सेना के इंचार्ज मंत्री को सदन में इस की व्याख्या करने की कोई आवश्यकता है। यदि स्थानीय अथवा अन्य किसी शक्ति द्वारा किसी प्रकार की ज्यादतियां की गईं, तो मैं चाहता हूं कि कम से कम सेना पर इन अपराधों का दोष न मढ़ा जाय। सेना ने प्रयाण करने के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं किया, और मैं सदन को विश्वास दिला सकता हूं कि सेना के प्रयाण को जिन लोगों ने देखा उस से आनन्द अनुभव किया।

श्री ए० के० दत्त (कलकत्ता दक्षिण-पश्चिम) : विचाराधीन विषय पर बोलने के लिये मुझे जो अवसर दिया गया है मैं इस के लिये आभारी हूं। श्री गोपालन ने कलकत्ता की स्थिति का वर्णन किया है परन्तु उन्होंने अपने दल की प्रथा के अनुसार वास्तविक तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा है और पुलिस के लाठी चार्ज के अत्याचारों और हताहतों की संख्या को बढ़ा चढ़ा कर कहा है, परन्तु वास्तविक स्थिति नहीं बताई। तथ्य यह है कि वहां सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाई गई। लगभग ६२ बसें नष्ट कर दी गईं। ट्राम कारों और रेल के डिब्बों को जलाया गया। एक नारी अध्यापिका को तेज़ाब के बमों द्वारा केवल इस लिए ज़खमी किया गया क्योंकि वह द्वितीय श्रेणी की ट्राम में अपने स्कूल जाना चाहती थी। द्वितीय श्रेणी के सब यात्रियों पर बम और पत्थर फेंके गए। मेरा निर्वाचन क्षेत्र वहां

[श्री ए० के० दत्त]

होने के कारण इन घटनाओं के समय में वहां उपस्थित था ।

सेना को बुलाने के सम्बन्ध में कुछ कहने से पूर्व मैं इस की कुछ पृष्ठ-भूमि बताना चाहता हूं । वहां यह बात फैलाई गई कि डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु रहस्यपूर्ण परिस्थितियों में हुई है । इस से लोगों में असन्तोष फैल गया । कलकत्ता में बेरोज़गारी की विषम समस्या भी थी । मध्य वर्ग के शिक्षित लोग बिना नौकरी के घूम रहे थे । नौकरी न मिलने से उन में निराशा फैल गई और उन्होंने भी सत्ताधारी सरकार को इस के लिए अपराधी ठहराया । बंगाल के समाचार पत्रों ने सरकार विरोधी प्रचार आरम्भ कर दिया । सम्पादक वर्ग में साम्यवादी और कांग्रेस विरोधी दल का प्रभाव हो गया ओर उन्होंने अपने स्वामियों को भयभीत कर झूठी बातें प्रकाशित कीं । उन्हों ने लिखा कि सरकार का पुलिस पर नियंत्रण नहीं रहा । सरकार को सूचना मिली कि विरोधी दलों के पास निधि की कमी के कारण आन्दोलन समाप्त हो जाएगा । परन्तु उन्होंने १६ अगस्त को "सीधी कार्यवाही" की रेखाओं पर कार्य करने की बात सोची और एक सभा के पश्चात् दुकानों को लूटने और आग लगाने का प्रयास किया । पुलिस की सजगता के कारण वे ऐसा न कर सके । तब उन्हों ने डा० बी० सी० राय के मकान पर आक्रमण कर उसे क्षति पहुंचाई । और उन्हों ने ट्राम की लाइनों और गली के लैम्पों को क्षति पहुंचानी आरम्भ कर दी । सरकार के सम्मुख अब दो विकल्प थे, एक तो दृढ़ साधनों को अपनाना और दूसरे लोगों के मन में विश्वास उत्पन्न करना । सरकार ने दूसरे साधन को अपनाया और कलकत्ता की गलियों में सेना द्वारा मार्च करवा कर लोगों को यह विश्वास दिलाया कि यदि पुलिस असफल रही तो सरकार के पास स्थिति पर क़ाबू पाने के लिये पर्याप्त शक्ति है । लोगों ने इस के लिये सरकार को धन्यवाद दिया ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : कलकत्ता जिस का मैं प्रतिनिधि हूं इतनी अस्थिर वृत्ति का नगर है जितना हमारे उदार हृदय प्रधान मंत्री । परन्तु उस के अपराधों के होते हुए भी मैं प्रार्थना करता हूं कि कलकता को गत मास की घटनाओं में जिस संकट और भयानक शक्ति का सामना करना पड़ा है उस पर हमें सहृदयता पूर्वक ध्यान देना चाहिये । कलकत्ते की स्थिति अत्यन्त गंभीर थी और पश्चिमी बंगाल की सरकार ने उसे अयोग्यता पूर्वक संभालने का प्रयत्न किया । मैं ने तथा अन्य लोगों ने भी केन्द्रीय सरकार से इस गंभीर स्थिति पर ध्यान देने के लिए प्रार्थना की । तत्पश्चात् पत्रकार संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी प्रधान मंत्री से कहा कि राज्य की सत्तारूढ़ सरकार द्वारा सार्वजनिक मांग के प्रति अनुचित व्यवहार के कारण स्थिति विषम हो गई है । कलकत्ता की घटना स्थानीय घटना नहीं है । यह घटना इतने महत्व की है कि इस सभा तथा हमारी केन्द्र की सरकार का इस के प्रति उत्तरदायित्व है ।

यूं कहने को तो विधि तथा व्यवस्था राज्य संबंधी विषय है परन्तु सेना को बुलाना केन्द्र के क्षेत्राधिकार में है । श्री त्यागी ने सेना को केवल मार्च करने, या लोगों को मारने के लिये बुलाने में भेद किया है । परन्तु सेना को बुलाने से हम पर जो वहां थे क्या प्रभाव पड़ा है ? कलकत्ता के एक गैर साम्यवादी पत्र के शीर्षक से इस का पता चल सकता है । यह मांग कि ट्राम का किराया न्यायाधिकरण के निर्णय के बिना नहीं बढ़ाना चाहिये इतनी लोक प्रिय थी कि

अन्ततः सरकार को झुकना पड़ा । सारा मामला न्यायिक निर्णय के लिये निर्देशित किया गया परन्तु फिर भी क्योंकि सरकार अंग्रेज़ी समवाय की सहायता करनी चाहती थी जैसा कि वह इस भूमि पर पलने वाले ऐसे सब समवायों के लिये करती रही है.....

डा० एम० एम० दास : श्रीमान, एक औचित्य प्रश्न है । माननीय सदस्य कलकत्ता में सेना के बुलाने पर चर्चा करते हुए पश्चिमी बंगाल ने क्या कार्यवाही की और क्या करना चाहिये थी, इस पर विस्तृत चर्चा कर रहे हैं । यह सभा के क्षेत्राधिकार से बाहर है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्योंकि सेना को बुलाना केन्द्र का विषय है इस कारण इस पर चर्चा की अनुज्ञा दी गई । माननीय सदस्य को कृपया क्रम पत्र के विषय पर आना चाहिये ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : इस परिस्थिति पर चर्चा जिस के लिये सेना बुलाई गई करना प्रासंगिक है । संविधान के अनुच्छेद २५६, २५७ तथा ३५६ में यह उपबन्ध किया गया है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल राजप्रमुख अथवा सभा के सदस्यों या अन्य व्यक्ति द्वारा सूचना प्राप्त करने पर ऐसा कार्य कर सकता है जिस के द्वारा राज्यों के स्वायत्त शासन के अधिकारों के कारण जनता को होने वाली हानि का निवारण किया जा सके । राज्यों में विधि तथा व्यवस्था स्थापित करना भी केन्द्रीय सरकार का कर्तव्य है ।

मैं जुलाई की घटनाओं पर विस्तार में नहीं कहना चाहता । परन्तु कलकत्ता में महीना भर कुछ होता रहा । १७ तारीख के पश्चात् प्रैस के कुछ सदस्यों को पीटा गया और उन के साथ दुर्व्यवहार किया गया ।

श्री जी० एच० देशपांडे: मैं एक औचित्य प्रश्न रखना चाहता हूं । यह मामला न्यायिक जांच के अधीन है । इसे चर्चा अधीन लाना अपेक्षणीय नहीं है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : यह जांच प्रकाशित किए गए फोटो के सम्बन्ध में है । जो कि मैं सदन पटल पर रख सकता हूं । जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा सारा मामला स्थगित पड़ा है और जब तक हम सामान्यतः इन सब बातों की ओर निर्देश न करें सरकार के विचार प्राप्त करना कठिन है ।

चर्चा में एक और बात उठाई गई है जिस का सरकार को उत्तर देना चाहिये । एक माननीय सदस्य ने बताया कि साम्यवादियों ने अहिंसात्मक कृत्य किए परन्तु जो घटनाएं हुईं उन से पता चलता है कि राज्य सरकार की ओर से अहिंसात्मक व्यवहार हुआ है । मृतकों की संख्या ही देखिये । तीन व्यक्ति मारे गये, परन्तु सरकार के कितने व्यक्ति मारे गए अथवा हताहत हुए ? सरकार का तो एक भी व्यक्ति नहीं मरा ।

कलकत्ता में इतना कुछ हुआ और इस मात्रा में हुआ कि प्रैस को भी कहना पड़ा कि सरकार स्थिति को संभालने में सर्वथा अयोग्य और असमर्थ रही है । हमें वह बात याद आ गई जो यूरोपिडज़ ने सहस्रों वर्ष पहले कही थी "कि देवता जिसे नष्ट करना चाहते हैं उसे पहले पागल बना देते हैं ।" इसी कारण पश्चिमी बंगाल कांग्रेस के प्रधान ने हड़ताल के विरोध में १५ जुलाई को ऐसा वक्तव्य दिया जिस के सम्बन्ध में कलकत्ता के युगांतर ने कहा कि उसमें गृह युद्ध के लिए उत्तेजना है । उस के उत्तर में जनता ने अपनी लोक प्रिय मांगों के लिये एक विस्तृत आन्दोलन का आयोजन किया ।

श्री ए० घोष : विरोधी पक्ष के कुछ सदस्यों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरा नाम लेने की कृपा की है । म

[श्री ए० घोष]

ने कभी किसी से नहीं कहा कि वह हड़ताल का विरोध करें । मैं ने तो यह कहा था कि यदि जनता तथा व्यापारियों को हड़ताल करने के लिये विवश किया जायगा तो गुण्डागिरी के विरुद्ध हर प्रकार से उन की रक्षा की जायगी । एक योग्य वकील, तथा मेरे मित्र, श्री एन० सी० चटर्जी, ने जो कुछ मेरे सम्बन्ध में कहा उसे सुन कर मुझे बड़ा खेद हुआ । मैं ने अपने कुछ मित्रों से, जिन में कुछ इस समय सदन में उपस्थित हैं, परामर्श किया था; और हम सब ने गुण्डागिरी की निन्दा की थी, विशेषकर, प्रतिरोध समिति के उस कार्य की जो हिंसा से सम्बन्ध रखता था । इस के लिये समाचार पत्रों में तथा सभाओं में मेरी निन्दा की गई है । परन्तु जब तक मैं संसद् का सदस्य हूं तथा स्वतंत्र भारत का एक स्वतंत्र नागरिक हूं मैं बराबर कहता रहूंगा कि इस महान राष्ट्र की भलाई के लिये हिंसा का विरोध किया जाना चाहिये ।

१५, १६, तथा १७ जुलाई के 'अमृत बाजार पत्रिका', 'आनन्द बाजार पत्रिका', 'युगान्तर' तथा 'हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड' को देखने से पता लगेगा कि हजारा तथा रासा रोड के भवनों में चार पांच घंटे तक बिलकुल अंधकार था कितने ही व्यक्ति हताहत हुए, एक द्वितीय वर्ग की ट्राम में जाते हुए दस महीने के एक शिशु को घायल कर दिया गया । ब्रैबोन कालिज की एक प्रमुख प्रोफ़ेसर, श्रीमती उमा नेहरू पर एक तेज़ाब का बम फेंका गया, रेलगाड़ियों का चलना बन्द कर दिया गया, यहां तक कि बच्चों की भी कोई परवाह नहीं की गई तथा उन के दुग्ध संभरण को रोक दिया गया, ९२ राजकीय बसों को आग लगा दी गई । कलकत्ते के कुछ भाग पूर्ण रूप से उन व्यक्तियों के हाथ में थे जो हिंसाकारी थे, एक वर्ग मील के क्षेत्र पर एक ऐसा शासन था, जिस का नागरिक प्रशासन से कुछ भी सम्पर्क नहीं रह गया था, कलकत्ते की एक प्रमुख दुकान, 'लक्ष्मीभण्डार', लूटी जाने वाली थी, सड़कों पर ऐसी मोर्चाबन्दी की गई थी जैसी पेरिस क्रान्ति के समय की गई थी; कलकत्ते के एक भाग की सारी बत्तियां तोड़ डाली गईं, बिलकुल अंधकार हो गया, मोटरों तथा कारों को जाने की आज्ञा नहीं दी गई; लोगों से कहा गया कि उस क्षेत्र में न आवें तथा यदि वे आवेंगे तो उन का जीवन खतरे में होगा । मैं यहां यह नहीं कह रहा हूं कि सरकार ने क्या किया, उस का रवैय्या उचित था या अनुचित, या यह कि प्रतिरोध समिति का रवैय्या उचित था या अनुचित । मैं यह नहीं जानता हूं कि विधि के अनुसार सेनाएं बुलाई जा सकती थीं या नहीं । परन्तु साधारण बुद्धि से यह कहा जा सकता है कि शान्ति भंग होने का भय था । कलकत्ते के इस महानगर में विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाने का भय था । यह परिस्थितियां १९४६ के प्रत्यक्ष विरोध की याद दिलाती थीं । प्रतिरोध समिति के आवहन का लाभ उठा कर, कुछ राजनीतिक दल कलकत्ते के जैसे महानगर के जीवन की गति को अवरुद्ध कर देना चाहते थे । मेरा विचार है कि इस संघर्ष में शान्ति प्रेमी नागरिकों का साथ दे कर सरकार ने सब से अच्छा कार्य किया । क्या ऐसी परिस्थिति में सेना को बुलाने की आवश्यकता थी या नहीं, यही सदन को निर्धारित करना है ।

श्रीमती सुचेता कृपलानी (नई दिल्ली) : मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगी क्योंकि इस विषय पर बहुत कुछ कहा जा चुका है । परन्तु मैं कुछ शब्द कहना चाहती हूं क्योंकि जब यह घटना हो रही थी तो मैं कुछ दिनों के लिये कलकत्ते में ही थी । जिस प्रकार इस अवसर पर सरकार ने व्यवहार किया

उसे देख कर बड़ा दुख होता है, यदि हमारी हालत यही रही तो हम कितने दिन शासन की बागडोर संभाल सकेंगे ।

सारी परिस्थिति को समझने के लिये इस विवाद के स्वल्प क्षेत्र तक अपने को सीमित रखना कठिन है । ट्रामवे के भाड़े में एक पैसे की वृद्धि की गई थी जिस पर कलकत्ते में बहुत भारी आन्दोलन खड़ा हो गया । इस का कारण यह था कि जनता को सरकार से असंख्य शिकायतें थीं तथा उन का पुराना रोष जो धीरे धीरे बढ़ रहा था उसे एक दम से फूट निकलने का अवसर मिला ।

उस ओर के कुछ सदस्यों ने कहा है कि सारे समाचार-पत्रों में कम्युनिस्टों तथा उन्हीं जैसे विचार वाले व्यक्तियों का प्रबन्ध था । यह तो बड़े आश्चर्य की बात है क्योंकि अधिकतर समाचार पत्रों के समर्थक पूंजीवादी हैं और पूंजीवादी सरकार के समर्थक हैं । वास्तविकता यह है कि समाचार पत्रों ने परिस्थिति को जैसी की तैसी रख दिया है । अग्र लेखों को पढ़ने से स्पष्ट जान पड़ता है कि औसत दर्जे पर अन्दाजा यही लगाया गया है कि सरकार की ओर से अधिक हिंसा का प्रयोग किया गया । अमृत बाज़ार, जिस के मालिक का आत्मज, बंगाल के मंत्रिमंडल में उपमंत्री है, उसी में २३ जुलाई के अपने संस्करण में लिखा था कि गत बाईस दिनों में, विशेषकर, बल संध्या में, पुलिस जैसे पागल हो गई थी । क्या इस का अनुमान यह लगाना चाहिये कि मंत्रालय के, विशेषकर गृह-कार्य मंत्री की इच्छाओं तथा निश्चित आदेश के विरुद्ध पुलिस ने यह कार्य किये हैं ।

मैं एक क्षण के लिये भी जनता की ओर से किये जाने वाली हिंसा को न्यायोचित नहीं ठहराना चाहती हूं । मैं जानती हूं कि प्रतिरोध समिति के जिम्मेदार सदस्यों ने बार बार बयान दिये कि जनता किसी प्रकार की हिंसा में भाग न ले, तथा हिंसा करने वाले किसी संगठित राजनीतिक दल के नहीं हैं । अतः यह कहना ठीक न होगा कि इस राजनीतिक या उस राजनीतिक दल ने हिंसा करवायी है । इस प्रकार तेज़ाब के बम फेंकने के तथा ऐसे ही कार्यों की एक परम्परा कलकत्ते में चली आ रही है । इस परम्परा का आरम्भ करने वाला कौन है यह अतुल्य घोष को भली भांति विदित है ।

सरकार की हिंसा ने जनता की हिंसा को भड़काया और तब परिस्थिति इतनी विषम हो गई कि सेनाओं को बुलाना पड़ा ।

एक बात बड़ी रोचक यह है कि हमारे रक्षा मंत्री श्री त्यागी तथा बंगाल की कांग्रेस के सभापति के कथन परस्पर विरोधी हैं । त्यागी जी का कहना है कि बहुत थोड़ी हिंसा तथा साधारण गड़बड़ हुई थी और शान्तिप्रिय जनता की सहायता के लिये सेना बुलाई गई थी । एक हज़ार सैनिक फ़ौजी साज़ोसामान से पूरी तरह लैस, रेडियों का प्रबन्ध साथ में, तथा कलकत्ते नगर का नकशा लिये हुए कलकत्ते में इस ओर से उस ओर तथा उस ओर से इस ओर मार्च कर रहे थे । इस का केवल एक ही उद्देश्य था । वह यह था कि जनता को धमकाया जाय । आये दिन इस प्रकार सेना का प्रयोग कर के शासन नहीं किया जाता है । बंगाल सरकार में शासन करने की योग्यता होनी चाहिये ।

प्रेस के सम्बन्ध में जो घटना हुई और जिस की ओर निर्देश किया जा चुका है इस में सब से घृणित दुष्टता यह थी कि लाठी चार्ज ऐसी पुलिस के द्वारा किया गया जो वर्दी में नहीं थी । कम से कम पुलिस को ऐसे कार्यों के समय वर्दी पहन कर जाना चाहिये । ऐसी परिस्थिति में यदि मैं चाहती तो उस समूह में सम्मिलित हो जाती तथा किसी के विरुद्ध अपना व्यक्तिगत बदला निकाल सकती थी । सौद्धान्तिक रूप से भी

[श्रीमती सुचेता कृपलानी]

सादे कपड़े वाले व्यक्तियों के द्वारा लाठी चार्ज कराना अनुचित है। समाचार पत्रों में यह भी प्रकाशित हुआ था कि सरकार ने इस कार्य के लिये गुण्डों को किराये पर कर लिया था। पहचान के लिये उन के हाथों पर अशोक-चक्र का चिन्ह छाप दिया गया था। यह चिन्ह तो अशोक ने इस देश में धर्म के राज के लिये बनाया था। उसी का ऐसा प्रयोग! यह हमारा प्रशासन है। बंगाल के शासकों को शासन करना ही नहीं आता है। उन में किसी निर्णय पर पहुंचने की क्षमता नहीं है और यदि कोई निर्णय करते भी हैं तो उसे पूरा करने की क्षमता उन में नहीं है। उन के द्वारा की जाने वाली गड़बड़ी के कारण ही यह विषम परिस्थिति उत्पन्न हुई जिस का अन्त यह हुआ कि सेना को बुलाना पड़ा। हमने सेना का उस कार्य के लिये प्रयोग किया है जो उस का कार्य नहीं है। इसी लिये हम इस अवसर पर अपना विरोध प्रकट करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय मंत्री उत्तर देंगे।

श्री टी० के० चौधरी : श्रीमान्, केवल दो तीन प्रश्न हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने इस विषय पर बहुत कुछ सुन लिया है, और सात सदस्यों को बोलने की अनुमति दी थी, जिन्होंने ७० मिनट लगाये। और भी कई सदस्यों ने प्रश्नों की सूचना दे रखी है, अर्थात् श्री जोकिम अलवा और डा० कृष्णास्वामी ने कुछ प्रश्न पूछने हैं, अतः मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

डा० काटजू : मैं पिछले वक्ता से सहमत हूं कि हमें इस प्रश्न को गम्भीरता से लेना चाहिये। यह महत्व का विषय है। कलकत्ता में निस्सन्देह अवस्था भयानक थी और इसी बात का तार उन्होंने प्रधान मंत्री को भेजा था, कि वे आकर इस मामले में हस्तक्षेप करें क्योंकि स्थिति काबू से बाहर हो रही थी। माननीय मित्र ने कहा कि जो कुछ कलकत्ते में हुआ, वह लोकतंत्र के लिये चुनौती थी। वह यह भी कहते हैं कि यदि उस बात को उसी ढंग से जिस से वह चाहते हैं, ठीक न किया गया, तो वही घटना पुनः घटेगी। अतः मैं चाहता हूं कि सदन इन शब्दों पर विचार करे, जैसा कि श्री एन० सी० चटर्जी ने कहा। मुझे बंगाल का, और बंगाल में १९५० में जो कुछ हुआ, उस का अनुभव है। तेजाब के बलब, बम आदि फैंके गये, और पुलिस की गाड़ियों, ट्रामगाड़ियों और जनता की सम्पत्ति को आग लगाई गई। ऐसी घटनायें दिन प्रति दिन होती रहीं। यह मामला बहुत गम्भीर है। इस सदन से बाहर कुछ राजनीतिक दल हैं, जो जनता को मार पीट, हिंसा, लूट, और गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने के लिये उकसाते रहते हैं, और बाद में विनम्र भाषा में शोक प्रकट करते हैं, यही तो दुर्भाग्य की बात है।

श्री टी० के० चौधरी : क्या मैं पूछ सकता हूं कि ये दल संवाददाताओं की मार पीट के लिये उत्तरदायी हैं ?

डा० काटजू : मैं ने इस मामले का तेलंगाना, कलकत्ता और सुन्दरबन तथा अन्य क्षेत्रों में अनुभव किया है, और यह एक उदाहरण है।

श्री ए० के० गोपालन : क्या आप अपना कलकत्ता का अनुभव बतलायेंगे ?

डा० काटजू : श्री गोपालन जानते हैं, तो पूछने की क्या आवश्यकता है। ट्रावणकोर-कोचीन को देखिये, पैप्सू में देखिये और कहीं देखिये, मैं तो केवल सचाई की बात कहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री कृपा करके मेरी ओर संकेत करें।

डा० काटजू : मैं अपनी गलती मानता हूं, किन्तु वह बड़ी गलती है। मैं इस एक पैसे के मामले में अधिक जाना नहीं चाहा।

मानता हूं कि लोग निर्धन हैं, और बेकार भी । एक पैसा बढ़ने से अभिप्राय प्रति दिन दो पैसे, और चार पांच व्यक्तियों के परिवार के लिये दो तीन रुपये प्रति मास की वृद्धि है ।

श्री मेघनाद साहा : परन्तु इस का आशय ब्रिटिश कम्पनी के लिये ६० लाख रुपये का लाभ हुआ ।

डा० काटजू : मैं डा० मेघनाद साहा से कहूंगा कि वह अपनी बात भौतिक-विज्ञान अनुसन्धानालय तक ही सीमित रखें ।

श्री वी० जी० देशपांडे : श्रीमान्, एक औचित्य प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ व्यवस्था होनी चाहिये सदन में बहुत अधिक शोर मच रहा है ।

श्री वी० जी० देशपांडे : मेरा निवेदन है कि क्या किसी सदस्य को कहना, कि वह भौतिक विज्ञान तक ही सीमित रहे, और विधि, व्यवस्था तथा राजनीति से दूर रहे, संसदोचित है ?

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु भौतिक-विज्ञान भी एसिड वल्बों से सम्बन्ध रखता है । यह दोनों प्रकार से भयानक है ।

डा० काटजू : मैं उस के गुण दोष की बात नहीं करता । उस ब्रिटिश कम्पनी के अपकृत्यों और किरायों के बढ़ाने की पूरी पूरी जांच होगी । किरायों की वृद्धि की मंजूरी महान देशभक्त डा० वी० सी० राव द्वारा की गई थीं । परन्तु क्या हुआ ? स्मरण करिये वहां एक नागरिक प्रतिरोध समिति है, जिस में बहुत से माननीय सदस्य हैं, और कुछ मेरे भी मित्र हैं । परन्तु उन्होंने क्या किया ? दो दिन तक बिना टिकट के मुफ्त सवारी हुई । कोई भी व्यक्ति जहां जी चाहे, जा सकता था । इस से . . . .

श्री ए० के० गोपालन : यह अहिंसात्मक था ।

एक माननीय सदस्य : साम्यवादी ढंग का ।

डा० काटजू : शान्ति तथा व्यवस्था की उपेक्षा करने की भावना फैलती है । तीसरे दिन जब कम्पनी ने टिकट देने शुरू किये, तो वहां पर यात्रियों को द्वितीय श्रेणी के डिब्बों से निकालने के लिये बहुत संख्या में लोग इकट्ठे हो गये थे और लोगों को गाड़ियों में न चढ़ने के लिये कहते थे । वहां हालत ऐसी बिगड़ गई थी जैसी कि श्री मुकर्जी ने प्रधान मंत्री को बतलाई । दिन तो किसी प्रकार बात जाता था, परन्तु यदि अक्षरशः वह सम्पूर्ण कलकत्ते के लिये नहीं, परन्तु कलकत्ते के कई भागों में रात्रि भयानक हो गई । बलब, ऐसिड बल्ब, बम, क्रैकर, लूट मार, आग लगाना, ट्रेम कारों को जलाना और डिब्बों को फूंकना आदि तब के दृश्य थे; कोई भी व्यक्ति चल नहीं सकता था ।

श्री ए० के० गोपालन : कृपया हमें उदाहरण बतलाइये ।

डा० काटजू : आप मुझे इस प्रकार नहीं बिठा सकेंगे ।

श्री ए० के० गोपालन खड़े हुए--

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने माननीय सदस्य को जब वह बोल रहे थे, तो बीच में कोई अन्तर्बाधा नहीं की ।

श्री ए० के० गोपालन : यदि माननीय मंत्री हमें उदाहरण बतला सकें, तो अच्छा होगा । केवल मात्र यह कह देने से कि सब जगह ऐसी बात हुई हमें कोई लाभ नहीं होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : सब सदस्यों को अपनी बात कह देनी चाहियें । इस ओर से दोषारोपण है, तो दूसरी ओर से सफ़ाई पेश की जा रही है । हमें दोनों को सुनना चाहिये ।

डा० काटजू : जैसा कि मैंने बतलाया, यह अजीब दलील है कि दिन में पुलिस ने अधिकता की, रात्रि को भीड़ ने अधिकता की, जो बड़ी हास्यास्पद भी है । मैं समझ सकता हूं--यदि एक पुलिस का व्यक्ति ज़्यादती करता है, किसी को मारता

[डा० काटजू]

पीटता है तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, उसकी लोहे की टोपी उतार लो, उसे मारो उस की दुर्दशा करो, उसे चूमो, और जो कुछ चाहो, उसके साथ करो। परन्तु उसे छोड़ तो दो। परन्तु रात्रि को तुम क्या करते हो— जनता के रास्तों को रोक कर? सदन मेरी इस बात को मान ले कि तीन चार रातों को कलकत्ता के विभिन्न भागों में बिल्कुल व्यवस्था नहीं थी।

बाबू रामनारायण सिंह : बहुत खूब।

डा० काटजू : मुझे आश्चर्य है कि कलकत्ता उच्च-न्यायालय के एक भूतपूर्व न्यायाधीश हंस रहे हैं।

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं आपके वक्तव्य पर नहीं हंस रहा हूं, अपितु बाबू राम नारायण सिंह की बात पर हंस रहा हूं।

डा० काटजू : ये तथ्य हैं, जिनका हम सब को पता है। मैं आप को बतलाता हूं कि तिथि १५ को, फ़ौजों के बुलाये जाने से एक दिन पहले क्या हुआ। विवरणों के अनुसार कालेज स्ट्रीट, वलिंगटन स्ट्रीट, धर्मताला स्ट्रीट, वैलेज़ली स्ट्रीट, लोअर सरकूलर रोड पर कई स्थानों पर रास्ते रोके गये थे। आधी रात के पश्चात् अर्थात् १६ जुलाई की प्रातः से पहले ट्राम की लाइनों को विभिन्न स्थानों पर उखाड़ने के प्रयत्न किये गये थे। यह केवल एक दिन की बात है। ऐसा कई स्थानों पर होता रहा है।

श्री मेघनाद साहा उठे—

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था। कोई अन्तर्बाधा नहीं होनी चाहिये। कोई नहीं कहता कि माननीय मंत्री इस के लिये उत्तरदायी हैं। दूसरे व्यक्ति बीच में बोलने की आज्ञा नहीं देते। हमें उनको सुनना चाहिये। यहां कुछ भी नहीं होने वाला। क्या हम यहां कलकत्ता की सी घटनायें उपस्थियां करेंगे?

डा० काटजू : उपद्रवकारियों ने लकड़ियां तथा अन्य जलने वाली वस्तुओं को बहुत से स्थानों पर जमा कर के उन में आग लगा दी। स्विचों तथा फ्यूजों को तोड़ कर सड़कों पर जलने वाले विद्युत लैम्पों को बुझा दिया गया और मध्य कलकत्ते के अधिकांश भाग में अंधेरा छा गया। एक बड़ी भीड़ ने स्यालदा की ट्राम क गुमटी में आग लगा दी बड़ी कठिनाई से आग बुझाने का सामान आ सका और फ़ायर ब्रिगेड को आग बुझाने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। हैरीसन रोड और सर्कुलर रोड के चौराहे पर पुलिस चौकी के सामने बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई और पुलिस के समय पर आ जाने पर ही उसे हटाया जा सका। एक और भीड़ ने हैरीसन रोड और कालिज स्ट्रीट के चौराहे पर एक दुकान को लूटने की कोशिश की।

केन्द्रीय सरकार का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि राज्य सरकार ने ऐसी कठोर तथा उपयुक्त कार्यवाही न की होती तो निस्सन्देह उस पर अपने कर्तव्य से च्युत होने का आरोप लगाया जा सकता था। कलकत्ते की पुलिस को पूरे १४ दिन तक २० घंटे रोज ड्यूटी देनी पड़ी। सारा नगर उपद्रवकारियों के हाथों में चला गया था। राज्य सरकार ने फ़ोर्ट विलियम को लिखा और उस से सहायता की मांग की। सैनिकों को नगर की सड़कों पर घुमाया गया। सड़कों पर तो कोई भी घूम सकता है। सेना ने कोई कार्यवाही नहीं की, वह सिर्फ़ सड़कों पर से हो कर निकल गई।

मेरे मित्रों ने २२ तारीख के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा है। जहां तक प्रेस का सम्बन्ध है मैं किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। कलकत्ते से 'आनन्द बाज़ार पत्रिका', 'युगान्तर', 'हिन्दुस्तान स्टन्डर्ड' जैसे कई समाचार पत्र निकलते हैं और उन की पाठक संख्या लाखों है। उन सभी का यही उद्देश्य था कि उनकी बिक्री बढ़े, क्योंकि यही तो उन के व्यवसाय है।

वह विज्ञापन चाहते हैं। यदि समाचार पत्र को कोई पढ़े नहीं तो फिर उसे प्रकाशित करने से लाभ ही क्या है ? मेरी समझ में यह नहीं आया कि श्री एन० सी० चटर्जी ने यहां उस गोपनीय बात चीत का हाल क्यों कहा जो २२ तारीख को उन के तथा मंत्री महोदय के बीच हुई थी। सभी समाचार पत्र इस घटना पर विचार करें और सोचें कि १८ या १९ तारीख तक जो कुछ भी वह प्रकाशित करते रहे थे क्या वह सब ठीक था और उसका प्रकाशित करना उचित था। दो प्रश्न हैं, एक यह कि क्या सरकार द्वारा किराया बढ़ाया जाना ठीक था अथवा ग़लत। दूसरा प्रश्न इस से भी अधिक महत्वपूर्ण है और वह यह है कि क्या जनता द्वारा कानून का अपने हाथ में लिया जाना, ट्राम गाड़ियों को तोड़ना फोड़ना, मारना, लूटना, बम फेंकना इत्यादि ठीक या क्षम्य था। क्या कलकत्ता के समाचार पत्रों अपितु सारे भारतवर्ष के समाचार पत्रों का यह कर्तव्य नहीं था कि वह इस गुंडा गर्दी के विरुद्ध आवाज़ उठाते और यह घोषणा करते कि यह सब कुछ निन्दनीय था ? हमारी सरकार प्रजातंत्र के सिद्धांतों पर आधारित है और प्रजातंत्रीय सरकार में क़ानून को अवश्यमेव माना जाना चाहिये। यदि सरकार कोई ग़लती करती है तो उसे सुधारने के अन्य उपाय हैं, आन्दोलन किये जा सकता है, जलसे किये जा सकते हैं अथवा किसी अन्य रीति से विरोध प्रदर्शित किया जा सकता है। परन्तु मेरे बायीं ओर बैठे महानुभाव जो अन्धेर गर्दी में विश्वास रखते हैं . . .

श्री पुन्नूस (आल्लप्पी) : एक औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में श्रीमान्, क्या माननीय मंत्री का यह कहना कि इस सदन के कुछ माननीय सदस्य अन्धेर गर्दी को पसन्द करते हैं ठीक है ? क्या उन का यह कहना ठीक है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे आशा है कि माननीय मंत्री का यह आशय कदापि नहीं था कि इस सदन के कुछ सदस्य यहां अन्धेर गर्दी फैलाने के लिये आये हैं।

डा० काटजू : मेरा यह आशय कदापि नहीं था। मेरे समक्ष बैठे मेरे मित्रों का यह स्वभाव बन गया है कि . . .

श्री जोकीम आल्वा : क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं श्रीमान् ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या बंगाल सरकार ने कलकत्ता के समाचार पत्रों से शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने में सहायता देने की प्रार्थना की थी ? माननीय मंत्री चाहे जो कुछ भी कहें, कलकत्ता के पत्रकारों के विरुद्ध लगाया गया उन का आरोप सर्वथा न्याय विरुद्ध था।

डा० काटजू : एक पत्रकार द्वारा ग़लती सुधारे जाने पर मैं प्रसन्न हूं। उन के अपने प्रमाप हो सकते हैं, परन्तु मुझे ज्ञात नहीं कि उन का प्रमाप क्या है।

इस समय देश एक बहुत विषम परिस्थिति से होकर गुज़र रहा है। तरह तरह की समस्यायें हमारे सामने हैं। मेरे मित्र श्री गोपालन ने प्रजातंत्र को चुनौती दिय जाने की बात कही थी प्रजातंत्र से मेरा आशय बहुमत की हकूमत है और जब तक सामान्य चुनाव में मतदाताओं द्वारा बहुमत वाले दल को हरा नहीं दिय जाता है, बहुमत तो रहेगा ही। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि यदि आप सरकार की किसी कार्यवाही से सन्तुष्ट नहीं है, या सरकार द्वारा बनाये गये किसी क़ानून से सन्तुष्ट नहीं हैं, तो आप क़ानून को तोड़ें, हिंसात्मक कार्यवाहियां करें, जनता से क़ानून की अवज्ञा करने को कहें और मनमानी हरकतें करें।

मुझे केवल इतना ही निवेदन करना है।

इस के पश्चात् सदन की बैठक सोमवार १० अगस्त, १९५३ को सवा आठ बजे तक के लिए स्थगित हो गई।